राजस्थान विधान सभा

सप्तम बैठक, दिनांक १० सितम्बर, १९५३

सदन का कार्य ८ बजकर ४१ मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८५ और ८६

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास ।

(अनुपस्थित—प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८७

श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)—क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सोजत से सन् १९४९-५० ई० में धान की लेवी के लिये किन किन व्यापारियों को कितने कितने रुपये नकद पेशगी दिये गये थे ?

(२) उसी वर्ष में किन किन व्यापारियों ने कितने कितने मण कौन २ सा धान कितने कितने रुपयों का सरकार में जमा कराया ?

(३) सरकार को उसी वर्ष के लेवी के धान के अभी तक किन किन व्यापारियों को कितने कितने रुपये देने हैं ?

(४) किन किन व्यापारियों से कितने कितने रुपये पेशगी दिये हुए में से सरकार को रोकड़ रुपये वापस लेने हैं ?

(५) लेवी की जो रकम व्यापारियों से लेनी है वह सरकार ने अभी तक क्यों नहीं ली ? क्या अब मय ब्याज के ली जावेगी ?

(६) राज्य की इतनी बड़ी बड़ी रकमें अभी तक व्यापारियों में बकाया रखने का सरकार का क्या प्रयोजन है ?

(७) ये रकमें अब व्यापारियों से क तक वसूल की जायेंगी ?

Page No.2

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)--(१) तहसील सोजत में सन् १९४९-५० में धान की लेवी के लिये निम्नलिखित व्यापारियों को इस प्रकार रकम दी गई:--

	रु०	आ०	पा०
१. सुखदेव काशीराम, सोजत सिटी	१,६७,०००	०	०
२. चतुरभुज जसराज, रानावास	८७,५०६	४	६
३. नेमीचन्द गुन्देचा, मारवाड़ जंक्शन	६०,०००	०	०
४. जेठमल, सोजत बिलाड़ा	२४,०००	०	०
५. प्रेमसुख सूरजमल, चंडावल	६९,०००	०	०
६. बस्तीमल सूरजमल, सोजत रोड	१,३१,८६५	६	९
७. जसराज जीतमल, आऊआ	७९,०००	०	०
८. कलाल गंगाराम, बांता भीमलिया	४१,८८७	०	०
९. भूरमल मांगीलाल, राजकियावास	२९,०००	०	०

(२) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(३) सुखदेव काशीराम का हिसाब अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी को लेवी का रुपया देना नहीं है।

(४) सरकार को निम्नलिखित व्यापारियों से केवल इस प्रकार रुपये लेने हैं:--

१. सुखदेव काशी राम, सोजत सिटी .. .. . हिसाब मुकम्मिल करने की कार्यवाही जारी है।

	रु०	आ०	पा०
२. जेठमल, सोजत बिलाडा	१०९	८	९
३. गंगाराम एजेन्ट	२,७७७	४	०

(५) निम्नलिखित व्यापारियों से जो रकम लेवी की बकाया है वह इन कारणों से बकाया है:--

१. सुखदेव काशीराम, सोजत सिटी ..	इस पार्टी के हिसाब अभी तक मुकम्मिल नहीं हुए हैं, कार्यवाही जारी है।
२. जेठमल, सोजत सिटी .. .	रुपये वसूल की कार्यवाही जारी है।
३. गंगाराम एजेन्ट	रुपये वसूल की कार्यवाही जारी है।

Page No.3

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(६) जो रकमें व्यापारियों में बकाया हैं केवल बहुत थोड़ी हैं और उनकी वसूली के लिये पूर्णरूपेण कार्यवाही चल रही है ।

(७) जल्दी ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--यह ६७ हजार रुपये की रकम काशीराम में बाकी है, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत कम रकम लोगों में बाकी है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने, जो रकमें लोगों को दी गई थी उसकी सूची पढ़कर सुनाई है, बाकी के लिये मैंने 'नहीं' कहा । मैंने तो यह कहा कि अभी हिसाब मुकम्मिल नहीं हुआ है ।

श्री कानसिंह (६९)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिसाब जो अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ है उसके कब तक मुकम्मिल होने की आशा रखते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने बताया है कि हिसाब मुकम्मिल हो रहा है और जल्दी ही मुकम्मिल हो जायेगा ।

श्री कानसिंह--सन् १९४९-५० का हिसाब भी अभी तक नहीं किया गया, क्या इसके लिये इतना समय काफी नहीं था?

श्री भोगीलाल पंड्या--समय काफी था । अनाज लाने पर रुपया भी वसूल किया गया ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या यह सही है कि सप्लाई विभाग में बहुत सी फाइलें जला दी गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे इस बात का पता नहीं है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या यह सही नहीं है कि सोजत के व्यापारियों में बकाया रकम आती है, वह बहुत बड़ी नहीं है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने बकाया रकमें नहीं बताई । मैंने यह बताया है कि उनका हिसाब अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ है । वाकई में कितनी रकमें रह गई हैं यह तो हिसाब मुकम्मिल होने से मालूम होगा ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--जिन जिन लोगों में रकमें बकाया हैं उन्होंने सरकार पर दावा कर दिया है । उल्टा दावा आप पर किया है, क्या यह सही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--उनकी रकमें कोई बाकी नहीं है ।

जेठमल, सोजत-बिलाड़ा में १०९ रु० ८ आ० ९ पाई और गंगाराम ऐजेन्ट में २,७७७ रु० ४ आ० बाकी हैं । यह रकम कोई ज्यादा रकम नहीं है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या यह सही है कि उन लोगों ने दावा पेश कर दिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे मालूम नहीं। इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

श्री कानसिंह--क्या इस महकमे की सालाना एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ?

श्री कानसिंह--क्या सिविल सप्लाइज विभाग की सालाना एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सालाना जो हिसाब मुकम्मिल होते हैं उनकी रिपोर्ट मेरे पास जरूर आती है।

श्री संतोषसिंह--हेमलिया के श्री हुक्मीचन्द की जो रकम बाकी है उसके संबंध में माननीय मंत्रीजी ने कुछ नहीं बताया; क्या उनकी कोई रकम बाकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जो सूची मेरे पास है वह मैं आपको बता चुका हूं। मुमकिन है कि माननीय सदस्य का अनुमान गलत हो।

प्रश्न संख्या ८८, ८९ तथा ९०

श्री अध्यक्ष--श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ९१

नक्स्ट। श्री लालूराम।

(अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ९२ (२८ सी.एम.)

(श्री तनसिंह द्वारा श्री खेतसिंह की अनुपस्थिति में प्रश्न पूछा गया)

श्री तनसिंह--Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(*a*) Whether the Government is aware of the increasing un-employment both rural and urban in this State?

(*b*) Whether the Government which is the greatest employer, instead of helping to solve this acute problem, has been acting in a manner which is bound to aggravate this problem by employing retired hands, allowing extensions and making appointments without reference to the Public Service Commission?

Page No.5

(c) How many retired hands have been re-employed since 1st January, 1953; the dates and the posts against which their appointments have been made may also kindly be stated ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—प्रश्न तो श्री खेतसिंह जी का है ।

श्री अध्यक्ष—Shri Tansingh has been permitted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(*a*) Yes.

(*b*) No.

(*c*) The following officers have been re-employed since 1-1-1953 :—

S. No.	*Name.*	*Post on which re-employed.*	*Date of re-employment.*
1.	Shri A.A. Kheri, R.A.S. (Retd.)	Secretary to Chief Minister	5-5-53
2.	Shri G.D. Trevedi, (Retd. hand of Govt. of India.)	Officer on Special Duty (Records)	1-7-53
3.	Shri Yad Ram Chaturvedi	Officer on Special Duty (Finance)	9-3-53
4.	Shri Bansilal Sharma	Accounts Officer	7-7-53
5.	Shri Sardarmal Dhariwal	Treasury Officer	7-7-53
6.	Shri Bilam Chand Bhandari	Treasury Officer	19-8-53
7.	Shri Krishna Swarup Shrivastava	Deputy Custodian	1-6-53
8.	Shri C.D. Khanna	Assistant Engineer, Urban Improvement Board, Jaipur	6-8-53
9.	Shri J.M. Ghosh	Professor of History, Maharaja's College, Jaipur	1-5-53
10.	Shri Hem Raj	Professor of History, Jaswant College, Jodhpur.	16-7-53

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि इन व्यक्तियों को कितने रुपये पर रिटायर किया गया और कितने रुपये पर रीएम्प्लोय (पुनः नियुक्त) किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कितने रुपये पर रिटायर किए गए, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी । वैसे में आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जब उनका रिएम्प्लायमेंट किया जाता है तो उनके पहले के वेतन से रिएम्प्लायमेन्ट के वक्त का वेतन अधिक नहीं होता ।

श्री कानसिंह—जब रिटायर किए गए तो क्या पहले की मुलाजमात जोड़ी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रिएम्प्लायमेंट के वक्त इस प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री कानसिंह--जब पेन्शन पर रिटायर हुए हैं तो पहले की सर्विस जोड़ी गई होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आपका मतलब है कि रिएम्प्लोय करते समय पहले की सर्विस जोड़ी जाती है या नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर एक्सटेन्शन किया जाता है तो पहले की सर्विस जोड़ी जाती है ।

श्री जवानसिंह--रिएम्प्लायमेंट का क्या आधार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आवश्यकता ।

श्री जवानसिंह--क्या आप बता सकते हैं कि ट्रेजरी आफिसर्स का इन्टीग्रेशन कम्पलीट हो चुका है ? यदि कम्पलीट हो चुका है तो रिएम्प्लोय करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--ट्रेजरी ओफिसर्स का इन्टीग्रेशन हो चुका है । एक्स्पीरियन्स्ड व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी और सरकार ने उसको रीएम्प्लोय किया ।

श्री जवानसिंह--आपने फरमाया कि तमाम का इन्टीग्रेशन हो चुका है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि सिरोही के ट्रेजरी ओफिस का इन्टीग्रेशन हो चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--पर्टिकुलर स्थान के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेजरीज का इन्टीग्रेशन हो चुका है ।

श्री कानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जब इन व्यक्तियों को रिएम्प्लोय किया गया तो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ली गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--गवर्नमेंट को अधिकार है कि टेम्परेरी तौर पर वे रिटायर्ड आदमियों को रिएम्प्लोय करे ।

श्री तनसिंह--क्या यह सही है कि श्री बिलम चन्द जी भंडारी, ट्रेजरी आफिसर, के हाथ कांपते हैं और दिमाग भी काम नहीं करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह बात सही नहीं है। उनका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ।

श्री जवानसिंह--उनका रिएम्प्लोयमेन्ट कितने अर्से से लिये हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अलग अलग ओफिसर्स के लिये अलग अलग समय होता है। श्री खेरी जो चीफ मिनिस्टर के प्राइवट सेक्रेटरी हैं उनके रिएम्प्लोयमेंट का पीरियड अभी तय नहीं हुआ है। श्री त्रिवेदी एक साल के लिये, श्री यादराम चतुर्वेदी १ साल के लिये, उसी तरह बंशीलाल जी, सरदारमलजी और बिलमचन्द जी--इनको एक एक साल के लिये टेम्परेरी तौर पर रखा गया है। श्री खन्ना को छः महीने के लिये रखा गया है ।

श्री जवानसिंह--जिनको एक साल और छः महीने के लिये रिएम्प्लोय किया गया तो क्या उनके लिये पी.एस.सी. को रेफर किया गया ?

श्री अध्यक्ष--No, it is in the competence of the Government. It is not necessary to refer to the P.S.C., that was the reply.

श्री कानसिंह--दुबारा अपोइन्ट करने में २५ साल की बाधा नहीं हो सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--पचपन साल से ऊपर का सवाल है, न कि २५ साल का। रिएम्प्लोय करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दो साल के लिये रिएम्प्लोय किया जा सकता है।

श्री तनसिंह--क्या श्री विलमचन्दजी भंडारी को मेडिकल ग्राउन्ड्स पर रिटायर किया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मेडिकल ग्राउन्ड्स पर रिटायर नहीं किया गया।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या श्री खेरी को उनके विरूद्ध शिकायतों पर रिटायर किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जी नहीं।

प्रश्न संख्या ९३

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट। श्री एच.के.व्यास।

(अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ९४ (२४/एस. एम.)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) चक २४ पी.एस., तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर (रायसिंहनगर काम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया), में डीगी खुदाने के लिये किसी व्यक्ति ने कुछ रकम सरकार को दी थी ?

(२) अगर दी थी तो उसमें से डीगी खुदाने में कितना रुपया खर्च हुआ और क्या वह डीगी काम में आ रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (योजना मंत्री)--(१) श्रीमती सुवर्ण कुंवर ने तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में डीगी बनवाने के लिये ५००) रुपया दिया था।

(२) विस्तृत सूचना इस संबंध में इकट्ठी की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--यह सूचना कब तक प्राप्त होगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सूचना देने के लिये तार दे दिया गया है। यदि यह सूचना आज आ गई तो मैं आपको कल बता दूंगा, नहीं तो आगे।

Page No.8

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या यह सही है कि उस रुपये का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर माननीय सदस्य कुछ शांति रखें तो उनको पूरा पूरा जवाब दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--कल दे देंगे ।

श्री भोगीलाल पंड्या--अगर आज सूचना प्राप्त हो गई तो मैं उसका जवाब कल ही दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री संतोषसिंह ।

प्रश्न संख्या १५ (२५/एस. एम.)

श्री **संतोषसिह कछवाहा**--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) एरिनपुरा जवाई बन्ध के अन्दर के गांव दुदणी के रहनेवालों को वहां से हटाने के वास्ते किस हिसाब से कितने कितने रुपये और कितनी कितनी जमीन किन किन को मुआवजे की दी गई ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (योजना मंत्र)**--एरिनपुरा जवाई बन्ध के अन्दर गांव दुदनी के रहने वालों को हटाने के लिये भूतपूर्व जोधपुर गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने उनके मकानों की कीमत लगाई थी । जो मुआवजा दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । किस किस को कितनी कितनी जमीन दी गई इसकी सूची अभी लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर जवाई प्रोजेक्ट से नहीं आई है । आने पर सदन को सूचना दी जा सकेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई और प्रकाशित नहीं की गई)

ठा० श्री माधोसिंह--क्या वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जागीरदार से मिल चुके हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--माननीय सदस्य को सूचना हो तो हो, मुझे तो यह मालूम नहीं है ।

ठा० श्री माधोसिंह--क्या यह सच भी है कि उन्हें हटाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री जवानसिंह--इस प्रश्न के भाग २ का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--अगर माननीय मित्र ने मेरा उत्तर गौर से सुना होगा तो उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं यह कह चुका हूं कि भाग १ के संबंध में सूची सदन की मेज पर रखी जा चुकी है और भाग २ के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है । जवाई प्रोजेक्ट से सूचना नहीं आई है, आने पर मैं बता दूंगा ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--जब मुआवजा दिया गया था तो काम्युनिटी प्रोजेक्ट के आधार पर नया गांव क्यों नहीं बसाया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जोधपुर रियासत की ओर से मुआवजा दिया गया था और उस समय काम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं था ।

श्री संतोषसिंह--ये जो लोग गांव वाले वहां से शिफ्ट होकर गये थे तब तक तो राजस्थान गवर्नमेंट बन चुकी थी ।

श्री भोगीलाल पंड्या--परन्तु उस समय तक काम्युनिटी प्रोजेक्ट का ब्लाक नहीं बना था ।

श्री संतोषसिंह--यह नहीं बना था तब भी हमेशा यह बताया जाता है कि जब कोई गांव बनाया जावे तो उस नये गांव का प्लान या नक्शा बनता है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये नये मकान इधर उधर नहीं बनते । कहीं मकानों की गलियां ठीक नहीं है, तो कोई मकान ठीक नहीं है, तो कोई रास्ता भी ठीक नहीं है । जिस प्रकार हमें आज मोडल टाउन के नक्शे बताये जाते हैं तो उस वक्त इस तरह के नक्शे क्यों नहीं तैयार किये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मेरे ख्याल से वहां के किसान बड़े बुद्धिमान होंगे और जोधपुर की सरकार के वक्त में जब गांव बसने का होगा तब नक्शे आदि भी तैयार कर लिये होंगे ।

प्रश्न संख्या ६६

श्री तेजपाल--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) भरतपुर जिले में कितनी सरकारी जमीन मयादी पट्टों पर दी हुई है ?

(२) उन पट्टों में से कितनों की मयाद इस साल खतम हो चुकी है ?

(३) जिन पट्टों की मयाद खतम हो चुकी है क्या उस भूमि को सरकार भूमिहीनों को देने का इरादा रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--(१) चार लाख आठ सो बीघा ।

(२) इस खाम जमीन के पट्टे हर साल जारी किये जाते हैं ।

(३) भूमिहीन काश्तकारों को पहिले से ही उस भूमि के पट्टे हर साल जारी किये जाते हैं और उनका विशेष ध्यान रखा जाता है ।

श्री तेजपाल--कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें आपकी दी हुई सूचनाओं के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है, क्या सरकार उनके बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अगर इस तरह के कोई निश्चित मामले आपकी ओर से मेरे ध्यान में लाये जावेंगे तो कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री तेजपाल--ऐसे काश्तकारों को भी जमीन दी जाती है जिनके पास पहले से ही काफी जमीन होती है और उस रकबे को लेकर वे सरकार द्वारा पटटे करवा लेते हैं और फिर उस रकबे का नाजायज फायदा उठाते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समझता हूं कि आपको सरकार की नीति निश्चित रूप से इस बारे में मालूम है और इसके विरुद्ध अगर कहीं कार्यवाही होती है तो आप की जानकारी आने पर अवश्य जरूरी कार्यवाही उसे रोकने के लिये की जावेगी ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या ये जमीनें लोगों को परमानन्ट तौर से दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--हर साल के पट्टे पर दी गई हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--सरकार यह जो जमीनें दे रही है क्या इन पर लैंडलैस टीनेन्ट्स एक्ट लागू नहीं होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जरूर लागू होता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--तो इन्हें जिन शर्तों पर दी गई है क्या वे लैंडलैस टीनेन्ट्स को जैसी दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह तो मैं अर्ज कर चुका प्रश्न के अपने जवाब में । पट्टे की मियाद खतम होने पर दूसरे किसान को दिये जाने का प्रश्न बहुत ही कम आता है । अगर किसी के पास सरकारी जमीन अधिक है तभी यह प्रश्न आता है । किसके पास सरकारी जमीन कम है या ज्यादा है, इसको देखकर ही सरकार जमीन अलाट करती है । इसके बारे में कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वह पट्टा उसको नहीं मिलेगा जिसके पास कम जमीन है या ज्यादा है, पर यह देखकर उन पट्टों को फिर से रिन्यू कर दिया जाता है और अगर पहले से किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उसकी अधिक जमीन लेकर भूमिहीन किसान को दे दी जाती है ।

श्री हरिदेव जोशी--पर जब हर साल जमीन किसान को री-अलाट (re-allott) करनी पड़ती है या पट्टे रिन्यू करने होते हैं तो क्या सरकार ऐसे भूमिहीन किसानों को परमानेन्ट पट्टे नहीं दे सकती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इस पर सरकार विचार कर रही है और तय भी कर चुकी है कि एक सीमा तक पन्द्रह या बीस बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को परमानेन्ट तौर पर अलॉट कर दी जावे ।

श्री कंवरलाल जेलिया--सरकार का यह विचार कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जायेगी और एक्शन आप जानते हैं जारी है । (हंसी)

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या सरकार इस बारे में आर्डर जारी कर चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित तौर से ।

श्री कानसिंह—जागीरदार या जमींदार अगर किसी को अपनी जमीन से एक साल के बाद बदखल करता है तो सरकार ने इसके लिये तो कानून बना दिया और खुद एक एक साल के लिये पट्टे देकर पहली साल के किसान को अगली साल बेदखल कर देती है तो क्या इस संबंध में सरकार की दो-दो नीतियां हैं, एक सरकार के अपने बारे में और दूसरी जागीरदारों की जमीन के बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भूमिहीन किसान हैं उनमें से किसी को जमीन से नहीं हटाया जाता पर कितनी जमीन किसको दी जावे, इसमें सरकार विचार करती है । जो पट्टे हर साल दिये जाते हैं इसी चीज को ध्यान में रखकर दिये जाते हैं और इसीलिये वे पट्टे फिर उन्हीं के नाम रिन्यू कर दिये जाते हैं । किसी को भी बेदखल नहीं किया जाता ।

प्रश्न संख्या ६७

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सिंचाई विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सब जगह बन्ध व नहर से जमीन की सिंचाई की रेट अलग अलग या एक जैसी (बराबर) या कहीं कहीं पर फ्री भी है ?

(२) यदि अलग अलग रेट्स हैं तो किस किस जगह पर और क्या क्या रेट्स हैं ?

(३) क्या सरकार सारे राजस्थान के लिये जमीन की सिंचाई की एक (बराबर) रेट मुकर्रर करने का सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) फिलहाल क्या जवाई बन्ध की जमीन की सिंचाई की रेट खालसे के गांवों में रु० ५) फी बीघा व जागीरी गांवों में रु० ७॥) साढ़े सात रुपया बीघा है ? यदि है, तो सरकार ने ये दो भाव (रेट) एक ही जगह किस नीति से रखे हैं ?

(५) क्या सरकार इस जगह खालसा व जागीर के गांवों की जमीन की सिंचाई की रेट्स बराबर करने का सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(१) राजस्थान में सब जगह जमीन की सिंचाई की रेट्स इस समय भिन्न भिन्न हैं और फ्री कहीं भी नहीं है ।

(२) राजस्थान में सिंचाई की रेट हस्ब नक्शा मशमूला है ।

(३) हां ।

(४) इस समय जवाई बन्ध की जमीन-सिंचाई की रेट खालसा के गांवों में ५) रु. बीघा व जागीरदारी गांवों में ७॥) रु० बीघा है । खालसा गांव वाले बन्ध व नहरें बनाने के लिये बजरिये लैंड

Page No.12

[श्री भोगीलाल पंड्या]

रेवेन्यू वगैरह खर्चा बरदाश्त करते हैं लेकिन जागीरदारी गांव वालों को यह खर्चा नहीं देना पड़ता, इसी वजह से उन पर वाटर रेट ज्यादा लगाया जाता है; जैसा कि जयपुर व जोधपुर में रिवाज है ।

(५) सरकार जवाई बन्ध की जमीन सिंचाई की रेट खालसा व जागीरदारी के गांवों में बराबर करने पर विचार कर रही है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--कितनी किस्म का आबियाना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--माननीय सदस्य ने यह जो पूछा कि वह तो सिंचाई से संबंधित है ।

श्री माधोसिंह (भेंसवाड़ा)--जवाई बन्ध की जमीन में भिन्न भिन्न रेट्स रक्खी जाने की वजह से वहां रेट्स वसूल नहीं हुई हैं, आपने यह तो कर दिया कि पांच की जगह साढ़े सात रुपया रेट हो, पर इसके रखने से वह रेट वसूल नहीं हुई है । क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह तो सरकार वसूल कर लेगी ।

श्री दुर्लभसिंह--आबियाना किस रेट पर तय किया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--बन्ध का पानी जहां पर जाता है उसके प्रति बीघा या एकड़ के हिसाब से मुकर्रर करते हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार किसी जगह इसको बढ़ाना भी चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां, कहीं जहां आवश्यकता होगी और जहां बढ़ाना होगा वहां और बढ़ावेंगे ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--इसके लिये वहां के लोगों की राय भी लेना उचित समझेगी ?

एक सदस्य--इसमें राय की आवश्यकता नहीं होगी । अगर होती तो ले ली जाती, पर आवश्यकता नहीं थी इसलिये बिना राय के भी तय कर दिया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या गंगानगर जिले में आबियाना बढ़ाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां । स्कीम पूरी हो चुकी है और वसूली अब होगी ।

श्री मानसिंह महार--क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी बढ़ाने की बात है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे मालूम नहीं पर अगर महार साहब वगैरह उधर भी होंगे तो देख लेंगे ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--राजस्थान लैंड इरिगेशन बिल पास हो चुका है तो क्या इस मद में भी दो तरह के चैर्जेज वसूल किये जावेंगे ?

Page No.13

श्री भोगीलाल पंडया--मैं माननीय सदस्य को यह बताऊं कि यह बिल अभी पास नहीं हुआ है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--और जब वह बैटरमेन्ट टैक्स लगेगा तो वह टैक्स नहीं लगावेंगे?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ! श्री अमरसिंह ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री अमरसिंह--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) गांवों में चरनोट किस हिसाब से रखने का नियम है ?

(२) गाय-भैंस के सिवाय लरडियों-बकरियों का भी इसमें विचार किया जाता है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--(१) जिन ग्रामों में चरनोट का रकबा पहिले से नियत है उनको ज्यों का त्यों चरागाह देह में रख दिया जाता है और जिन ग्रामों में पहिले से कोई रकबा चरनोट नियत नहीं है और गांव में पड़त बंजड़ रकबा सिवाय चक में है तो आधा बीघा प्रति पशु के हिसाब से चरनोट कायम करदी जाती है ।

(२) लरडी व बकरी को चरनोट छांटने में शामिल नहीं किया जाता है ।

श्री अमरसिंह--चरनोट कायम करने में जब लरडी-बकरी का विचार नहीं रखा गया तो एक एक गांव में हजारों लरडी-बकरियां होती हैं, वे कहां चरेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--पहले से जैसा उनके लिये निश्चित चला आ रहा है वैसा ही है, जैसा दूसरे पशुओं के लिये निश्चित हुआ है वैसा इनके लिये अवश्य नहीं है। पर खयाल उनका भी जरूर रखा ही जाता है ।

श्री मानसिंह महार--ऊंट और गधों का भी ख्याल रक्खा जाता है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--ऐसा सवाल आपकी तरफ की एक आध जगह को छोड़कर सामने नहीं आता ।

श्री अमरसिंह--क्या आधा बीघा एक मवेशी के लिये काफी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैंने अर्ज किया कि यह पर्याप्त समझा गया है। वैसे यह जमीन पर भी निर्भर करती है। अगर कम है तो ज्यादा भी रखने का सवाल हो सकता है ।

श्री हरिदेव जोशी--चरनोट के झगड़ों को देखते हुए सभी जगह इसकी तादाद निश्चित कर देने का क्या सरकार का इरादा है ?

Page No.14

श्री मोहनलाल सुखाडिया–यह प्रस्ताव सरकार के सामने है और इसको ध्यान में रखकर सरकार ने एक सर्क्युलर इश्यू (जारी) किया है कि जिस जगह झगड़ा पाया जावे वहां यह चरनोट निश्चित कर दिया जावे ।

श्री अमरसिंह—क्या इस बारे में मेवाड़ में सैटलमेन्ट हुआ था, उसके नियम इस विषय में देख लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जिले में कितने चरागाह हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां चरागाह का सवाल ही सामने नहीं आया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वहां मवेशी बहुत कम हैं इसलिये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मवेशी काफी हैं और गंगानगर का जिला भी इतना विभिन्न प्रकार का है और वहां इतनी ज्यादा जमीन पड़ी है सिवाय नहरी इलाके के कि चरागाह का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ।

श्री मोहनलाल भटनागर—क्या चरागाह कायम करते वक्त प्राइवेट बीड़ का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर वहां इस तरह का कोई बीड उपस्थित होगा तो वह जमीन अलोट करते समय जरूर ध्यान रखा जायगा ।

श्री मानसिंह नहार–चरनोट की जमीन अलाट करते वक्त कल्टीवेबल वस्ट जमीन है उसका भी ध्यान रखा जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जरूर ध्यान रखा जाता है ।

श्री भैरूंसिंह केलवा (डि० नं० १२)—क्या मेवाड़ में ऐसा नियम था कि १०० बीघा जमीन के पीछे १० बीघा चरनोट छोड़ी जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हां, यह पहले नियम था कि १०० बीघा जमीन के पीछे १० बीघा जमीन चरनोट छोड़ी जाय, लेकिन आजकल जितना जमीन पर प्रेशर है उसका आमतौर पर ख्याल रखा जाता है ।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १२)—क्या घास का भी ख्याल रखा जायगा या जमीन का ख्याल रखा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—घास और जमीन दोनों का ।

Page No.15

श्री भैरूंसिंह--पहाड़ी इलाके में इसके लिये क्या नियम रखे जायेंगे ? जो खेत हैं उनके अनुपात में जमीन छोड़ी जायगी या कैसे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जहां जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही कार्य किया जायगा, जैसे किसी इलाके में पहाड़ी इलाका ज्यादा है, खेतिहर इलाका कम है तो इन सब प्रश्नों पर डिटेल्स में गौर किया जायगा और बाद में तय किया जायगा ।

श्री मानसिंह महार--जिन गांवों में चरनोट की जमीन नहीं है और पड़त भी नहीं है वहां क्या करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--वह तो पहले ही फैसला किया जा चुका है ।

प्रश्न संख्या ६६

श्री जवानसिंह--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--
राजस्थान के किन किन जिलों के पटवारियों का एकीकरण नहीं हुआ है और क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--अभी एकीकरण सब स्थानों के अन्दर नहीं हुआ है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या पटवारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समझता हूं कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री जवानसिंह--इस प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब नहीं आया "क्यों" ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--क्योंकि इसके लिये जो नियम बनाये गये हैं उन नियमों के अनुसार जिन स्थानों के पटवारियों का एकीकरण नहीं हुआ वहां के पटवारियों की ट्रेनिंग के लिये सेन्टर्स खोले गये हैं, ताकि वे ट्रेन्ड हो जायं, उसके बाद एकीकरण कर दिया जायगा ।

श्री मानसिंह महार--किन किन जगहों का एकीकरण हो चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--एकीकरण इस वक्त तीन जिलों के अन्दर हुआ है; चूरू, नागौर और बांसवाड़ा का ।

श्री जवानसिंह--बाकी जिलों का एकीकरण कब तक हो सकेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अलग अलग डिवीजन्स में ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जा चुके हैं । ज्यों ज्यों ट्रेन्ड होते जायेंगे इन्टीग्रेशन का काम समाप्त हो जायगा ।

श्री जवानसिंह--पुराने जो पटवारी मौजूद हैं उनका एकीकरण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--उनके लिये नियम बन चुके हैं। उनके बारे में एक कमेटी सेट अप की जा चुकी है, ताकि वे इन्टीग्रेशन का कार्य समाप्त कर सकें।

श्री जवानसिंह--यह कमेटी कब नियुक्त की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अभी रिसेन्टली।

श्री धर्मपाल--इनको तनख्वाह किस मद से मिलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समझता हूं कि तनख्वाह का प्रश्न अलग है और एकीकरण का प्रश्न अलग है।

श्री मानसिंह महार--इस कमेटी का पर्सोनल क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अभी मैं पर्सोनल के लिये अर्ज नहीं कर सकता।

श्री मोतीराम--मेरे साथी का यह प्रश्न था कि इन पटवारियों को किस मद से तनख्वाह दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--राजस्व की मद से दी जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जिस जगह गांवों से वसूल की जाती है, वह सरकार को वापिस कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--आर्डर ! आर्डर !

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

१. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के पी.एम.ओ. श्री एस. के. मैनन का कार्य काल कितने अर्से के लिये बढ़ाया है ?

२. श्री मैनन की अब तक कितनी छुट्टियां बकाया हैं ?

३. क्या सरकार श्री मैनन को अमेरिका भिजवा रही हैं ?

४. बढ़े हुए कार्यकाल में से छुट्टियों का और अमेरिका के प्रवास काल का समय निकालने के बाद श्री मैनन को कितने दिन काम करना पड़ेगा ?

५. सरकार द्वारा श्री मैनन को अमेरिका भिजवाये जाने की क्या यह मंशा है कि उनकी सेवाओं से लाभ उठाने के लिये सरकार भविष्य में फिर उनके कार्य काल की अवधि बढ़ाने वाली है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)--(१) दो वर्ष के लिये।

२. लगभग चार मास।

३. जी नहीं। राकफेलर फौन्डेशन ने डाक्टर मेनन को मेडिकल शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये अमेरिका बुलवाया है।

४. १ वर्ष व ४ मास यदि डाक्टर मेनन ने अपने अवकाश का लाभ उठाया तो।

५. अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है और न ही प्रश्न उपस्थित हुआ है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--डाक्टर मेनन की इस वक्त क्या उम्र है ?

श्री रामकरण जोशी--५६ वां वर्ष चल रहा है।

श्री जवानसिंह--उनको अमेरिका भेजने से क्या फायदा होगा जब कि वे दो वर्ष बाद रिटायर हो जायगे ?

श्री रामकरण जोशी--गवर्नमेंट नहीं भेज रही है। राकफेलर फाउन्डशन जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है वह इनका खर्च उठायेगी और डा. मेनन अपनी छुट्टियों के समय में जायेंगे।

श्री रघुराजसिंह--उनकी जगह किसी और का नाम सिलेक्शन के लिये भेजा जाना चाहिये था।

श्री रामकरण जोशी--उनका नाम भेजा नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद ने इनका नाम सिलेक्ट किया।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह--उस पीरियड की तनख्वाह दी जायगी क्या ?

श्री रामकरण जोशी--वे अपनी छुट्टियों के काल में जायेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--इस वक्त इनको क्या तनख्वाह मिलती है ?

श्री रामकरण जोशी--यह प्रश्न इससे बिल्कुल भिन्न है।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह--जब उनको सिलेक्ट किया गया तो क्या उस वक्त यह सुझाव नहीं दिया गया कि ये तो रिटायर होने वाले हैं, किसी नौजवान आदमी को बुलाया जाय ?

श्री रामकरण जोशी--सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिया है, बल्कि रोकफेलर फाउन्डेशन वालों ने खुदने इनको चुना है।

श्री जवानसिंह--क्या सरकार इनके अवधिकाल को फिर बढ़ाने के विषय में सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी--यह प्रश्न नहीं उठता जब कि इनकी अवधि दो साल तक बढ़ायी जा चुकी है।

श्री भैरूंसिंह--क्या दो-दो साल की छुट्टियां भी बकाया रह सकती हैं, छुट्टियां लेप्स नहीं होती हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिये आप छुट्टियों के नियम पढ़ लें तो आपको पता चल जायगा।

श्री भैरू सिंह (वि० सं० १३)—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री रामकरण जोशी—आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १३)—मेरा प्रश्न यह है कि हर साल छुट्टियां लेप्स (lap) होती हैं या २ साल की छुट्टियां लेकर आदमी बाहर रह सकता है ?

श्री रामकरण जोशी—केजुअल छुट्टियां वर्ष में समाप्त में हो जाती हैं, लेकिन प्रिविलेज छुट्टियां रहती हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या और भी किसी डाक्टर की मयाद बढ़ाई गई है, राजस्थान में सिवाय डा. मैनन के ?

ले० क० श्री आर. एस दिलीपसिंह-प्रिविलेज लीव कितने वर्ष तक इकट्ठी कर सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—आप लीव रूल्स मंगाकर देख लीजिये।

जयपुर नगर में हड़ताल सम्बन्धी स्पष्टीकरण की मांग

श्री अध्यक्ष—Bill for consideration. We considered upto Clause 52, Rajasthan District Boards Bill, 1953.

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—Sir, before we proceed on this Bill I would request you to kindly to allow me, for information, to ask the Treasury Benches that we find the Chief Minister missing for the last two days. Whether he has gone to Delhi or to any .....

श्री अध्यक्ष—No, I have been informed that he is coming back today.

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—The situation, owing to 'hartal' in Jaipur City, we feel is deteriorating. From my private information I understand that the Government is coming down to its knee and unconditionally surrendering. No Government is functioning in Jaipur for the last so many days. Official information we have none but being the members of the legislature naturally we are concerned about the conditions in the capital city of Rajasthan. We feel that the Government will kindly.......

श्री अध्यक्ष—The Government will make a Statement tomorrow.

Page No.19

राजस्थान जिला मंडल विधेयक, १९५१ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

खण्ड ५३

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह एण्ड श्री मानसिंह ।

श्री चन्दनमल बैद—माननीय अध्यक्ष, यह दोनों के द्वारा पेश होगा या एक के द्वारा ?

श्री अध्यक्ष—Only by one

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष·····

श्री मानसिंह महार—क्या फरमाया साहब, मैं सुन नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष—Only one member can put in one motion and if it is a joint motion only one Member has a right to speak.

श्री मानसिंह महार—But it was not a joint motion.

श्री अध्यक्ष—To me it is given as a joint motion.

श्री मानसिंह महार—We gave two separate motions. That is no fault of ours.

श्री अध्यक्ष—Order ! Shri Bhairon Singh.

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—संशोधन इस प्रकार हैं—

"In clause 53 (1) in sub-clause (3) substitute the word 'fifteen' for the words 'twenty five' in line four."

"(2) In sub-clause (4) delete the words ' and no other person··············· under sub-section (5)' occurring after the words 'under this Section'."

"(3) Sub-clause (5) be deleted."

"(4) In sub-clause (6) delete the words 'save as provided in sub-section (4) and (5) ' in first line."

"(5) Sub-clause (13) be deleted."

"(6) Sub-clause (14) be deleted."

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज ५३ में मेरे ५ संशोधन हैं । क्लाज ५३ मह प्रोसीजर (pr.cedure) बताया गया है कि किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के

Page No.20

[श्री भैरोंसिंह]

चेयरमैन में यदि सदस्यों का अविश्वास हो तो उस अविश्वास के प्रस्ताव को किस तरह से मीटिंग के द्वारा पास कराया जाय ? उसके लिये एक प्रोसीजर होगा। वह सारा का सारा प्रोसीजर इस क्लाज में दिया गया है। इस क्लाज की सब-क्लाज (३) में यह लिखा है कि–

"The District Magistrate shall then convene a meeting for the consideration of the motion to be held at the office of the board, on the date and at the time appointed by him, which shall not be later than twenty five days from the date on which the notice under sub-section (2) was delivered to him.

इस पर मेरा यह संशोधन है कि '२५ दिन' की जगह '१५ दिन' का कार्यकाल निश्चित किया जाय। उसका मुख्य कारण यह है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में आता है तो उस के लिए सारे के सारे मेम्बर्स और उस डिस्ट्रिक्ट की सारी की सारी जनता चिंतित रहती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने ऐसा कौनसा कार्य कर दिया है कि जिस कार्य के कारण आज उसके मेम्बर्स उसमें अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं। जब अविश्वास का प्रस्ताव उनमें आजाता है तो चेयरमैन साहब ही नहीं बल्कि चेयरमैन साहब के साथ साथ जनता में भी जरा असन्तोष फैलता है क्योंकि जनता ने उन चेयरमैन साहब को चुन कर भेजा है। जिस वक्त उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर या मेम्बर्स का किसी कार्य के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, उस वक्त वे यह मोशन मूव करते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तावित करने के बाद यह मोशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक मीटिंग काल (call) करें उस मीटिंग की सूचना सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स को दें और वह सूचना कम से कम ७ दिन पहले दे देनी चाहिये। जो तारीख निश्चित की जाय उस मीटिंग के लिए, उस मीटिंग से ७ दिन पहले सारे के सारे सदस्यों के पास वह पहुंच जाय। लेकिन न मालूम किस बात के लिए इसमें अवधि रखी गई है २५ दिन की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट २५ दिन के अन्दर अन्दर वह सूचना दे सकता है, २५ दिन की उसे छूट है। जब नो कान्फिडेन्स का मोशन किसी चेयरमैन के खिलाफ आता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो १५ दिन में और चाहे तो २५ दिन में; चाहे जब उस मीटिंग को बुलाये। इससे एक जबरदस्त नुकसान होने वाला है और उस नुकसान का अनुभव इस सदन के माननीय सदस्यों को तो हो गया है। इस सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध विरोधी दल के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस वक्त वह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता, लेकिन महज डिलेइंग टेक्टिक्स (देरी करने की चाल) से वह नहीं हो सका। यही चीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपनाई गई है; डिलेइंग टेक्टिक्स अपनाई जाती है तो मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब अपने प्रभाव के कारण से दुनिया को बहका कर इस समय में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्य सदस्यों को किसी न किसी तरह अपने साथ कर लेंगे और अविश्वास के प्रस्ताव के लाने की जो मन्शा है वह पूरी नहीं हो सकेगी और बहुत मुमकिन है कि इस अरसे में बहुत दौड़ धूप करके अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है उसको गिराने का वे काम करें। इसको रोकने के लिए यह मेरा पहला संशोधन है।

दूसरा संशोधन सब-क्लाज (४) जो इस कार है—

"The District Magistrate shall arrange with District Judge for a stipendiary Civil Judicial Officer to preside at the meeting convened under this section." और

[श्री भैरोंसिंह]

उसके आगे लिखा है "and No other person shall preside thereat. If within half an hour from the time appointed for the meeting the judicial officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members by that officer under sub-section (5)." इसमें जब अविश्वास का प्रस्ताव किसी चेयरमैन के खिलाफ आ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उस प्रस्ताव के लिये किसी डिस्ट्रिक्ट जज को इस काम के लिए नियुक्त करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के बाद वह डिस्ट्रिक्ट जज तारीख निश्चित होने पर उसके पास जायेंगे। यह खुली छूट कर दी है कि यदि किसी कारणवश उस मीटिंग में उस निश्चित तारीख को नहीं जा सके तथा जो समय निश्चित किया है उसके आधा घंटे बाद में नहीं पहुंच जाय तो वह मीटिंग एडजोर्न कर दी जाय और एडजोर्न (Adjourn) करने के बाद दूसरी तारीख निश्चित की जाय और दूसरी तारीख की मेम्बर्स को इत्तिला दे दी जाय। यह अविश्वास का मामला बड़ा अहम मामला है। इस अहम मामले की किसी प्रकार की टाल नहीं होनी चाहिये। जो भी महानुभाव इस बात के लिए नियुक्त किये जायं उनको इस बात के लिये पाबन्द कर दिया जाय कि मामला अहमियत का है। इसमें आवश्यकता होती है कि अविश्वास के कारण जो चिन्ता हो रही है तो इस मामले को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें और इसका जल्दी से जल्दी परिणाम निकालने के लिए एक तारीख निश्चित की जाय और निश्चित तारीख के अनुसार वे वहां जरूर पहुंच जायं और दूसरी चीज यह है कि वे आधा घंटे के अन्दर पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो आधा घन्टे के बाद वह मीटिंग एडजोर्न कर दी जाय। तो इस आधा घन्टे के समय में पहुंचने के लिए यदि ५–७ मिनिट के लिए किसी की गाडी खराब हो गई, तांगा टूट गया, रेलगाडी लेट हो गई और लेट होने के कारण जज साहब नहीं पहुंच सके तो दूसरा आदमी उस मीटिंग को कन्वीन करके उस अविश्वास के प्रस्ताव का, जो भी निर्णय होगा वह प्राप्त कर सके। मैं जुडीशियल आफिसर के आचरण पर शक नहीं करता हूं, लेकिन हो सकता है कि जान बूझकर, किसी के प्रभाव में आकर वे अपनी मोटर को खराब कर दें, तांगा तोड़दें, गाडी लेट होने का बहाना करके मीटिंग को एक दफा एडजोर्न कर दें और चेयरमैन साहब से कह दें कि ५–१० दिन का समय दे दिया है; चाहो तो मेम्बर्स को अपना करलो। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि अगर जुडीशियल आफिसर वहां न पहुंच पायें तो दूसरे को अपाइन्ट करके किसी न किसी प्रकार मीटिंग कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि इस क्लाज में यह शब्द "and no other person shall preside thereat. If within half an hour from the time appointed for the meeting, the judicial officer is not present to preside at the meeting the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members by that officer under sub-section (5) "डिलीट किये जायं और इन शब्दों को डिलीट करने के लिए मैंने अपना यह संशोधन रखा है। इससे आगे मेरा एमेन्डमेन्ट सब-क्लाज (५) के सम्बन्ध में है। यदि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल आफिसर किसी कारण से उस जगह नहीं जा सकता है तो नहीं जाने के कारण को लिखकर वह मीटिंग एडजोर्न कर सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये और मीटिंग किसी भी कारण से एडजोर्न नहीं होनी चाहिये और इसी कारण से मैंने इस क्लाज को डिलीट करने का एमेन्डमेन्ट रखा है।

[श्री भरूसिंह]

सब क्लाज (६) में जिन शब्दों को डिलीट करने के लिये संशोधन रखा है उनकी आवश्यकता सब क्लाज (४) और (५) को डिलीट करने के बाद नहीं रह जाती, इसलिये इन शब्दों को डिलीट कर ही देना चाहिये :

"Save as provided in sub-section (4) and (5) "in first line of sub-clause (6).

अब इस क्लाज की सब क्लाज (१३) को डिलीट करने के बारे में मेरा संशोधन है। सब क्लाज (१३) इस प्रकार है :

"If the motion is not carried by a majority as aforesaid, or if the meeting cannot be held for want of a quorum, no notice of any subsequent motion of no-confidence in the same Chairman shall be received until after the expiry of a period of six months from the date of the meeting."

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे निवेदन यह करना है कि अभी मैंने दो-तीन बातें जुडिशियल ओफिसर की अपोइन्टमेन्ट के संबंध में, मेम्बरों को सूचना भेजने के संबंध में पेश की। मुझे यह निवेदन करना है कि जिस मीटिंग में नो कोन्फीडेन्स मोशन का निर्णय होना है उसकी सूचना यदि समय पर मेम्बर्स को नहीं मिली या चेयरमैन ने अपना इन्फल्युएन्स काम में लेकर कुछ सदस्यों को यह दिया कि तुम मीटिंग में हाजिर मत होना ताकि यह मीटिंग नहीं हो सकेगी और फिर छः महीनों तक मेरे खिलाफ अविश्वास का कोई प्रस्ताव नहीं आ सकेगा तो इसका मतलब यह होगा कि जिन कारणों से चेयरमैन के प्रति अविश्वास किया गया था वे कारण ज्यों के त्यों बने रहेंगे और वह अपनी मनमानी करता रहेगा और उसको अपनी इच्छानुसार काम करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। यदि मेम्बर्स को चैयरमैन के प्रति अविश्वास है तो उसको खुली छूट होनी चाहिये कि वे किसी भी समय उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और चेयरमैन को भी स्पोर्टसमैन स्प्रिट रखनी चाहिये और किसी भी समय यदि अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसका सामना करना चाहिये। ऐसा करने से चेयरमैन के ऊपर अंकुश रहेगा और वह जनहित के कार्य करता रहेगा और बोर्ड का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। यदि उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं रहा और ६ महीने के लिये उसे छूट देदी गई कि वह जैसा चाहे वैसा करे तो मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा और वहां पर अव्यवस्था फैल जायगी और जिस तरह की गड़बड़ियां आज सीकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चल रही हैं उसी तरह की गड़बड़ियां दूसरे बोर्डों में भी चलने लगेंगी।

अब उसके बाद सब क्लाज (१४) को डिलीट करने का मेरा संशोधन है। वह क्लाज इस प्रकार है :

"No notice of the motion of no-confidence under this section shall be received within twelve months of the assumption of office by a Chairman."

इसका मतलब यह है कि चेयरमैन बनने के बाद १२ महीने तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा। यह एक अजीब सी चीज मालूम होती है। जो आदमी आज चेयरमैन

Page No.23

[श्री भैरूंसिंह]

बना है वह कल ही ऐसा काम कर सकता है जिसके कारण जनता को उसके प्रति अविश्वास हो जाय और बोर्ड के सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें; पर इस क्लाज के रहते हुए वे ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। मान लीजिये कि इस चेयरमैन ने स्कूल, अस्पताल या और जनहित के कार्यों में लगाये जाने वाले रुपयों का गबन कर दिया हो या कुछ पुरानी फाइलों को उड़ा दिया हो या और कोई अनैतिक कार्यवाहियां कर रहा हो तो ऐसी हालत में यदि उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता है तो उसको इस तरह की कार्यवाही करने की खुली छूट मिल जायगी। ऐसी हालत में आज जो शख्स चेयरमैन इलेक्ट हो गया है उसको जिस तरह से पुराने जमाने में पट्टा दिया जाता था उसी तरह का पट्टा दे दिया जाता है कि १२ महीनों तक तुम जैसा चाहो वैसा करो। मेरे संशोधन का उत्तर देते हुए शायद माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने कल एक धारा पास की है कि सरकार जब चाहेगी तब चेयरमैन को पदच्युत कर सकेगी। लेकिन यदि सरकार उसे पदच्युत नहीं करना चाहे तो बोर्ड के सदस्यों के हाथ में तो कुछ नहीं रह जाता और इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही मिलता है और इससे जनता के हितों या पब्लिक इन्ट्रस्ट को आघात ही पहुंचता है। इसलिए इस क्लाज को डिलीट कर देना चाहिये ताकि मेम्बर्स को अधिकार रहे कि वे किसी भी समय चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। इससे चेयरमैन भी यह समझेगा कि मुझे साल भर का पट्टा नहीं मिला है; साल भर तो क्या, एक दिन का भी पट्टा नहीं मिला है। यदि पट्टा है तो नैतिकता का, चरित्र का और जनहित की भावना का पट्टा है। नहीं तो उस तरह का पट्टा देने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन मेरे संशोधनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और उन्हें मंजूर करेगा।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, क्लाज ५३ जो है वह एक बड़ा ही अहम का क्लाज है। इसके बारे में कुछ आपको भी गलत फहमी हो गई है कि मैंने और भैरूंसिंहजी ने एक ही तरह के एमेन्डमेन्ट पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल एक ही तरह के एमेन्डमेन्ट हैं एक ही दस्तखत हैं और कारबन कापी निकली हुई है जिनमें से एक पर आपने दस्तखत किये हैं और दूसरी पर श्री भैरूंसिंह जी ने।

There is nothing more in it. You can only support this. I can give you time to second it. They have been moved already.

श्री मानसिंह महार—यह तो आपकी मर्जी है आप जो फरमायेंगे उसका पालन करूंगा लेकिन हम दो आदमी बैठ कर..................

श्री अध्यक्ष—You both belong to one party and........

श्री मानसिंह महार—No, Sir, he is Jansanghist and I belong to Ram Rajya Parishad.

श्री अध्यक्ष –Your motions are only a carbon copy of Shri Bhaironsingh's amendment. They are written by his pen and you have only signed separately. I can't allow both of you to move. He moved in one particular way and you would move in another particular way. That is simply the waste of the time of the House. If you want to speak you can do so by seconding this motion.

श्री जवानसिंह—क्योंकि हमारे हाउस में एक ऐसा सवाल पैदा हो गया है जो वाद-विवाद का विषय है इसलिये मैं आपसे निवदन करूंगा कि आप उस पर अपना रूलिंग दें। जैसा कि अभी वाद-विवाद चल पडा है कि यदि दो सदस्य एक ही तरह के और एक ही भाषण में तरमीमात पेश करते हैं तो क्या इन रूल्स में कोई ऐसा प्रोविजन है कि क्योंकि वे एक ही वंहिग्ज में हैं इसलिये इन दोनों को मूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ? मैं रूल्स के विषय १३७ से १४३ तक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल १३७ में 'proposal of amendments' है और १३८ में 'Rules as to amendments' है। 'Order of amendments' रूल १४२ में दिया गया है और इस के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है कि यदि एक ही तरह के दो एमेन्डमेन्ट पेश किये जाते हैं तो उन्हें सदन के एक ही सदस्य को अधिकार होगा कि वह मूव करे और दूसरे को उसे मूव करने का अधिकार नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं ताकि ऐसे कई मामले सदन के सामने पेश हो सकते हैं जिनमें चाहेएक ही पार्टी के दो सदस्य हों वे एक ही तरह का एमेन्डमेन्ट पेश कर सकते हैं या नहीं ? इस मामले में एक सदस्य जनसंघ के हैं और दूसरे रामराज्य परिषद् के हैं। लेकिन यदि यह प्रश्न न भी माना जाय कि वे किस पार्टी के हैं तो भी मैं रूलिंग चाहता हूं कि वे किसी भी पार्टी के सदस्य हों यदि दो सदस्यों ने एक ही तरह का एमेन्डमेन्ट पेश किया है तो क्या रूल्स में कोई ऐसा प्रोविजन है कि उनमें से एक के एमेन्डमेन्ट नहीं लिये जांय ?

श्री अध्यक्ष —Any other member who wants to speak on it or should I give my ruling?

(विराम)

No body.

I think I am very clear. प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है कि एक क्लांज के ऊपर एमेन्डमेन्टस आएं और वे विभिन्न तरह के हों तो उनको पृथक पृथक मूव किया जा सकता है। किन्तु जहां दोनों संशोधन एक ही तरहके हों बिलकुल शब्दश: एक ही हों, ऐसी हालत में यह देखना होगा कि सदन के समक्ष दोनों संशोधनों को मूव करने के लिये इजाजत दी जावे। प्रस्तुत विषय जिस पर यह वाद-विवाद खडा हुआ है एक ही प्रकार के दो संशोधन जो अलग अलग नहीं लिखे गये और कारबन कापी से एक सदस्य ने लिख और एक कॉपी पर एक सदस्य ने दस्तखत कर दिये और दूसरी कॉपी पर दूसरे सदस्य ने दस्तखत कर दिये। इसमें कौन पहले बोल सकता है और अपना संशोधन मूव कर सकता है इसके बारे में प्रश्न खडा होता है। जब इस प्रकार का प्रश्न खडा होता है तो जो नियम हमारे यहां हैं कि दो क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिये उसी के अनुसार जो मोशन प्रथम आवेगा उसको पहले लिया जावेगा। अत: जिस प्रस्तावक ने पहले प्रस्ताव पेश किया हो वह पहले लिया जावेगा और दूसरे प्रस्ताव पेश नहीं हो सकेंगे। क्योंकि संसदीय प्रणाली की यह प्रथा है कि जितने भी वाद-विवाद होते हैं वे सदन

Page No.25

श्री अध्यक्ष

मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं होते और जो बोलने वाले होते हैं बोलते हैं और उनकी जो आवाज होती है वह अपनी आइडियोलोजी और विचार-धारा को सदन के सामने प्रस्तुत करता है और जो सदन में निर्णय होता है वह कानून के रूप में आता है। इसलिये जो मोशन पहले आवेगा वह पहले रखा जावेगा और इसके बाद दूसरा मोशन जो बिलकुल मिलते जुलते (आइडेन्टिकल) होंगे वे मूव नहीं किये जा सकेंगे। दूसरा मूवर को सपोर्ट कर सकता है और इसलिये उसके सपोर्ट में वह सेकिन्डर के रूप में बोल सकता है।

(कुं० श्री जसवन्तसिंह खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—एक ही एमेन्डमेन्ट को दो सदस्य मूव नहीं कर सकते। दूसरा उसको केवल सेकन्ड कर सकता है। प्रायोरिटी बाई वे ऑफ टाइम (Priority by way of time), पहले जो दफतर में एन्टर होगा उसको पहले मूव करने की इजाजत होगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—If that is the decision you have given we are bound by it but as far as rules are concerned and the practice that we have known and seen I feel that except that the ruling is not based on our Rules of Procedure.

श्री अध्यक्ष—Where Rules of Procedure are silent, the ruling of the Speaker is final and authoritative.

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फार्मेशन, सर, निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि भिन्न-भिन्न मूवर भिन्न-भिन्न पार्टियों को बिलोंग करते हैं तो ऐसी हालत में माननीय अध्यक्ष का क्या रूलिंग है, क्योंकि वे अपनी अपनी विचार धाराओं को व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—It is very clear priority [illegible] e से विचार-धारा का कोई सवाल ही नहीं रहता। उस पर अपनी विचार-धारा प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न बहुत सीधा है कि जब एक प्रस्ताव हाउस के सामने पेश कर दिया गया है तो फिर उसको दुबारा हाउस के सामने पेश करना कोई मतलब नहीं रखता जब वह प्रस्ताव हाउस में पेश होता है तब उस पर राय ली जाती है। जब संशोधन समान ही हैं तो फिर उनको हाउस में रखने से क्या फायदा? इसके अलावा यह बात कही गई कि अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग २ विचारधाराएं रखते हैं तो उनको अपनी विचार धारा को जाहिर करने के लिये सैकन्ड करने का मौका है और सैकन्ड करते समय अपने विचार उस पर रख सकते हैं। कोई भी पार्टी के आदमी हों, एक ही तरह के अलग अलग एमेन्डमेन्ट नहीं ला सकते। केवल एक ही एमेन्डमेन्ट हाउस में पेश हो सकता है। तीन आदमी एक ही तरह की बात करते हैं और उसको तीन बार पेश करते हैं, यह मोजूं नहीं होगा।

(रावत श्री मानसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

Page No.26

श्री अध्यक्ष–You come to the relevant amendment if you want to speak by way of seconding it.

रावत श्री मानसिंह—जो वाद-विवाद बड़ा हुआ है • ·····.........

श्री अध्यक्ष--I don't allow any more discussion.

रावत श्री मानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात का दुःख तो है और में व्यक्त करूंगा कि मेरे एमेन्डमेन्ट को मूव करने की मुझे इजाजत नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष–They have already been moved. You have only five minutes. If you waste your time I will close after five minutes.

रावत श्री मानसिंह---दूसरों को इजाजत दे दी गई कि मेरे एमेन्डमेन्ट को मूव करें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर हम २५ व्यक्ति २५ कोपीज टाइप से करावएं और···········

श्री अध्यक्ष–Order ! If you don't want to speak I would not allow you to speak on any other point.

रावत श्री मानसिंह---अगर आप बोलने नहीं देना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हम नहीं बोलें तो हमको भी श्री एच. के. व्यास के पास टौंक क्यों नहीं भेज दिया जावे ?

श्री अध्यक्ष–The Hon'ble Member will please keep the honour and dignity of the House.

रावत श्री मानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी कोशिश करता हूं यह करने की। मेरा जो क्लाज ५३ पर एमेन्डमेंट है, जिसे आपने फरमाया कि श्री भैरूंसिहजी का एमेन्डमेंट है, उसको में सेकिन्ड करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके बारे में मे । सदन से नम्र निवेदन है कि इसके अन्दर चेअरमेन में अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद जो कुछ प्रस्ताव की बहस के लिये क्लाज ५३ के सब-क्लाज (३) में २५ दिन की मयाद दी गई है वह बहुत ज्यादा है। उस मयाद को २५ दिन से कम करके १५ दिन रख दी जावे तो वह एक न्यायोचित चीज होगी। हो सकता है कि सदन में सत्तारूढ़ दलवालों को यह बात न्यायोचित नहीं दिखाई दे क्योंकि वे लोग मद में हैं लेकिन फिर भी में यह कहूंगा कि जब इस क्लॉज में यह प्रोविजन है कि ७ दिन पहले सब मेम्बरों को इसका नोटिस पहुंच जाना चाहिये कि फलां दिन नो कोन्फीडेन्स मोशन डिस्कस करने के लिये मीटिंग होगी तो डिस्ट्रिक्ट में में समझता हूं कि इस प्रकार के नोटिस को पहुंचने में ७ या ८ दिन से ज्यादा नहीं लगते। जब ८ दिन में मीटिंग का नोटिस पहुंच जाय तो ७ दिन का समय सोचने के लिये मिल जाता है। इसलिये में समझता हूं कि १५ दिन का समय बहुत है और इसीलिये हमने १५ दिन का समय अपने अमेन्डमेंट में रखा है और बहुत सोच विचार कर रखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि असेम्बली में जब नो कोन्फीडेन्स मोशन आता है तो विधान के अनुसार १४ दिन में उस पर डिस्कशन किया जाता है और जब असेम्बली में १४ दिन में डिस्कशन किया जा सकता है तो में कोई वजह नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आए तो उसको १५ दिन में डिस्कस नहीं किया जाए।

[रावत श्री मानसिंह]

इसके अलावा में एक बात यह बताना चाहता हूं कि अगर १५ दिन के बदले मयाद २१ दिन रखी जायगी तो कई प्रकार की तोड़-फोड़ और घृणित कार्यवाहियाँ होंगी। अभी मेरे मित्र ने फरमाया कि राजस्थान असेम्बली में जो अविश्वास का प्रस्ताव आया, उस अविश्वास के प्रस्ताव की अगर १४ दिन की मयाद नहीं होती और वह दो-तीन दिन में ही डिस्कस कर लिया जाता तो ट्रेजरी बैन्चेज का आज दूसरा ही रूप होता, लेकिन दुख की बात है अध्यक्ष महोदय, उस चीज को तोडा मरोडा गया, लोगों पर अनेक प्रकार के दबाव डाले गए। वे दबाव ऐसे घृणित प्रकार के थे कि जिनका यहां वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह सब होने पर भी जो नतीजा हुआ वह हमारे सामने है। उस नतीजे को देखते हुए में मेरे मित्रों से जिनको कि उन दबावों का शिकार होना पड़ा या जिन्होंने वे दबाव डाले उनसे भी कहूंगा कि इस प्रकार की घृणित कार्यवाहियां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमेन के चुनाव में अगर ज्यादा समय रखा गया तो होंगी। मैं तो इस मयाद को और भी कम करना चाहता था किन्तु चूंकि असेम्बली में भी अविश्वास के प्रस्ताव को डिस्कस करने के लिए १५ दिन के १४ दिन रखे गये तो मयाद ही काफी होगी। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को मंजूर करलें।

मैंने श्री भैरुसिंहजी के क्लॉज ५३ के सब-क्लॉज (३) में जो अमेन्डमेन्ट है उसके सपोर्ट में चन्द बातें कही हैं। अब इसी क्लॉज ५३ का सब-क्लॉज (४) जो है उसके अन्दर श्री भैरूसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसमें कहा गया है कि 'u [illegible]' आगे के सेक्शन को डिलीट कर दिया जाय। इसके बारे में मैं सदन से ज्यादा निवेदन न करके सिर्फ यही कहूंगा कि इसके अन्दर जो एक बात कही गई है वह बहुत ही खतरनाक है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि जो मीटिंग का समय रखा जाय उसके आध घन्टे के अन्दर जिन अफसर को नियुक्त किया जाय अगर वे नहीं पहुचेंगे तो उस मीटिंग को स्थगित कर दिया जायगा। कितने अर्से के लिए किया जायगा, यह नहीं कहा गया है। यदि घंटे आध घंटे देर से पहुचते हैं, सब ही मेम्बर्स को नोटिस मिल गया है और वे वहां पहुंच जाते हैं, या तो वह मीटिंग उस दिन शाम को हो जाय या दूसरे दिन होजाय, लेकिन इसमें यह रखा गया है कि फिर १५ दिन के अन्दर मीटिंग बुलाई जाय। तो इस प्रकार से अगर दबाव पड़ने से किसी प्रकार की रोक-थाम हो सकती है तो अविश्वास के प्रस्ताव की मयाद २५ दिन से बढ़कर सवा महीना हो सकती है, सवा महीने से बढ़ कर एक महीना और २५ दिन हो सकती है और उस तरह से वह चीज कई दिनों तक चल सकती है। तो इस प्रकार की चीज होना बड़ी खतरनाक है और इसीलिए हमने यह डिलीशन का प्रोवीजन रखा है। इसके बाद ५३ वें क्लॉज के सब-क्लॉज (५) को डिलीट करने का मैंने संशोधन रखा है। इसके बारे में मेरा यह कहना है कि इस क्लॉज को डिलीट करना बहुत ही वाजिब है क्योंकि अगर इस प्रकार का प्रोवीजन रखा जायगा तो, जैसा मैंने अभी कहा यह मीटिंग होगी ही नहीं। इसके बाद में बीच की बातों को उड़ा जाता हूं और जो पांच और छः में सब-क्लॉज(१३) और (१४) को-डिलीट करने की बात कही गई है उस पर आता हूं। यह भी एक निराली चीज है। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमेन, अध्यक्ष महोदय, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का विश्वास खो देता है, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स यह चाहते हों कि अमुक चेयरमैन में उनको विश्वास नहीं है तो भी इस सैक्शन के अन्दर यह प्रोवीजन रखा गया है कि उस चेयरमैन के विरुद्ध अ

[रावत श्री मानसिंह]

महीने में एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो फिर उसके विरुद्ध छः महीने तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बार विश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो इधर उधर की दौड़ धूप से या घृणित कार्यवाहियों से वह चेयरमैन उस अविश्वास के प्रस्ताव को वोइड कर देता है तो वह छः महीने के लिए और बना रह जाता है यानी वह बोर्ड में माइनोरिटी में रहते हुए भी छः महीने के लिये और चेयरमैनशिप पर डटा रह सकता है। इसके अलावा यह भी हक हो जायगा कि उसके खिलाफ छः महीने में कोई अविश्वास का प्रस्ताव मूव नहीं हो सकेगा। सब-सैक्शन (१४) के अन्दर प्रोवीजन रखा गया है कि एक बार अगर चेयरमैन का चुनाव हो जाय तो एक साल पहले तक तो उसमें अविश्वास का प्रस्ताव आवेगा ही नहीं। यह तो और भी अन्यायपूर्ण बात है। हो सकता है कि पहली मीटिंग में लोग न जानते हों कि यह फलां आदमी कैसा है? हम भी जब असेम्बली में आए तो लोगों से वकफियत कम थी, हमने भी कई गल्तियां कीं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले भी चेयरमैन के चुनाव में गलती कर सकते हैं। उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिये एक साल के लिये मेम्बरों को चुप रहना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, कि चेयरमैन में अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये इतना समय बढ़ाने की सरकार की क्या इच्छा है? उनकी इच्छा तो यही हो सकती है कि उनके चेयरमैन को सत्तारूढ़ रखा जाय। यह जो नीति है वह सरकार की उस कूटनीति से भरी हुई है। इस बात को हम मंजूर नहीं कर सकते कि चेयरमैन को इस तरह से सरकार बचाना चाहे और अगर सरकार की विरोधी पार्टी का चेयरमैन होगा तो एक साल की मयाद के अन्दर सरकार उस चेयरमैन को इनएफिशियन्ट करार देकर डिसमिस कर सकती है। इसलिये मैं यही कहूंगा कि मेरे मित्र श्री भरूसिंहजी के इन संशोधनों का, सब सदस्यों को, सर्व सम्मति से समर्थन करना चाहिये। यह दो शब्द कह कर अध्यक्ष महोदय, आपने जो मेरे खिलाफ रूलिंग दी है उसके प्रोटेस्ट में मैं पांच मिनिट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(इतना कहकर श्री मानसिंह महार सदन से बाहर गये)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--मेरा संशोधन इस प्रकार है :--

"In clause 53, sub-clauses (13) and (14) be deleted."

इन क्लॉजेज में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की प्रणाली बताई गई है और जिस तरह से इन सब क्लॉजों के द्वारा नो कान्फिडेन्स के मोशन को टेक अप किया जावेगा उसके बारे में मुझे काफी ऐतराज है।

इसके बारे में मेरे मित्र भरूसिंहजी ने भी एक संशोधन पेश किया है, इसलिये इसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो अपने संशोधन के बारे में ही कहूंगा।

सब-क्लॉज (१३) और (१४) के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेम्बर हैं उन पर एक तरह की रोक लगाई गई है, एक तरह का लिमिटेशन कर दिया गया है कि वे चेयरमैन के खिलाफ उसके कारण अविश्वास का प्रस्ताव ही नहीं ला सकेंगे। मैं सब-क्लॉजेज (१३) व (१४) को पढ़कर आपको सुनाता हूं:--

[श्री अवनि कुमार मुकर्जी]

"(13) If the motion is not carried by a majority as aforesaid, or if the meeting cannot be held for want of a quorum no notice of any subsequent motion of no-confidence in the same Chairman shall be received until after the expiry of a period of six months from the date of the meeting.

(14) No notice of a motion of no-confidence under this section shall be received within twelve months of the assumption of office by a Chairman."

सब-क्लॉज (१३) के अन्दर तो यह बताया गया है कि अगर किसी वजह से मीटिंग एडजोर्न हो जावे या सब-क्लॉज (१२) में जो मेजोरिटी बताई गई उसके अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव कैरीआउट (carry out) नहीं हुआ है तो आइन्दा ६ महीने तक चेयरमैन के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता। मेरे ख्याल में यह बिलकुल अनडेमोक्रेटिक क्लॉज है पर फिर भी यह किस आधार पर रखा गया है मैं माननीय मंत्रीजी से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं और पूछता हूं कि क्या और प्रदेशों के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कानून हैं क्या वे भी ऐसे ही हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो सब-क्लॉज (१३) है उसको कम्पलीटली डिलीट कर देना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का यह फन्डामेन्टल राइट है कि वे चेयरमैन में कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। इसको न हटाना मोस्ट अन्डेमोक्रेटिक है और ऐसा अन्डेमोक्रेटिक क्लॉज किसी भी डेमोक्रेटिक कहलाने वाले प्रदेश में नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा एतराज सदन के सामने पेश कर रहा हूं।

अब सब-क्लॉज(१४)के बारे में कहना चाहता हूं:–इसमें यह कहा गया है कि किसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण करने के बाद १२ महीने तक अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस क्लॉज के पीछे क्या जस्टीफिकेशन है? मैं समझता हूं कि इस क्लॉज द्वारा चेयरमैन को इनएफीशियेन्सी, करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन (inefficiency, Corruption & mal administration) का पट्टा दिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी और प्रदेश के कानून में ऐसा क्लॉज है क्या? यह तो हम जानते हैं कि नो कान्फिडेंस मूव करने का हरएक सदस्य का फन्डामेन्टल राइट है और इस राइट पर कभी भी और किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। मैं साथ ही यह बता देना चाहता हूं कि हमारे सदन में भी बिजनैस रूल्स हमारे बनाये हुये हैं, उनमें भी कहीं पर इस प्रकार की रोक नो कान्फीडेन्स मोशन लाने पर नहीं है। अगर कोई सदस्य चाहता है तो किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी समय नो कान्फिडेन्स का मोशन ला सकता है। यह उसका अधिकार है कि एक सैशन में दो बार भी ऐसा प्रस्ताव ला सकता है। ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, किसी मेम्बर पर कि वह नहीं ला सकता। इसलिये इस पृष्ठभूमि के साथ पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहूंगा? क्या ऐसी रोक दूसरे प्रदेशों के कानून में भी लगाई गई है? यह अन्डेमोक्रेटिक सब-क्लॉजेज हैं। इन्हें आप डिलीट करदें इसलिये कि हमारे प्रदेश में डेमोक्रेसी है और यह पास करना अन्डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक होते हुए अन्डेमोक्रेटिक कार्य करना हमारे लिये शोभाजनक नहीं है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Page No.30

श्री सर्नासह—संशोधन इस प्रकार है :—

In clause 53, substitute the words "unless it is signed by not less than two-third of the members of the Board" for the words "until after............ the meeting" occurring in the end of the sub-clause (13) of the clause."

दूसरा संशोधन यह है :—

Clause 53.

In clause 53, add the following new words at the end of the sub-clause (14) "unless it is signed by not less than two-third of the members of the Board".

माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज ५३ के सब-क्लॉज (१३) पर जो है वह यह है कि हमारे जिला बोर्ड के इस कानून में यह रक्खा गया है कि चेयरमैन के खिलाफ एक बार नो कान्फीडेन्स का प्रस्ताव आ जाने के बाद ६ महीने के भीतर कोई दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता और इसके साथ साथ यह भी है कि एक बार चेयरमैन का चुनाव हो जावे तो इसके बाद १२ महीने तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता जिसको दी जाती है उसको सत्ता के उपयोग करने का मौका दिया जाना चाहिये, इसमें संशय नहीं। पर वह सत्ता इस प्रकार की निरंकुश सत्ता नहीं होनी चाहिये कि जिसके कारण कि वह सत्ता का दुरुपयोग करने लगे। जो जनता का प्रतिनिधि है या जनता जिसे चुनती है उसके सिर पर उसी प्रकार घोड़े के बाल से बंधी हुई तलवार लटकती रहनी चाहिये कि जिससे उसे बराबर संशय या भय रहे कि यदि मैं कोई गलती करूंगा या सत्ता का दुरुपयोग करूंगा तो मेरे सिर पर लटकती हुई तलवार टूट कर मेरे सिर पर गिर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता हमेशा मनुष्य को मदांध कर देती है Power corrupts a man and absolute power corrupts a man absolutely. (सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता मनुष्य को पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है) तो इसलिये १२ महीनों तक यदि हम चेयरमैन को इस प्रकार की निरंकुशता दे सकते हैं कि जिससे उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता तो अच्छा भला आदमी भी अंकुश नहीं होने से निरंकुश बन सकता है। अगर इस १२ महीने में किसी भी सूरत में अगर वह नहीं हटाया जा सकता तो मैं कहूंगा कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है और इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है।

मैं मानता हूं कि सरकार के पास ऐसे भी प्रोवीजन्स हैं कि वह ऐसे चेयरमैन को उनके द्वारा हटा सकती है। पर सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक कितने ऐसे नियमों का या ऐसे अधिकारों का कितनी बार प्रयोग किया गया है और क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि उनके इन अधिकारों से बचकर रहनेवाले अनेक प्रकार के रास्ते निकाल लेते हैं और बहुत संभव है ये सब बातें सरकार के ध्यान न आती हों, अगर आती भी हों या लाई भी जाती हों तो महीनों तक तो सुनवाई ही नहीं हो सकेगी, महीनों तक उठावें ही नहीं ऐसे मामलों को या आपके ऑफिस रुटिन में ही वे कागज पड़े रह जावें; तो इस

[श्री तनसिंह]
तरह से इस चेयरमैन को तो १२ महीनों तक निरंकुश सत्ता चलाने का मौका मिलता है। अतः मैंने जो संशोधन रक्खा है वह वाजिब है।

यदि दो तिहाई बोर्ड के मेम्बरों के हस्ताक्षर कराकर अविश्वास का प्रस्ताव पेश करते हैं तो उस पर यह ६ महीने और १२ महीने की अवधि की बाधा लागू नहीं होनी चाहिये। इससे यह होगा कि जिन लोगों ने चेयरमैन को चुना है और जो प्रारम्भ में उस पर विश्वास रखते थे उनको भी अगर उस पर अविश्वास हो जावे और ऐसा समय उनके भी आ सकता है कि जब एक अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे और दूसरी ओर वह चेयरमैन भी एक बार सदस्यों का विश्वास प्राप्त करके भी दूसरी बार सत्ता का दुरुपयोग करने लग जावे तो वे लोग जिनको उसके प्रति पहले विश्वास था आज सम्भवतः उसके प्रति अविश्वास करने लग जावें और दो तिहाई होने पर चेयरमैन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लायें तो कम से कम यह अधिकार तो लोगों को दिया ही जाना चाहिये। मेरा ख्याल है कि दो तिहाई का बन्धन हो जाने पर अनावश्यक तौर पर जो अविश्वास के प्रस्ताव आया करते हैं वे नहीं आ सकेंगे। ऐसी सूरत में तो अविश्वास का प्रस्ताव तभी आवेगा जब बहुत ही आवश्यक होगा और इसलिये ये दोनों मेरे संशोधन जो मैंने इस ५३वें क्लॉज के १३ वें और १४वें सब-क्लॉज में रक्खें हैं बहुत वाजिब हैं, इसलिये मेरा सदन से और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसको स्वीकार करें।

श्री चम्पनमल चंद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्षजी, माननीय श्री भैरूंसिहजी, श्री अवनिकुमारजी और श्री तनसिंहजी ने जो क्लॉज ५३ पर अपने अपने संशोधन रक्खे हैं उनके संबंध में मुझे कुछ कहना है। पहला संशोधन यह है कि मीटिंग बुलाने की अवधि नोटिस मिलने से २५ दिनों की अवधि के बजाय १५ दिन की अवधि करदी जावे। पहले यह अवधि ३५ दिन की रक्खी गई थी और बाद में सोच विचार के बाद सिलेक्ट कमेटी ने इसे २५ दिन कर दिया। यह २५ दिन की ऐसी लिमिट है कि इससे कम रक्खा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें कई पार्टियां इन्वोल्वड हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, एस. डी. ओ. और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर। इस तरह ये चार पार्टियां इन्वोल्वड हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों को मीटिंग का सात दिन पहले नोटिस मिलना चाहिये। सब से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डि. जज से कन्सल्ट करके एक अधिकारी सिविल जुडिशियल ऑफिसर को अपोइन्ट (appoint) करेगा और फिर बोर्ड के मेम्बरों को सूचना भेजी जावेगी। इन सबके लिये २५ दिन की अवधि जरूरी है और फिर यह २५ दिन की अवधि भी कोई अनिवार्य हो, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी अगर इन्तजाम किया जा सकेगा तो पहले भी मीटिंग बुलाई जा सकती है लेकिन हर बात को देखते हुए यह जरूरी है कि २५ दिन की अवधि रक्खी जावे इसलिये सुविधा की दृष्टि से २५ दिन की अवधि रक्खी जाना जरूरी है और इसीलिये यह रक्खी गई है और इससे कम अवधि रखना संभव नहीं है।

दूसरा संशोधन आपका यह है कि मीटिंग के आध घंटे के अन्दर अगर जुडिशियल अफसर न आवे तो मीटिंग (स्थगित) नहीं होनी चाहिये। उनका ख्याल है कि जुडिशियल अफसर चेयरमैन के प्रभाव में आ सकता है और शायद वह समय पर नहीं आवे। लेकिन यही ख्याल रखकर ही तो जुडिशियल अफसर को रखा गया है अगर हम एग्जीक्यूटिव अफसर को रख देते हैं तो ग़लत फ़हमी हो सकती है कि वह चेयरमैन

[श्री चन्दनमल वैद]

के प्रभाव में आ जाय। चेयरमैन के प्रभाव में न आये, इसी ख्याल को रखकर जुडिशियल अफसर यहां रखा गया है। आप और हम सबको जुडिशियल अफसर का सम्मान रखना चाहिये, उनके कन्डक्ट पर हमें विश्वास होना चाहिये। इसलिये आपका यह संशोधन कोई मायने नहीं रखता। अतः यह संशोधन भी स्वीकार नहीं।

सब-क्लॉज (४) और (५) के संशोधनों का संबंध ऊपर के सब-क्लॉज के संशोधनों से संबंधित है इसीलिये इनको स्वीकार करना कोई मायने नहीं रखता।

दो संशोधन श्री अवनिकुमार मुकर्जी और भैरूंसिंह जी ने सब-क्लॉज (१३) व (१४) को डिलीट करने के लिये दिये हैं उनको मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद में श्री भैरूंसिंहजी से प्रार्थना करूंगा कि बाकी के संशोधन वे वापिस लेलें और हाउस से प्रार्थना करूंगा कि यह अमेन्डेड क्लॉज पास कर दिया जाय।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—आप मेरा संशोधन स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—आपका अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया गया है।

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष,बगैर किसी आलोचना के मैं कुछ पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कोई अमेंडमेन्ट पेश कर रहे हैं ?

श्री कानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) नहीं, अध्यक्ष महोदय, किन्तु जो स्पष्टीकरण माननीय उप-मंत्री ने दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। बतौर आपत्ति के मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो कानून डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बन रहा है इसी के उप-खण्ड (४) तथा (५) में जो जुडिशियल अफसर को शामिल किया गया है वह जैसा कि मैंने पहले कहा था जुडिशियल अफसर का काम गन्दी पोलिटिक्स में पड़ने का नहीं होता; इस तरह से जुडिशियल ऑफिसर को गन्दी पोलिटिक्स में घसीटने से जुडिशियरी के काम में एक प्रकार से दस्तनदाजी होगी। इसलिये उप-खण्ड (३), (४) तथा (५) को डिलीट कर दिया जाय जो वजूहात इसके लिए श्री भैरूंसिहजी ने पेश किये वे ही वजूहात मेरे हैं। Judicial Officer should not tackle dirty politics; जुडिशियल अफसर को गन्दी पोलिटिक्स हाथ में नहीं देना चाहये। जुडिशियरी को बिल्कुल स्वतंत्र रहने दिया जाय, इस प्रकार की गन्दी राजनीति से तो यह अच्छा रहेगा। आप इसकी जगह किसी अन्य अफसर को सोच विचार कर रख सकते हैं, जुडिशियल अफसर को इसमें हर्गिज नहीं आना चाहये। उन्हें दलबन्दी की गन्दी राजनीति में घसीटना उचित नहीं। उन्हें इससे अलग रखना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्रीजी ने जो आज मेरे संशोधन स्वीकार करके एकोमोडेटिंग स्पिरिट (accommodating spirit) बताई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन स्वीकार कर लिये गये और बाकी सब-क्लॉज (३), (४) तथा (५) को मानने के लिए कुछ आपत्ति बताई उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि शायद मेरे दृष्टिकोण को समझने में माननीय उप-मंत्री को कुछ कठिनाई हुई है। अतएव मैं कुछ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपने जो कुछ पहले कहा है उसको रिपीट न करते हुए कहिये ।

श्री भैरू सिंह (डि.नं.१६)--अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कहे हुए शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा । माननीय उप-मंत्री ने यह बताया कि जुडिशियल अफसर को विशेष तौर से इसलिये रखा गया है कि एक्जीक्युटिव अफसर पर अविश्वास हो सकता है, जुडिशियरी के अफसर में नहीं । जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमें जुडिशियल अफसर पर सन्देह नहीं करना चाहिये; किन्तु माननीय अध्यक्ष, आजकल का वातावरण ऐसा बना हुआ है कि इस वातावरण से जुडिशियल अफसर भी बाकी बचे नहीं रहते हैं । इस प्रकार के कई नमूने माननीय सदस्यों के सामने आये हैं । जहां २५ दिन की जगह १५ दिन की अवधि रखने का सवाल है उसमें जुडिशियल अफसर को यह अधिकार दिया गया है कि वह १५ दिन तक फिर बैठक स्थगित कर सकता है । जब २५ दिन का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया और फिर १५ दिन जुडिशियल अफसर मीटिंग को एडजोर्न कर देता है तो इस तरह से ४० दिन की अवधि अविश्वास प्रस्ताव के आने पर हो जायगी और इन चालीस दिनों में कोई भी तारीख उस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तय होगी । मैं इस प्रकार जो डिले की टेक्टिक्स बरती जा रही हैं उसका विरोधी हूं । इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इसका आर्थिक वातावरण पर भी काफी असर पड़ेगा । एक दफा मेम्बर्स आ जाते हैं और जुडिशियल अफसरों के कारण जब मिटिंग की कार्यवाही आगे चली जाती है तो फालतू खर्च होता है और जो १५ दिन की अवधि उस प्रस्ताव के पेश करने में मिलती है उस अवधि का फायदा चेयरमेन उठा सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर पहले दिन जुडिशियल ऑफिसर मीटिंग में भाग नहीं ले सकता तो उसको दूसरे दिन मीटिंग बुलानी चाहिये । इस प्रकार आर्थिक कठिनाई के साथ साथ, सरकार की विलंब करने की टेक्टिक्स के कारण चैयरमैन अपने प्रभाव को काम में ला सकता है । अगर दूसरे दिन भी कर लिया जाय तो उसे इस प्रकार का मौका नहीं मिलेगा । इस प्रकार मेम्बर्स अपने स्वतंत्र विचार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रख सकेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । इसलिये जहां २५ दिन की अवधि रखी गई है वहां १५ दिन की अवधि करदी जाय और जुडिशियल अफसर के लिए जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री तर्नसिंह--जब सब क्लॉज (१३) और (१४) डिलीट हो चुके तो मेरे संशोधन रिडन्डैन्ट हो चुके ।

श्री अध्यक्ष--House has not given leave.

श्री तर्नसिंह--But it should be assumed. इसलिये मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--क्या श्री तर्नसिंह को अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की सदन की आज्ञा है ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई ।

श्री तर्नसिंह--मैं अपने तीनों संशोधन वापिस लेता हूं ।

Page No.34

श्री अध्यक्ष—Shri Abani Kumar Mukerji, do you withdraw or press ?

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—My amendment has already been accepted; as such the question of withdrawal does not arise.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh regarding sub-clauses (3), (4), (5) and (6) of clause 53 be accepted. I will put separately.

(विराम)

The question is that amendment to clause 53 (3) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that amendment to clause 53 (4) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that amendment to clause 53 (5) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that amendment to clause 53 (6) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendments regarding deletions of sub-clauses (13) and (14) be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted. Hence the sub-clauses (13) and (14) are deleted.

(विराम)

Now the question is that clause 53, as amended, be accepted.

Page No.35

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 53, as amended, is added to the Bill.

खण्ड ५४

Clause 54, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (वि० स० १६)–माननीय अध्यक्ष, क्लोज ५४ की सब-क्लॉज (४) के डिलीशन (निरसन) के लिए मेरा यह संशोधन है। क्लॉज ५४ के द्वारा किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग का कोरम निर्धारित किया गया है और उसमें इस प्रकार की एक क्लॉज रखी है कि यदि कोई स्पेशल रिजोल्युशन (विशेष संकल्प) से किसी कार्य को उसमें लाना है तो उसमें तमाम मेम्बरों की संख्या से आधे मेम्बरों का उस मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिये और साधारण रीति से जो बिजनेस हो उसके लिए समस्त मेम्बरों की संख्या की तिहाई संख्या का कोरम होना चाहिये। जो तादाद निर्धारित की गई है उससे मुझे कोई एतराज नहीं है; सब-क्लॉज (१) और (२) में जो चीज है उससे मेरा कोई एतराज नहीं है सब क्लॉज (३) में है उससे भी मेरा कोई एतराज नहीं है; लेकिन सब क्लॉज (४) के अन्दर लिखा हुआ है कि, "Whenever the business to be transacted at a meeting is partly such as to require the quorum prescribed by sub-section (1)............" सब क्लॉज (१) के अनुसार स्पेशल रिजोल्युशन (विशेष संकल्प) से जो काम होता है उसमें यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो उसके लिए है और "and partly such as to require the quorum prescribed by sub-section (2)" सेक्शन (२) में जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके लिए है; तथा "and the former class of business has to be postponed for want of the prescribed quorum, it shall not be necessary also to postpone the latter class of business if the quorum necessary for its transaction is present." मैं समझता हूं कि सब क्लॉज (१), (२) और (३) की यह सारी बातें सब-क्लॉज (४) में दी हुई हैं, जो नहीं देना चाहिये। पहले सब-क्लॉज (१) में दिया हुआ है कि यदि किसी मीटिंग में स्पेशल रिजोल्युशन के द्वारा काम होने वाला है और साधारण रीति से भी डिस्ट्रिक्ट का काम अशंतः होने वाला है तो उस मीटिंग में कैसे खयाल रखें? उस पर स्पष्ट किया हुआ है कि स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा किसी काम को करना है तो आधे मेम्बर्स होने चाहियें और आर्डिनरी वे में करना है तो १/३ मेम्बर्स होंगे। जब आधे मेम्बर्स नहीं होंगे तो आर्डिनरी कोर्स का रोजमर्रा का काम करना होगा और मीटिंग एडजोर्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर वहां स्पेशल रिजोल्युशन के द्वारा कोई काम करना है और वह कोरम पूरा नहीं होता है तो वह काम उस मीटिंग में अपने आप एडजोर्न कर दिया जायगा। बाकी का काम जो बचता है और यदि १/३ का कोरम उस जगह है तो सारा काम हो जायगा। इसलिए सब-क्लॉज (४) बिल्कुल निरर्थक है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस संशोधन के बारे में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्लॉज ५४ पर जो संशोधन पेश किया है अगर वे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते तो उन्हें संशोधन रखने की जरूरत नहीं होती . . . .

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—पढ़ कर संशोधन रखे हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, विधि)—ध्यान से नहीं पढे हैं।

सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लॉज के लिये लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी ने यह जरूरी समझा कि केवल किसी बहाने से ऐसा काम पोस्टपोन (स्थगित) न हो जाय जो कि कोरम के कारण से हो सकता हो। इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिये अगर एक काम ऐसा है कि आधे मेम्बरों की संख्या के बगैर नहीं हो सकता है और कुछ ऐसा है कि जो १/३ से भी हो सकता है तो इस क्लॉज के अनुसार आधे मेम्बरों का कोरम नहीं है तो १/३ मेम्बरों की संख्या से जो काम होने वाला हो उस काम को भी पोस्टपोन नहीं कर दिया जाय। इस वास्ते उसको एन्श्योर (Ensure) करने के लिये और केवल किसी गलतफहमी से उस काम को स्थगित नहीं किया जाय, इस क्लॉज में रखा गया है। सिलेक्ट कमेटी ने यह जरूरी समझा है कि इस क्लॉज को क्लियर (स्पष्ट) किया जाय, इस क्लॉज पर जोर दिया जाय। तो उसको एन्श्योर करने के लिए, इस बात को रखने के लिए कि वक्त पर इस बात के क्लियर नहीं होने के कारण से किसी काम को इल्लीगली (Illegally) एडजोर्न नहीं कर दें, इसलिए इस क्लॉज को रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस क्लॉज से काम में सहूलियत पैदा होगी और दिक्कतें पैदा नहीं होंगी। इसलिये इस क्लॉज को रखना चाहिये और मैं श्री भैरोंसिंहजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री ने इस संशोधन के संबंध में महज एक दलील दी है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बात पर विचार करके ऐसी क्लॉज रखी है। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जितने भी सदस्य थे उनकी योग्यता के बारे में मुझे कोई शक नहीं है; लेकिन जो संशोधन मैंने २० सदस्यों के बजाय १६० माननीय सदस्यों के सामने रखा है हो सकता है २० सदस्यों में १६० सदस्यों में कोई बात पर मतभेद हो, और कुछ न कुछ होने की संभावना होने के कारण ही मैंने अपना संशोधन रखा है। २० आदमी गलती कर सकते हैं, लेकिन सब सदन के माननीय सदस्य विचार करें तो उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने जो प्रस्ताव किया है कि सब-क्लॉज (४) बिल्कुल सुपरफ्लुअस (निरर्थक) है, उसका मुख्य कारण यह है कि सब-क्लॉज (१) और सब-क्लॉज (२) दोनों में दिया हुआ है कि स्पेशल रिजोल्युशन के काम में इतना कोरम होगा और ऑर्डीनरी कोर्स में किसी काम को पास करवाना है तो इतना कोरम होगा। यह मानी हुई बात है कि स्पेशल रिजोल्युशन और आर्डिनरी कोर्स दोनों का काम होता है और स्पेशल रिजोल्युशन के काम का कोई कोरम पूरा नहीं होता है तो आर्डीनरी कोर्स में जितना बिजनेस आयेगा वह अपने आप लिया जायगा। इसको ऐसी चीज बनाने और एन्श्योर (Ensure) करने की आवश्यकता क्या है ? इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। दोनों क्लॉजेज से भी स्पष्ट हो जाता है और किसी तरह का गलत इन्टरप्रिटेशन (Interpretation) इसका नहीं हो सकता है। इन सारी बातों के आधार पर इस चीज को रखने से विशेष फायदा नहीं है। यह सुपरफ्लुअस (निरर्थक) है, इसलिये इसको हटा दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री विधि)—नुकसान तो नहीं है।

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)—फायदा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to clause 54 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that clause 54 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 54 is added to the Bill.

खण्ड ५५

Clause 55—Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिह—क्लॉज ५५ में मेरे दो एमेंडमेंट इस प्रकार हैं "In clause 55 substitute the word 'them' for the words 'their number'.

In clause 55 insert the word 'The' between the words 'at' and 'meeting' in the last line." क्लाज ५५ में लिखा है :

"If at a meeting neither the Chairman nor the Vice-Chairman is present the members present shall elect one of *their number* to be the Chairman of the meeting and such Chairman shall perform all the duties and may exercise all the powers of the Chairman of a Board when presiding *at meeting.*" "देयर नम्बर" की जगह मैंने लिखा है "देम"। दूसरा है :—

'the' between the words 'at' and 'meeting'—

so it will be 'when presiding at the meeting.'

'एट मीटिंग' की जगह मैंने बीच में 'दी' लिखा है यानी 'एट दी मीटिंग'। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इनको एक्सेप्ट (स्वीकृत) करलें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendments put in by Shri Bhaironsingh in clause 55 be accepted.

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

Page No.38

[श्री अध्यक्ष

(विराम)

The question is that clause 55, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 55, as amended, is added to the Bill.

खण्ड ५६-५९

Clauses 56, 57, 58 and 59.

(विराम)

The question is that clauses 56 57, 58 and 59 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 56, 57, 58 and 59 are added to the Bill.

खण्ड ६०

Clause 60 Shri Tan Singh

श्री तनसिंह—मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Add the following new words at the end of the sub-clause 60 (1): 'which shall be opened at all reasonable times for inspection of any inhabitant of the District.'"

इससे मेरा अभिप्राय यह है कि क्लाज ६० के सब क्लॉज (१) में एक मिनिट बुक प्रोवाइड (Minute book provide) करने के लिये नियम है जिसके अनुसार एक इस प्रकार की मिनिट बुक तैयार की जायगी जिसमें बोर्ड के रिजोल्यूशन और उसकी जो प्रोसिडिंग्ज हैं वे उसमें लिखी जायेंगी। टाउन म्युनिसिपेलिटीज और पंचायतों वगैरह में सब जगह ऐसा आम रिवाज है कि जो प्रोसिडिंग्ज बुक्स होती हैं वे पब्लिक के इन्सपेक्शन के लिये हर समय रीजनेबल टाइम (उचित समय) तक खुली रहती हैं। मेरे इस संशोधन से यह अभिप्राय है कि जो मिनिट बुक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हों वे भी रीजनेबल टाइम के लिये डिस्ट्रिक्ट के किसी भी निवासी के लिये खुली रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं और मंत्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

मेरा दूसरा संशोधन इसी क्लॉज के सब क्लॉज ५ (ब) में है। यह सब क्लॉज इस प्रकार है:—

"60 (5) (b)-except by a resolution supported by not *less* than one-half of the total number of members of the Board for the time being."

[श्री तनसिंह]

इसमें मैंने "not less than" की जगह "more than" लगाया है। "By more than one half of the total member" किया जाने से यह होगा कि कोई भी रिजोल्युशन जो बोर्ड ने एक बार पास कर दिया है उसे मोडिफाइ या केन्सिल करने के लिये कोई भी ऐसा रिजोल्युशन ६ महीने के भीतर नहीं पेश हो सकता।.............

श्री अध्यक्ष—क्या इतने से कम नहीं होना चाहिये? इससे काम नहीं चलेगा?

श्री तनसिंह—In all legal phraseology: इतने से कम नहीं होने से यह होगा कि यदि आधे आदमी दस्तखत कर देंगे तो..............

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—On a point of explanation, Sir, he has suggested the substitution of the word '*more*' for the words '*not less*'.

श्री अध्यक्ष—He is explaining himself.

श्री तनसिंह—मेरे इस संशोधन से यह अभिप्राय है कि अभी जो शब्द हैं उनसे यह अर्थ निकलता है कि बोर्ड के अन्दर यदि २० सदस्य हैं तो १० सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव जो उन्होंने ६ महीनों पहले पास किया था, मोडिफाइ या कैंसिल किया जा सकेगा। यह ऐसी बात है कि जिस बात पर यहां मेजोरिटी भी नहीं होती है यदि १० आदमी पास कर दें और अध्यक्ष कास्टिंग वोट (Casting vote) देना न स्वीकार करें तो बराबर की स्ट्रेन्थ पर भी किसी ऐसे प्रस्ताव को मोडिफाइ या कैंसिल करने का हक हो जायगा। ऐसी सूरत में यदि 'more' शब्द रखा जाता है तो उससे यह होगा कि आधे से ज्यादा, यानी अगर किसी बोर्ड में २० सदस्य हैं तो उनमें से यदि ११ सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे तो वह रिजोल्युशन मोडिफाइ या केन्सिल (संशोधित या रद्द) हो सकेगा। "except by a resolution supported by *more* than one-half of the total number of members of Board."

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज ६० के सब-क्लॉज (५) को डिलीट करने का है। संशोधन इस प्रकार है:

"In clause 60 sub clause (5) be deleted"

इस क्लाज में यह लिखा है कि:—"60 (5)—A resolution of a Board shall not be modified or cancelled within six months after the passing thereof." इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रस्ताव जिसे बोर्ड ने स्वीकृत किया है ६ महीने से पहले न तो एमेन्ड किया जा सकता है और न कैंसिल किया जा सकता है सिवाय दो शर्तों के जिनमें से पहली तो यह है कि पूरे कारणों सहित पहले नोटिस दिया गया हो और दूसरा यह कि आधे यानि half of the total number of members उसे सपोर्ट न करते हों। इन शर्तों के अलावा ऐसे प्रस्ताव का मोडिफिकेशन या केन्सीलेशन नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि आज कोई प्रस्ताव पास किया गया है और उसके तुरन्त बाद ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसके कारण उस प्रस्ताव का मोडिफिकेशन या केन्सलेशन आवश्यक हो गया हो तो ऐसी

[श्री भैरोंसिंह (१३)]

सूरत में क्या किया जायगा ? मान लीजिये किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में दो दल हैं। एक दल चाहता है कि टेक्स लगाना चाहिये और दूसरा दल कहता है कि टेक्स नहीं लगाना चाहिये तो टेक्स लगाने वाले दल का बहुमत होने के कारण वह प्रस्ताव पास हो जाता है और टेक्स लग जाता है। उसके तुरन्त बाद ही ऐसा होता है कि जो दल पहले बहुमत में था वह अल्पमत में हो जाता है और जो अल्पमत में था वह बहुमत में हो जाता है; अगर वह बहुमत में हो जाने वाला दल यह चाहता है कि टेक्स नहीं लगना चाहिये और इसलिए पहले वाले प्रस्ताव को रद्द करना चाहता है तो वह इस क्लॉज के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यह दोनों शर्तें विशेष फायदेमन्द नहीं हैं, इस प्रकार के क्लॉज़ बनाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस क्लॉज का अंकुश रहने के कारण बहुमत वाला दल भी इसे एमेन्ड नहीं कर सकता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं उप मंत्रीजी इसके जवाब में कहेंगे कि हमने इसके लिये दो सहूलियतें रख दी हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह पब्लिक सेवा की चीज है। किसी रिजोल्युशन को मोडिफाइ या केन्सिल तभी किया जा सकेगा जब कि बहुमत होगा और अल्पमत वाले मोडिफाइ या केन्सिल नहीं कर सकेंगे ऐसी सूरत में मेजोरिटी हो जाने पर भी कंसलेशन और मोडिफिकेशन के प्रोविजन रखने की आवश्यकता क्यों है ? लोग यदि पक्ष में होंगे तभी मोडिफाइ किया जा सकेगा, नहीं तो नहीं किया जायगा यह बिना वजह की क्लॉज है। अतः डिलीट करने का एमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय तनसिंहजी और भैरोंसिंह जी ने संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। तनसिंहजी का पहला संशोधन जो मिनिट बुक के सिलसिले में है उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, यदि थोड़ा इस तरह कर दिया जाय और मैं समझता हूं इसमें उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। "Copies of the Minute Book" कर दिया जाय। "True Copies" से मेरी मंशा यह है कि यदि मिनिट बुक की ओरीजिनल कॉपी वहां रखी जायगी और सारे लोग उसे देखेंगे तो वह जल्दी खराब हो जायगी, इसलिए उनकी "True Copies" रखने से भी उनकी मंशा हल हो जाती है। मैं समझता हूं इसे स्वीकार करने में श्री तनसिंह को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह फिर इस प्रकार हो जायगा। "A true copy of which shall be opened at all reasonable times for inspection of any inhabitant of the District." दूसरा संशोधन जो उनका है "not less" के बजाय "more" करने का उसके बारे में निवेदन है कि यह लीगल लेंग्वेज है इसलिये ये शब्द रहने ही चाहिये।

मैं श्री भैरोंसिंह की दलील का जो उत्तर देने वाला था उसे उन्होंने पहले ही बता दिया है इसलिये मैं सदन का समय नहीं लूंगा। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लेने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhairon Singh to with draw his amendment ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.41

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री तनसिंह—पहले संशोधन के बारे में जैसा उप-मंत्रीजी ने बताया वैसा करने में मुझे ऐतराज नहीं है और मैं अपना दूसरा संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Tan Singh to withdraw his second amendment.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई ।

श्री तनसिंह—I withdraw my second amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that the 1st amendment of Shri Tan Singh, as amended by Shri Vaid, be accepted.

(स्वीकृत)

The amended amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 60, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 60, as amended, is added to the Bill.

खण्ड ६१

Shri Bhairon Singh, clause 61.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्षजी, क्लॉज ६१ में मेरा एमेंडमेंट इस पूरे क्लॉज को डिलीट करने का नहीं था । हो सकता है कि मेरी गलती रही हो या टाइप की गलती रही हो । मेरा एमेन्डमेन्ट इस क्लॉज के पार्ट (४) को डिलीट करने का था ।

श्री अध्यक्ष—There is no sub-clause (4.)

श्री भैरोंसिंह—क्लॉज ६१ (१) (अ) का पार्ट (४)

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ६१ के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक एग्जिक्युटिव कमेटी होगी; उसके बारे में कुछ लिखा है कि उसमें कौन कौन सदस्य होंगे । यह लिखा है कि "चेयरमेन ऑफ दी बोर्ड, (Chairman of the Board), वाइस चेयरमेन ऑफ दी बोर्ड (Vice Chairman of the Board), three members of the Board elected by the Board and the Chairman of such Committees established by the board under sub-section (2) as may be notified by the State Government."

Page No.42

[श्री भैंरोंसिंह]

तो इस एग्जिक्युटिव कमेटी में चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे और बोर्ड द्वारा चुने हुए बोर्ड के तीन सदस्य होंगे। इसके अलावा उन सब कमेटियों के चेयरमेन होंगे जिनको बोर्ड ने अलग अलग तरह के काम करने के लिये बनाया है। पूरा का पूरा बोर्ड सब तरह का काम नहीं कर सकता, इसलिये बोर्ड को शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य कामों के लिये सब-कमेटीज् बनानी पड़ेगी और इनकी संख्या काफी अधिक होगी। इन सब कमेटीज के चेयरमेन को एग्जिक्युटिव कमेटियों का मेम्बर बनाना कहां तक उचित होगा, यह सोचने की बात है। यह एक रहस्यमय बात है।

मान लीजिये कि एक खास सब-कमेटी की नियुक्ति हुई और वह तीन महीनों के लिये थी जो आयुर्वेदिक औषधालयों की देख-रेख करने के लिये मुकर्रर की गई थी। उस कमेटी का चेअरमेन एक आदमी को बनाया गया। इसी प्रकार दूसरी एक और कमेटी बनाई गई जो कूए खुदवाने और उसकी मरम्मत का काम देखे। उस कमेटी का भी जो चेयरमेन होगा वह भी एग्जिक्युटिव कमेटी का सदस्य होगा। लेकिन ये कमेटियां तो तब तक काम करती रहेगी जब तक उनका काम होगा और जब काम समाप्त हो जावेगा उस समय उनके सदस्य और चेयरमेन भी नहीं रहेंगे।

एग्जिक्युटिव कमेटी में तो परमानेन्ट मेम्बर्स ही रहने चाहिये और वह एग्जिक्युटिव कमेटी परमानेन्ट सदस्यों (मेम्बरों) की ही होनी चाहिये। इस कमेटी का काम पालिसी निर्धारित करना होता है। यदि इस कमेटी में इस प्रकार सदस्य घढते बढते रहें तो मैं समझता हूं कि काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि अलग अलग कमेटियों के चेयरमेन अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति होंगे। उनकी विचार-धारा और एग्जिक्युटिव मेम्बरों की विचार धारा में मतभेद होगा, तो काम ठीक तरह से नहीं होगा। इसके अलावा एग्जिक्युटिव कमेटी के सदस्यों का काम सिलेक्ट कमेटियों के कामों पर कन्ट्रोल करना भी होता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को एग्जिक्युटिव कमेटी से बाहर रखना चाहिये। अलग अलग सब-कमेटियें ८-१० बनती हैं और बहुत ज्यादा सदस्य हो जावेंगे और जब ज्यादा सदस्य होंगे तो आपस में मतभेद होगा और वाद विवाद बढ़ेगा और वह शांत वातावरण जो हम चाहते हैं वह नहीं बनेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के चेयरमेन को एग्जिक्युटिव में नहीं रखा जावे।

(घंटी)

श्री सर्नासिंह—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में जो एमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है :—

"In clause 61 insert the words 'and withdraw' between the words 'delegate' and 'such' occurring in the proviso of sub-clause (1)".

यह मेरा संशोधन इसलिये है कि " and withdraw " शब्द बीच में जोड़ने से एग्जीक्युटिव कमेटी को अपनी ड्युटीज और फंक्शन्स को तहसील कमेटी या दूसरे बोर्ड के अधिकारियों को स्थानान्तरित करने और वापिस लेने का अधिकार मिल जाता है। इसलिये इसका होना बहुत जरूरी है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)--स्वीकार है।

श्री तनसिंह--मेरा दूसरा एमेन्डमेन्ट सब-क्लॉज (२) के (बी) में है जो इस प्रकार है :--

"In clause 61, insert the words 'in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote' between the words 'manner' and 'such' occurring in (b) of sub-clause (2)."

क्लॉज ६१ (२) (बी) में जो शब्द "prescribed manner" (प्रेस्काइब्ड मेनर) शब्द दिये गये हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि सरकार इलेक्शन करने के लिये कुछ रूल्स (नियम) बनावेगी और उस समय यदि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का सिद्धान्त उन नियमों में रखने का आश्वासन न दे तो ठीक है अन्यथा मेरे संशोधन में उक्त सिद्धान्त की बात जो मैंने रखी है बहुत मदद देगी। इससे यह होगा की दूसरे पार्टी के लोग भी अपनी पार्टी को मजबूत बनावेंगे और सब पार्टीज के लोग उसमें आवेंगे जो अपने विभिन्न दृष्टिकोणों से कमेटी को लाभ पहुंचाएंगे और अपना सहयोग देंगे।

मेरा तीसरा संशोधन इस प्रकार है :--

"In clause 61, insert the words 'supported by two thirds of the total members of the Board' between the words 'resolution' and 'remove' occurring in (c) of sub-clause (2)".

यदि मेरा दूसरा संशोधन मंजूर हो जाता है तब इस एमेंडमेंट की जरूरत है और यदि वह मंजूर नहीं किया जाता है तो इस एमेंडमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार का संशोधन होने से यदि हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन (proportionate representation) के द्वारा कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद किसी को साधारण रिजोल्यूशन से हटा देते हैं तो वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का सिद्धान्त मारा जाता है।

बस इतना ही कह कर मैं यह निवेदन करूंगा कि ये संशोधन मंजूर किये जावें।

श्री शंभूसिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरूसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उस पर मैं अपने दो शब्द प्रकट करना चाहता हूं। क्लॉज ६१ में यह रखा गया है कि एग्जिक्युटिव कमेटी के ५ सदस्य होंगे :

एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और तीन अन्य सदस्य, इसके अलावा सब-कमेटियों में जो चेयरमैन होंगे वे भी एग्जिक्युटिव कमेटी के सदस्य होंगे। इस चीज का मैं घोर विरोध करता हूं। यदि सब-कमेटियें छः हुई तो पांच तो एग्जिक्युटिव कमेटी के निर्धारित सदस्य होंगे और ६ दूसरी कमेटियों के सदस्य होंगे। इसमें यह होगा कि एग्जिक्युटिव कमेटी के सदस्य अल्प मत में रह जावेंगे और दूसरी कमेटियों के चेयरमेन बहुमत में हो जावेंगे। एग्जिक्युटिव कमेटी को सब-कमेटियों पर कन्ट्रोल रखना पड़ता है इसलिये एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू (प्रशासनिक दृष्टिकोण) से भी इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो कुछ वे करना चाहेंगे बहुमत से कर लेंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सब-कमेटियों के चेयरमैनों को नहीं लिया जाना चाहिये।

(रावत श्री मानसिंह बोलने को खड़े हुए)

श्री चन्दनमल वैद्य (उप-मंत्री, शिक्षा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैरूंसिंहजी और तनसिंहजी ने जो एमेंडमेंट पेश किये हैं उनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूसरे कमेटियों के चेअरमेन हैं वे एग्जीक्युटिव कमेटी में क्यों नहीं लिये जाने चाहिये ? माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको लेना ठीक नहीं होगा। यह तो श्री भैरूंसिंहजी मानते हैं कि खास खास काम के लिये ही सब-कमेटियें बनाई जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खास खास काम के लिये अलग अलग कमेटियें बनानी होंगी और बनानी चाहियें। उन खास खास काम को पूरा कराने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्पेशल कमेटी बनानी होगी और अगर उनके चेअरमेन को executive में नहीं लेते हैं तो उनकी राय मालूम नहीं हो सकती इसलिये उनकी राय को जानने के लिये उनको लेना बहुत जरूरी हो जाता है।

यह कहना कि दूसरी कमेटियों के चेअरमेन आने से एग्जिक्युटिव कमेटी के सदस्य अल्पमत में रह जावेंगे तो मैं आपको इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि आप डरते क्यों हैं। वे चेअरमेन भी आपके बोर्ड द्वारा ही चुने जावेंगे, वाइस चेअरमेन या कमेटी के चेअरमेन, सब आपके द्वारा ही चुने जावेंगे। फिर उनको रखने में आपको क्या बुराई है ? आप बराबर प्रजातन्त्र और जनतन्त्र का नारा लगाते हैं लेकिन जब प्रजातन्त्र और जनतन्त्र को अमल में लाने का सवाल आता है तो पीछे हट जाते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि आपके संशोधन कोई माने नहीं रखता। मैं श्री भैरूंसिहजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापिस लेलें।

बाकी के संशोधन जो रखे गये हैं वे अब स्टेज के बाहर हैं। बीच में जाकर कोई अदला बदली करना संभव नहीं। शुरू में कोई चीज डिलीट हो सकती थी लेकिन बीच में यह कहना कि ऐसा होना चाहिये, ठीक नहीं है। सारी की सारी पद्धति एक ही तरह से होनी चाहिये, अलग-अलग तरीकों से नहीं हो सकती।

और जो दूसरा उनका संशोधन है वह उसके बाद आता है। उनका खुद का ही कहना है कि ये संशोधन स्वीकार नहीं हो सकते। मैं श्री तनसिंहजी से कहूंगा कि अपने एक संशोधन को छोड़ कर, जो कि स्वीकार कर लिया गया है, बाकी दोनों संशोधन वापिस लेलें।

श्री भैरूंसिंह (डि.नं. १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्रीजी ने मेरे संशोधन के बारे में जनतन्त्रवाद की दुहाई देकर उसे गैर जरूरी समझा है। मैं समझता हूं कि जनतन्त्रवाद की दुहाई देने न देने से कोई मतलब हल नहीं होता। हमारे सामने सवाल है कि किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बोर्ड की एक एग्जीक्युटिव बनाने का और उसके मेम्बरों की संख्या निर्धारित करने का। एग्जीक्युटिव बनाने का मतलब ही यह होता है कि हाउस में २०,३० या ५० मेम्बर होते हैं और वे किसी बात पर ढंग से विचार नहीं कर सकते, वाद विवाद अधिक होता है और जल्दी से निर्णायक ढंग पर नहीं पहुंच पाते। जनरल हाउस में डिस्कशन कम हो, वाद-विवाद कम हो, अधिक समय न लगे और जल्दी से निर्णायक ढंग पर पहुंच जावे इसीलिये एग्जीक्युटिव की आवश्यकता पड़ती है। एग्जीक्युटिव जो कुछ तैयार करती है उसको जनरल बोर्ड में रखा जाता है और यदि उस बात को जो एग्जीक्युटिव द्वारा रखी जाती है जनरल

Page No.45

[श्री भैरोंसिंह]

बोर्ड मंजूर करलें तो उसकी मंजूरी हो जाती है। अगर एग्जीक्युटिव के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो इससे कोई मकसद हल नहीं होता। मैं इस चीजको मानता हूं और जैसा कि माननीय उप-मंत्रीजी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् ठीक ढंग से चलें, अतः उनके लिये सहयोगात्मक तरीके पर छोटी २ एग्जीक्युटिव्ज बनानी पड़ेगी किन्तु मैं कहूंगा कि उसका जो तरीका है, उसका जो रास्ता है उसको इस तरह से न लिया जाय। मैं मानता हूं कि एक्सपर्ट्स की राय जानना जरूरी है। जिस वक्त एक्सपर्ट की जरूरत हो उसको उसी समय बुलाया जाय और उसी काम के लिये बुलाया जाय जैसे अगर हैल्थ के एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो उसको एग्रीकल्चर के लिये क्यों रखा जाय. एग्रीकलचर के लिए एग्रीकलचर के एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी और उसको उसी काम के लिये कोऑप्ट कर लिया जाय किन्तु इस धारा में जो स्थायी रूप से मेम्बर बनाने की पद्धति है उससे मेरा विरोध है। इससे एग्जीक्युटिव के बनाने का भी कोई महत्व नहीं रहता है। एग्जीक्युटिव में सब-कमेटीज में चेयरमेन की राय न लेने का, मेरा मतलब नहीं है। चेयरमेन को अधिकार है कि वह एक्सपर्ट की राय का फायदा उठावे किन्तु एतराज केवल इतना ही है कि जो फायदा उठाया जाय वह ढंग से उठाया जाय न कि बेजा ढंग से। अगर हैल्थ कमेटी का कार्य चालू है तो हैल्थ कमेटी का जो चेयरमेन है वह राय दे सकेगा और अगर एग्रीकल्चर कमेटी का कार्य हाथ में लिया गया है तो हैल्थ सब कमेटी का जो चेयर-मेन है उसको कह दिया जाय कि अब एग्रीकल्चर सब-कमेटी का चेयरमेन काम करेगा। मेरा तो स्थाई रूप से मेम्बर बनाने के लिए खास तौर पर एतराज है। किसी पर्टिक्युलर सबजेक्ट (विशेष विषय) को जिस वक्त डिस्कस किया जाय उस समय उस पर्टिक्युलर सब-कमेटी के चेयरमेन को ही लिया जाय। इससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य ठीक ढंग से चलेगा।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh regarding deletion of Clause 61 (i) (a) (iv) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that the amendment No. 10 by Shri Tan Singh regarding substitution of the word 'withdraw' between the words 'delegate' and 'such' occurring in the proviso of Sub-Clause (1) be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(स्वीकृत)

The question is that the amendments No. 11 and 12 moved by Shri Tan Singh be accepted.

Page No.46

(श्री अध्यक्ष)

The amendments are lost.

(विराम)

The question is that Clause 61, as amended be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 61, as amended, is added to the Bill.

खण्ड ६२

Clause 62

(विराम)

The question is that Clause 62 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 62 is added to the Bill.

खण्ड ६३

Clause 63 Shri Bhairon Singh

श्री भैरोंसिंह (वि०नं० १६)——मैं यह संशोधन मूव नहीं करना चाहता। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह संशोधन मुझे वापिस लेने की इजाजत दे।

श्री अध्यक्ष——Is it the leave of the House to allow withdrawal ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री भैरोंसिंह——मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष——The question is that Clause 63 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 63 is added to the Bill.

खण्ड ६४

Clause 64

श्री भैरोंसिंह (वि० नं० १६)——संशोधन इस प्रकार है——

"Delete the words 'Or section (62) of another member or person".

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबन्ध में कुछ कहने से पूर्व ही वे मेरा यह संशोधन मंजूर कर लें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—It is a printing mistake.

श्री चन्दनमल बैद (उप-मन्त्री, विधि)—I accept it.

श्री अध्यक्ष–The question is that the amendment of Shri Bhairon Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 64, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 64, as amended, is accepted.

खण्ड ६५

Clause 65

(विराम)

The question is that Clause 65 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 65 is added to the Bill.

खण्ड ६६

Clause 66, Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—संशोधन इस प्रकार है:

"In clause 66, sub-clause (2) the words 'with all convenient speed' be deleted andt he words within 'forty five days' be added after the words, 'under sub-section (1)'. "

माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज ६६ के सब-क्लॉज (२) के लिये है। इसमें बहुत मामूली बात चाही गई है। मैं इस क्लॉज को पढ़ कर सुना देता हूं:

"(2) Every Committee shall, with all convenient speed, comply with any request of the Board made under sub-section (1)."

मैंने इसके अन्दर यह चाहा है कि " with all convenient speed " को निकाल दिया जाय और उसकी जगह " within forty five days " इंसर्ट कर दिया जाय। अक्सर यह होता है कि किसी की मर्जी पर रखने से काम नहीं होता। इसके अन्दर डिफाइन नहीं किया गया है कि

Page No.48

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

कितने समय के अन्दर वह चीज बोर्ड के पास आ जानी चाहिये । ऐसा हो सकता है कि अगर बोर्ड की मिटिंग किसी चीज के कन्सीड्रेशन के लिये बुलाई जाय और अगर बोर्ड के सामने रिपोर्ट नहीं आ पावे तो बोर्ड को मिटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी । यह मामूली संशोधन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—I accept it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to accept this amendment ?

(स्वीकृत)

The amendment, is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 66, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 66, as amended is added to the Bill.

खण्ड ६७

Clause 67. Shri. Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिह (डि० नं० १६)—माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लॉज पर के संशोधन को भी सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—The question is that ....

श्री मानसिह महार—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसे मूव करने की इजाजत दीजियेगा ?

श्री अध्यक्ष—Has he withdrawn in your favour ?

श्री मानसिह (जमुवा रामगढ़)—जैसा भी आप समझियेगा ।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, अडसठवें क्लॉज में मेरा संशोधन यह है कि इस पूरे क्लॉज को ही उड़ा दिया जाय । मेरा कहना यह है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, तहसील पंचायत बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सब-कमेटीज बनाते हैं, यह बनाते हैं, वह बनाते हैं, तो यह सब बना कर

Page No.49

[श्री मानसिंह महार]

भी क्लॉज ६८ में आप कहते हैं कि जितनी लोकल बोडीज होंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की युनाइटेड चीजें बन जाएंगी और उनको बना कर वह उनके जोइन्ट एफर्ट्स (Joint efforts) से काम करेंगी। यह जब है तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलग तहसील कमेटियां और बनाने की क्या जरूरत है ?

अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तहसील कमेटियां इसी तरह बनाई जावेंगी तो अलग अलग तहसील वाले अलग अलग खींचातान करेंगे। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट की ही मिसाल ले लीजिये। जमुवा रामगढ़ की तहसील होगी तो वहां वाले कहेंगे हमारे यहां पर इतना पैसा दिया जाय, आमेर की कमेटी वाले कहेंगे कि हमारे यहां यह होना चाहिये और इसी तरह फागी वाले तीसरी बात कहेंगे और चाकसूवाले चौथी बात कहेंगे। इससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डिसरप्शन (disruption) होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम सुचारू रूप से चलने के बजाय इससे रुकावट पड़ेगी। मेम्बर्स में आपस में फूट पड़ेगी और इस तरह झगड़ा बढ़ने के अतिरिक्त मैं समझता हूं तहसील कमेटियों को बनाने से और कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि आपकी हर तहसील में तहसील पंचायत मौजूद है और जैसा कि ६८ वें क्लॉज में ज्वॉइन्ट कमेटियों का प्रोविजन रखा गया है तो इस तरह तहसील के मामले में तहसील पंचायतों से कोऑपरेशन कर सकते हैं, तहसीलों से राय ले सकते हैं।

फिर इसी बिल के ६७ वें क्लॉज का सब क्लॉज (२) है। इसमें यह दिया गया है कि कई जगह कई मौकों पर दो या तीन तहसीलों को मिला कर भी एक तहसील कमेटी की जा सकती है। इसमें तो गजब ही हो जावेगा। ये दो तीन तहसीलों का सारा रुपया खेंचकर ले आवेंगे और जहां जहां एक एक तहसील की कमेटी होगी उनकी तो बिचारों की आफत आ जावेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान में जब नेशनल वीक मनाया गया था तो उस समय इसके लिए काफी रुपया खर्च के लिए सेंक्शन हुआ था। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जब हमको जयपुर के कलेक्टर साहब ने बुलाया और कहा कि हम गांवों में जाएं और इस नेशनल वीक के फंड में दान दिलवाएं तो इसके उत्तर में हमने कलेक्टर से पूछा कि इसमें कहां-कहां के लिए कितना-कितना खर्चा सेंक्शन हुआ है, यह आप हमें बतलाइये। इसपर हमारे कानों के कीड़े झड़ गये उनका उत्तर सुनकर। हमें यह सुनाया गया कि १०० में से ९० प्रतिशत खर्चा किशनगढ़ में हो रहा है। तो फिर हमने भी कहा कि इस १० प्रतिशत के लिए हम क्या करें ? अगर इस बारे में मंत्री महोदय मेरा चलज स्वीकार करें तो साबित करने को तयार हूं।

तो इस तरह तहसील कमेटी बनेगी तो गड़बड़ी होगी। अगर इस तहसील कमेटी में कोइ इन-फलुएंशियल मेम्बर हुआ तो वह अपनी तहसील के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचकर ले जावेगा और इस प्रकार छीनाझपटी की मनोवृत्ति बढ़ेगी।

इसलिए मैं सदन से अपील करूंगा और साथ ही मंत्री महोदय से भी अपील करूंगा कि यह तहसील कमेटी का प्रोविजन सुपरफ्लुअस है, इसको आप विथड्रॉ कर लीजिये। इससे बोर्ड की एकता कायम रह सकेगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्ष जी, इस संशोधन में कोई भी बल नहीं है जैसे अलग···

श्री मानसिंह—मेजोरिटी का बल नहीं है, यह तो ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद—मैं यह नहीं कह रहा हूं। बल से मेरा मतलब तर्क का बल है, मैं यह कह रहा हूं।

जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कमेटियां बनेंगी उसी तरह अलग अलग क्षेत्रों की कमेटियां बनेंगी क्योंकि उन-उन क्षेत्रों से आये हुये सदस्यों को उन-उन क्षेत्रों की परिस्थिति का अच्छा ज्ञान होगा और इस तरह की कमेटियों के द्वारा उनके इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ जनता के हित के लिए प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह अलग-अलग कमेटियां बना कर अगर अलग अलग क्षेत्र से आये हुए सदस्यों की राय लेली जाती है, उस क्षेत्र की परिस्थितियों के बारे में तो इससे कोई हर्जा नहीं हो जाता है। यह डर कि ऐसा होने से लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा प्रेस करेंगे, गैर वाजिब है और अगर यह तर्क आगे बढ़ाया जावेगा तो यह भी कहा जा सकता है कि विधान सभा के माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के अभावों के बारे में ज्यादा प्रेस करते हैं, इस वास्ते विधान सभा की जरूरत नहीं है; लेकिन यह ऐसी बात नहीं कि जिससे हमें डरने की जरूरत हो क्योंकि आखिर सब का अन्तिम निर्णय तो एग्जीक्युटिव ही करेगी। इसके लिए एक क्राइटेरियन बनेगा कि किस-किस क्षेत्र को कितना-कितना, किस आधार पर दिया जाय। हो सकता है यह क्राइटेरियन आबादी या आवश्यकता के या ऐसी ही कई बातों के आधार पर स्थिर किया जाय। फिर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कमेटियां बनेंगी तो ज्यादा जानकारी वहां की स्थिति के बारे में मिलेगी और तब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा क्षेत्र पीछे रह गया या मेरे क्षेत्र की जानकरी पूरी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई। इस तरीके से अगर कोई ज्यादा जरूरी काम हुआ तो वह पहले किया जावेगा और अच्छी तरह से किया जा सकेगा।

इस वास्ते मैं समझता हूं कि श्री मानसिहजी का संशोधन जो है वह ठीक नहीं है और मैं प्रस्ताव करूंगा कि जैसे श्री भैरूंसिहजी ने अपना संशोधन खुलासा हो जाने के बाद मूव नहीं किया वैसे ही श्री मानसिहजी भी विथड्रॉ कर लें।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, उप-मंत्री महोदय ने जो यह फरमाया वह कानून की दृष्टि से बडा ही उपयुक्त हो सकता है किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से इसको कोई भी महत्व नहीं देगा। मैं यह समझता हूं कि जब हर तहसील में तहसील पंचायत मौजूद है··

श्री अध्यक्ष—Arguments have been given.

श्री मानसिंह महार—(जारी) सिर्फ मुझे दो बातें कहनी हैं, पर अगर आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं।

Page No.51

श्री अध्यक्ष—Now I put the question to vote. The question is that the amendment moved by Shri Man Singh regarding deletion of Clause 67 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that Clause 67 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 67 is added to the Bill.

खण्ड ६८

Clause 68

(विराम)

The question is that clause 68 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 68 is added to the Bill.

खण्ड ६९

Clause 69, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह—(हि० नं० १६) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६९ के सब-क्लॉज ३ में मेरा यह संशोधन है कि "Director of Local Bodies" की जगह "Commissioner" कर दिया जावे।

एक मुख्य कारण से मैंने यह संशोधन रखा है। जिस वक्त यह बिल ड्राफ्ट होकर सदन में आया और प्रवर समिति के पास भेजा गया उस वक्त 'कमिश्नर' शब्द ही इसमें था। सिलेक्ट कमेटी ने यह उचित समझा कि चूंकि इस बिल का सम्बन्ध डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज से है इसलिए ठेके आदि का काम अगर लोकल बोडीज का हो तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज इसके लिये प्रोपर ऑथोरिटी है इसलिए उसके पास ही ये मामले जाने चाहिये। यही समझ कर "Commissioner" शब्द की जगह "Director of Local Bodies" कर दिया गया।

यह मैं मानने को तैयार हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जहां तक सम्बन्ध है वहां तक वह अधिकारी डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज ही है, पर जहां किसी ठेके का सवाल आता है किसी काम के कन्स्ट्रक्शन का सवाल आता है और इसके लिए ठेका किसी इन्जीनियर को दिया जाता है उस जगह तो मैं समझता हूं कि इस सारे काम के एस्टिमेट के लेने का काम, उसके काम को देख भाल करने का काम, और इस मामले में फाइनल फैसला देने का काम डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज से न लेकर कमिश्नर से ले लिया जावे, तो अच्छा है। इसका कारण यह है कि इस तरह के कामों के अन्दर और डिस्ट्रिक्ट में और

[श्री भैरूंसिंह]

भी कई जगह इस तरह के कामों के अन्दर कहां कहां, किस-किस तरह से यह काम हो रहा है, इसकी कहां-कहां, किस-किस तरह से यह काम हो रहा है इसकी अच्छाई और बुराई के अन्दर तहसीलदार, एस. डी. एम. और कलेक्टर आदि को पूरा पूरा अनुभव और ज्ञान रहता है। तहसीलदार अपनी तहसील में, एस. डी. एम. अपने डिविजन में और कलेक्टर अपने जिले में जिम्मेदार समझे जाते हैं। उनकी निगाह में हर प्रकार के कार्य होते हैं। इन कामों में तो अगर यह मरम्मत कराने का या और कोई इसी तरह की ठेकेदारी का काम किसी इन्जीनियर को ठेके पर दिया जावे और वह डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के द्वारा दिया जावेगा तो उसमें केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर ही चैक कर सकेंगे और यह बहुत कम होगा। हो सकता है कि वह ऐसी कोई कमेटी भी इसकी देखभाल के लिए बिठा दें और उनके दफ्तर के कर्मचारी भी देखभाल करने में रहें, पर अगर कमिश्नर के द्वारा दिया गया तो इनके अतिरिक्त जिले के उक्त सारे अधिकारियों की देखभाल का लाभ भी मिल सकेगा और इन कामों की पूरी निगरानी में एस. डी. एम., कलेक्टर और तहसीलदार भी इन्टरवीन (बीचबिचाव) कर सकेंगे, पर इनका इन्टरवीन करने का अधिकार तभी हो सकेगा जब ऐसे कामों की मन्जूरी कमिश्नर के मार्फत दी गई हो। तब यह काम कलेक्टर के मार्फत होकर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जावेगा। इसलिए मैंने यह सुझाव रक्खा है कि जो पहले ड्राफ्ट में था उसको स्वीकार किया जावे। इसमें कमिश्नर का नाम दे दिया जावे तो सारे कामों की निगरानी ठीक तरह से हो सकेगी। इससे जनता का फायदा होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी विशेष प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री राजकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ इस डिपार्टमेन्ट का हेड है और उनकी देखरेख में यह सारी लोकल बोडीज़ चलती हैं। ऐसी हालत में ऐसे कामों पर उनका डाइरेक्ट कन्ट्रोल होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यह बता दूं कि इंजीनियर का जो काम है वह इंजीनियर करेंगे; इंजीनियर का ताल्लुक न तो कमिश्नर से डाइरेक्ट होगा और न डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ से। इंजीनियर के काम को ठीक तरह से देख सके, इसलिए डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के अन्दर में यह दिया गया है। यू. पी. के एक्ट में कमिश्नर हैं, किन्तु वहां डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज इस डिपार्टमेन्ट का हेड नहीं होता है; इसलिये वहां कमिश्नर को पॉवर दिये गये हैं। ऐसी सूरत में जब कि हमारे यहां डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ कमिश्नर के केलीबर (Calibre) का मौजूद है या किन्हीं मायनों में उससे भी ज्यादा का मौजूद है तो ऐसी सूरत में मैं यह कह सकता हूं कि जो ऑथोरिटी इस डिपार्टमेन्ट की है, उसके मातहत इसका रहना ही उचित है। सभी जगह पर राजस्थान में प्रत्येक सूबे में, प्रत्येक जिले में इस डिपार्टमेन्ट के इन्स्पेक्टर्स इन बातों की देखरेख के लिये घूमते रहेंगे। इसलिए ऐसी कोई शंका नहीं रखनी चाहिये कि इस सम्बन्ध में उनकी देखरेख नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन आश्वासनों के बाद श्री भैरूंसिंहजी अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का यह मतलब नहीं था कि मैं डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्रोपर आथोरिटी नहीं मानूं या वे

Page No.53

[श्री भैरूसिंह]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम नहीं देखते । उनका तो अधिकार है, वे डिपार्टमेन्ट के हैड होने के नाते किसी भी समय कहीं भी जाकर अपने अधीन के महकमे के कार्य को देख सकते हैं और उनमें सुझाव भी दे सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरों को भी अधिकार है कि वे अपने विभाग के कार्य को देखें और किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो उसमें सुधार करें। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को तो सम्पूर्ण बातों का अधिकार है ही, किन्तु उसके साथ ही यदि ये कार्य कमिश्नर की मन्जूरी से हों तो उसमें दोहरी निगरानी रहेगी और उस कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी होने की संभावना कम रहेगी क्योंकि दो महकमों का चेक रहेगा। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को तो अधिकार है ही। उनको अधिकार है कि वे इन कामों का निरीक्षण करें, कोई कार्य होता हो तो उसमें हेरफेर भी अगर वे करना चाहें तो करें। अगर इसमें कमिश्नर साहब की मन्जूरी ले ली जायगी तो कमिश्नर साहब को एक प्रकार से अधिकार हो जायगा और दो तरफ से निगरानी ठीक तरह से रहेगी। इससे काम में किसी प्रकार की रुकावट पैदा होने वाली नहीं। इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन पर इस दृष्टि से विचार करें कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज का तो यह कार्य है ही किन्तु अगर इस पर कमिश्नर साहब की भी मन्जूरी ले ली जायगी तो इंजीनियर ठीक तरह से काम करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—Is it acceptable? It was your own move.

श्री चन्दनमल बैद—This was amended by the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment No. 16 to Clause 69 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 69 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 69 is added to the Bill.

श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस ६९ के क्लाज में अमेन्डमेन्ट मूव करने के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष—आपने कब भेजा था।

श्री शम्भूसिंह—मैंने आज ही दिया था।

श्री अध्यक्ष—It has been rejected. On the Floor of the House I cannot accept any fresh amendment.

(विराम)

मैंने कल माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे जो कुछ भी अमेन्डमेन्ट देना चाहें तीन बजे के पहले-पहले कार्यालय में भेज दें, बाद में आने वाले अमेन्डमेन्ट स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

श्री शम्भूसिंह—बगैर किसी सदस्य के ऐतराज के।

श्री अध्यक्ष—It is my discretion. Under the Rules it is imperative. It must be done.

खण्ड ७०

Clause 70 Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (क्रि. नं. १६)—संशोधन इस प्रकार है:—

"Substitute the word 'fifty' for the words 'One hundred' in sub-clause (1)".

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७० का सब-क्लॉज (१) में यह है :—

"(1) Every contract made by on behalf of a Board whereof the value of the amount exceeds one hundred rupees shall be in writing."

मेरा संशोधन यह है कि १०० रु० को जगह ५० रुपये कर दिये जायें। वह इसलिए कि अगर कोई ठेका दिया जाता है और उस ठेके के रुपयों की तादाद १०० रुपये से ज्यादा है तो वह लिखा हुआ ठेका रहेगा, उस पर चेयरमैन के दस्तखत होंगे, वाइस चेयरमैन के दस्तखत होंगे और सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे। १०० रुपये के ठेके पर दस्तखत होंगे। आपने १०० रुपये की रकम को दूसरी दृष्टि से देखा है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—I agree.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 70, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 70, as amended, is added to the Bill.

खण्ड ७१–७४

Clauses 71, 72, 73 and 74.

Page No.55

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

The question is that Clause 71 to 74 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 71, 72, 73 and 74 are added to the Bill.

खण्ड ७५

Chapter IV Clause 75. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (ब० सं० १६) —माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लोज ७५ में एक सेक्रेटरी की नियुक्ति के बारे में जहां लिखा गया है वह यह है:—

"The State Government shall appoint a Secretary of a Board who shall be a whole-time salaried officer of Government and whose conditions of service shall be the same as those of other Government Officials of equal status" इसमें मेरा संशोधन यह है कि जहां "होल टाइम" लिखा है उसके बीच में "not below the rank of a Tehsildar" इसमें जोड़ दिया जाय।

मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि अगर किसी भी गवर्नमेन्ट ऑफिसर को बोर्ड का सेक्रेटरी नियुक्त किया जायगा तो वह किस स्टेटस का आदमी होगा, यह इसमें नहीं बताया गया है।

श्री अध्यक्ष—What is the harm in accepting this ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—आपका संशोधन मन्जूर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment to Clause 75 be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 75, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The amended Clause 75 is added to the Bill.

खण्ड ७६–८७

Clauses 76 to 87.

(विराम)

The question is that Clauses 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 76 to 87 are added to the Bill.

खण्ड ८८

Clause 88 Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (वि. नं. १६)—माननीय अध्यक्ष, मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष,क्लोज ८८ में मेरा संशोधन यह है....।

श्री अध्यक्ष--आप कौन कौन से क्लोज में अमेन्डमेन्ट मूव करेंगे, जरा मुझे बतादें।

श्री मानसिंह महार--(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं ८८ वें क्लोज में और ८९ वें क्लॉज में अपने संशोधन मूव करूंगा। क्लॉज ८८ को डिलीट करने के लिये मेरा संशोधन है। मैं इस क्लॉज के शब्दों को बरदाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी लोकल बोर्डों के अन्दर यह शब्द आयें कि पॉवर गवर्नमेन्ट को दी जाय, बोर्ड के हेल्थ ऑफिसर को दी जाय। यह पॉवर अगर चेयरमैन के होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। यह लिखा जाना कि बोर्ड के सेक्रेटरी को सीधे पॉवर्स न देकर गवर्नमेन्ट को यह पॉवर दे देना हेल्थ ऑफिसर को दिया जाना हिटलरशाही है, नादिरशाही है, जनतन्त्रवाद का गला घोंटना है।

इस प्रकार की बात को इस सदन को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। यह वाजिब चीज है कि अगर हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी यह रखें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को यह पॉवर होते कि वह देखे कि सेक्रटरी के पास काम ज्यादा है या हेल्थ का काम बोर्ड के हेल्थ ऑफिसर को दे दिया जाय, तो हम उस चीज को उचित मानते, लेकिन यह गवर्नमेन्ट का शब्द रखा जाता है यह कतई नाजायज है। इसलिए मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह इस क्लॉज को रखने के ज्यादा इच्छुक हों तो इसको रिड्राफ्ट (redraft) कर दें और "Power of Government" के बजाय "Chairman" रखदें या " Board. " रखदें तो वह बहुत उत्तम है। इससे जनतन्त्रवाद की बहुत अच्छी परम्परा कायम होगी। मैं यह चन्द शब्द कहकर मंत्रीजी से कहूंगा कि यह तो वे मान ही लें।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्ष,मुझे दुःख है कि मैं मानसिंह जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। वे महरबानी करके इस क्लॉज को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें कन्डीशन है "subject to the general control of the Chairman", और पावर्स जिस बात के लिये दिये गये हैं वह है "Conservancy, public health, vaccination and the births and deaths" के रजिस्ट्रेशन (registration) के लिए। इन मामूली बातों के लिए हेल्थ ऑफिसर को पॉवर दी है। राजस्थान में जो बर्थ्स और डेथ्स हों उनको रजिस्टर करते रहें, यह उनके सुपुर्द किया है।

श्री अध्यक्ष—Innocent powers.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)--Very minor powers.

श्री मानसिंह महार—But why should the Board not have the right of having these things done?

Page No.57

श्री चन्दनमल वैद—It is under the Control of the Board.

श्री मानसिंह महार—Why should the Government have the powers?

श्री अध्यक्ष—आपका दर्द दिल इतना ज्यादा मत दिखाइये।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, माननीय उप-मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि जो कुछ किया जायगा वह बोर्ड के चेयरमेन की सहमति से किया जायगा। मैं यह कहता हूं कि सरकार बोर्ड पर हावी इतना अधिक होने को क्यों तैयार है ? सरकार को क्या हक है ? जब बोर्ड के चेयरमेन की सहमति से सब कुछ करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चेयरमेन को ही आप पॉवर दे दीजिये कि वह डेलीगेट कर दे। आखिर एक लोकल बोडी के वे इलेक्टेड चेयरमेन (elected chairman) साहब हैं, वह भी कुछ वक्त रखते हैं। यह इन्नोसेन्ट पॉवर्स (innocent powers) हैं जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर को दे दिये जायं.....

श्री रामकरण जोशी—It is for the Secretary and the Secretary is under the direct control of the Government.

सेक्रटरी के पॉवर्स में से यह पॉवर देने का सवाल है, इसलिए गवर्नमेन्ट ही दे सकती है।

श्री मानसिंह महार—अगर यह बात है, इस प्रकार का लीगल प्वॉइन्ट है, तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Man Singh to withdraw his amendment ?

(अनुमति प्रदान की गई)

Leave has been granted.

श्री मानसिंह महार—क्लोज ८९ में क्योंकि बिल्कुल ८८ जैसी चीज है इसलिए मैं सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री चन्दनमल वैद—आप ८८ के अमेन्डमेन्ट को तो विथड्रा कीजिये।

श्री अध्यक्ष—You withdraw it.

श्री मानसिंह महार—मैं सदन की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आज्ञा तो मिल गई अब आप विद्ड्रा कीजिये।

श्री मानसिंह महार—मैं विद्ड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 88 stand part of the Bill.

Page No.58

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 88 is added to the Bill.

खण्ड ८९

Clause 89, Shri Man Singh Mahar.

(विराम)

(श्री मानसिंह को सम्बोधित करते हुए) What about amendment to Clause 89? Do you want to move it?

श्री मानसिंह महार--I beg leave to withdraw.

श्री अध्यक्ष--There is no question of begging leave. If you do not want to move, there is no question of begging leave to withdraw.

(विराम)

The question is that Clauses 89 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 89 is added to the Bill.

खण्ड ९० एवं ९१

Clauses 90 and 91

(विराम)

The question is that Clauses 90 and 91 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 90 and 91 are added to the Bill.

खण्ड ९२

Clause 92 Shri Bhairon Singh

श्री भैरूंसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

(श्री मानसिंह महार खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष--(श्री मानसिंह तथा श्री भैरूंसिंह के संशोधन एक समान होने के कारण) They have not given their "vyavastha" to me; which one he wants to withdraw and which one the other Member wants to move.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, सेक्शन ९२

श्री अध्यक्ष-- (श्री मानसिंह से) Yes,

श्री मानसिंह महार--मेरा संशोधन ९२ क्लॉज में यह है कि इस सेक्शन को डिलीट कर दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार बात-बात में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कामों में अपना नाक पोक (nose poke) करना चाहती है, उस सरकार को अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नोकरों को कुछ पेन्शनें देनी पड़ती हैं, अपनी जेब से, तो उसको

Page No.59

[श्री मानसिंह महार]

इतना सा खर्चा अवश्य बरदाश्त करना चाहिए। यह बात तो नाकाबिले बरदाश्त होगी बोर्ड के मेम्बरों के लिए कि सरकार हर बात में चेयरमेन के डिसमिसल (dismissal) में भी अपना हाथ में कुछ पॉवर रख ले, चेयरमेन को डिसमिस करने का हक भी अपने पास रख ले, सेक्रेट्री को पॉवर्स देने का हक भी अपने पास रख ले, सेक्रेट्री के डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स (delegation of powers) का हक भी अपने पास रख ले और सरकार सब कुछ रखले। और फिर जब उस सेक्रेट्री, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पर सरकार अपना कब्जा मानती है, उसको पेन्शन देने या लीव ग्रान्ट करने की बातें आती हैं उनके लिए वह कहती है कि बोर्ड वाले भी हिस्सा दें। किस किस बात का हिस्सा दें बोर्ड वाले? आपकी गवर्नमेन्ट का नौकर है क्या वह?

गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि उसका बोर्ड पर इन्तजाम निश्चित रूप से चले, बोर्ड पर कुछ कन्ट्रोल हो, सरकार के नौकर वहां जायें ताकि उस पर उसकी लगाम रहे। इस नीति से सारी बातें करते हैं तो बोर्ड वाले क्या पागल हैं? वे अपने अलग नौकर कायम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं कि वह ऐसे नौकर रखे कि २-२ महीने रखकर छोड दें ताकि पेन्शन या ग्रेज्युटी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन सरकार कहती है कि इस प्रकार के नौकर पर हमारा अधिकार हो और फिर बोर्ड से कहती है कि हम हिस्सा दें। बोर्ड इस प्रकार का हिस्से देने को हरगिज भी तैयार नहीं है और मंत्रीजी से भी मैं अपील करूंगा कि अगर वे स्वायत्त शासन संस्थाओं पर गवर्नमेन्ट का हाथ रखना चाहते हैं, गवर्नमेन्ट का इन्ट्रेस्ट रखना चाहते हैं तो उनको ऐसा कुछ खर्चा बरदाश्त करना चाहिये, वरना वे सुपरसीड (supersede) करने का भी अख्त्यार रखते हैं। एक रिजोल्यूशन (resolution) को विथड्रा करने पर वे सुपरसीड कर देते हैं; लेकिन जहां पैसा देने का सवाल आता है तो कहते हैं कि पैसा-वैसा हम नहीं देंगे। इस प्रकार की वे अगर इकतरफा बात करेंगे तो यह बात नाकाबिले बरदाश्त है। इसलिए यह चन्द शब्द कह कर, बाद में माननीय उप-मंत्रीजी से इसका जवाब सुनकर, फिर आगे कहूंगा।

श्री **चन्दनमल वैद**—माननीय अध्यक्ष, यह तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर राजस्थान गवर्नमेन्ट का कोई एम्प्लॉई (employee) दूसरी जगह जायेगा तो पेन्शन का कन्ट्रीब्युशन (contribution) और लीव का कन्ट्रीब्युशन दूसरी संस्थाओं को करना पड़ेगा। अगर राजस्थान सरकार का कोई एम्प्लॉई भारत सरकार में जाता है या भारत सरकार का कोई एम्प्लॉई राजस्थान सरकार में आता है या राजस्थान सरकार का कोई एम्प्लॉई डि० बोर्ड में जायेगा तो जब तनख्वाह देंगे तो उसी तरह पेन्शन और दूसरी लीव का कन्ट्रीब्युशन इत्यादि उसमें करना होगा। ऐसी बात में उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह हिसाब की बातें हैं। यह हिसाब की पद्धति है यह एकाउन्टस रूल्स, फाइनेन्स रूल्स के मुताबिक है। फाइनेन्स और एकाउन्टस के रूल्स हैं जो दूसरी जगह लागू होते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लागू नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा। आप यह उचित समझ सकते हैं कि २-२ महीने नौकर रखकर छोड़ देंगे जिससे कि आपको पेन्शन नहीं देना पड़े और फिर लीव कन्ट्रीब्युशन नहीं देना पडे, लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम

[**श्री चंदनमल वैद**]

सुचारु रूप से चलाने के लिए यह ठीक नहीं है। ये एकाउन्टस के, फाइनेंस के रूल्स सब जगह लागू होते हैं तो वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर भी लागू होने चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय महार साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस क्लॉज के एमेन्डमेन्ट के बारे में उप-मंत्री जी ने जो बात कही है उसके विपरीत में यह सोच रहा था कि व कोई ऊंची दलील देंगे और मुझे अपना संशोधन वापिस लेना पड़ेगा, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई संतोष की बात माननीय उप-मंत्री जी ने नहीं बतलाई जिसकी तहत कि मैं अपने संशोधन को वापिस लेता; बल्कि मेरा तो आइडिया अडिग हो गया है।

श्री अध्यक्ष—Let me put it to vote.

श्री मानसिंह महार—माननीय उप-मंत्रीजी ने यह फरमाया कि हमारे ऑडिट और फाइनेंस के रूल्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है।

श्री चन्दनमल वैद—हमारे ही नहीं, सब जगह के रूल्स ऐसे ही हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं तो राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में कई निराली बातें हैं।

श्री चन्दनमल वैद—यह राजस्थान के लिए निराली चीज नहीं है, सभी जगह ऐसा ही है।

श्री मानसिंह महार—इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि सरकार उन रूल्स को रिलैक्स नहीं कर सकती तो सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को इजाजत दे दे कि वह अपना अलग सेक्रेट्री नियुक्त करे ताकि वह बिना वजह आपके कन्ट्रोल से भी बच जाय और खर्चा भी अधिक नहीं उठाना पड़े। ऐसा होने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेक्रेट्री की नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन्स इनवाइट करेगा और हजारों में से एक आदमी चुन कर अपनी पसन्द से मेरिट पर रखेगा।

श्री चन्दनमल वैद—क्या वह सिलेक्शन दो महीनों के लिये ही हुआ होगा ?

श्री मानसिंह महार—यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मर्जी पर है।

श्री बी. एन. जोशी—How can you say that you will be on the District Board ?

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Man Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 92 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Page No.61

[श्री अध्यक्ष]

Clause 92 is added to the Bill.

खंड ९३–९५

Cla ses 93, 94 and 95

(विराम)

The question is that Clauses 93, 94 and 95 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 93, 94 and 95 are added to the bill.

क्लॉज ९६

Clause 96

श्री श्यामलाल गोयल--मैं समझता हूं मेरा संशोधन मंजूर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--Your amendment is to Clause 96. It reads:

"In the 4th line of sub-clause (4) to clause 96, substitute the word 'for' for the word 'during' between the words 'allowance' and 'the period'."

This amendment is vague. There is no sub-clause (4) to Clause 96.

श्री श्यामलाल गोयल--I am sorry. It should be Clause 97. It is a typing mistake.

श्री जयनारसिंह--Then it becomes quite a new amendment.

श्री अवनिकुमार--But, Sir, it can be allowed.

श्री अध्यक्ष--But then Shri Shambhu Singh will also like to Press.

(विराम)

So I take both the Clauses 96 and 97 together.

(विराम)

The question is that Clauses 96 and 97 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 96 and 97 are added to the Bill.

खण्ड ९८

Clause 98, there are two amendments by Shri Shyam Lal Goel.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि) --We accept them.

Page No.62

श्री अध्यक्ष–So the question is that both the amendments of Shri Shyam Lal Goel which are as under be accepted:

(1) "In clause 98 (*c*) in line second insert the word 'Aushadhalayas' between the words 'dispensaries' and 'Maternity Centres'."

(2) "In clause 98 (*d*) in the third line insert the words 'reading rooms' between the word 'school' and 'and' and in the same line after the word 'Grants-in-aid' put a comma."

(स्वीकृत)

Both the amendments are accepted.

(विराम)

Now the question is that Clause 98 as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 98 is added to the Bill.

खन्ड ९९–१०१

Clauses 99, 100 and 101.

(विराम)

The question is that Clauses 99 to 101 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 99 to 101 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 102 Shri Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लोज १०२ में "Power to remove encroachments and projections over roads and drain" है और उसमें जो प्रोविजो है और उसमें जो कम्पनसेशन (Compensation) दिया जाने वाला है उसकी मिकदार 'Shall not exceed more than five times." दिया गया है। उसके वर्डिंग्ज ये हैं:

"Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence at the commencement of this Act, the Board shall make compensation for any damage caused by the removal or alteration which shall not exceed five times the cost of erection and demolition."

श्री श्यामलाल—इसमें मैंने यह अमेन्डमेन्ट दिया है कि इरेक्शन और डिमोलीशन की जितनी कोस्ट हो वही दी जानी चाहिये न कि उसकी पांच गुनी।

श्री मानसिंह महार-- हम हमारी कुर्सियां छोड़कर दूसरी जगह से बोलते हैं तो आप एतराज करते हैं और आज माननीय सदस्य मंत्रियों की जगह से बोल रहे हैं, क्या यह एतराज काबिल नहीं है?

श्री श्यामलाल गोयल--I am sorry I am going to my own chair.

श्री जवानसिंह--शायद नये मंत्री हो गये हों।

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री, विधि)--शायद संभव नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल--यह जो मेरा अमेन्डमेन्ट क्लोज १०२ में है उसके अनुसार पांच गुना मुआवजा हटा देना चाहिये और जितनी एक्चुअल कीमत हो उतना ही मुआवजा देना चाहिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पब्लिक के हित के लिये व उसका फायदा करने के लिये बनाया जाता है। यदि उस बोर्ड के रुपये इस तरह कम्पनसेशन में दिये जायेंगे जो कि एक्चुअल कोस्ट का पांच गुना हो तो पब्लिक का फंड नष्ट हो जायगा और इस तरह से कोई भी शख्स पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देगा और बाद में पांच गुना पैसा बोर्ड से वसूल करेगा। जब कि एक्चुअल चार्जेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देने को तैयार है तो उसका ट्वाइस, थ्राइस या पांच गुना देने की क्या आवश्यकता है? मैं अर्ज करूंगा कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उससे बोर्ड के फाइनेन्सेज को फायदा होगा, इसलिये इसे मन्जूर कर लिया जाना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल--अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष--Are you to oppose it? Let the Opposition speak first.

श्री मानसिंह महार--No Sir, I will support him.

श्री अध्यक्ष--He will have the opportunity of replying to the opposition, additional points will be covered.

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, अभी जो यह एमेन्डमेन्ट क्लॉज १०२ के प्रोविजो के निस्बत पेश किया गया है उस सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जिन्होंने यह एमेन्डमेन्ट मूव किया है, उन्होंने इस क्लॉज को अवश्य देखा होगा और गौर किया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने तथ्य को भुला दिया है। यह जो कम्पन्सेशन देने का सवाल है वह उस प्रोजेक्शन के बाबत है जो किसी व्यक्ति ने कानून के माफिक नियमानुसार बनाया था और उस वक्त उस व्यक्ति विशेष के सामने कोई ऐसी रूकावट नहीं थी कि जिसकी वजह से वह इस प्रकार का प्रोविजन स्ट्रक्चर नहीं बना सकता हो, बल्कि उस समय उसको यह अधिकार प्राप्त था और इसलिए उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, तो ऐसी सूरत में कानून के माफिक किसी व्यक्ति ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है और उसे आप उसके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं तो उसे विशेष रूप से कम्पनसेशन देना होगा, वरना आप किसी और तरीके से उसके स्ट्रक्चर के खर्च के माफिक ही कंपन्सेशन देते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार न्यायोचित नहीं होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप गौर करें कि

[श्री जवानसिंह]

उस व्यक्ति का क्या कसूर है कि उसने अपने मकान में या और किसी जगह ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके लिये उस वक्त उसे अधिकार था और नियमों के अनुसार बनाने की उसको इजाजत मिल गई थी। इसलिए आप जरा गौर करिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है वह इस वक्त की परिस्थितियों के अनकूल है? क्यों कि इस समय इन लोगों का विचित्र दृष्टिकोण है, शायद वे इसे भी इसलिये ठीक नहीं मानते हों कि दूसरे मामलों में जितना एवजाना दिया जाता है उतना ही ऐसे मामलों में देना भी ठीक होगा और इसलिये शायद वे इसे भी उचित मानते हों। इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं और आपके जरिये फिर अनुरोध करता हूं कि वे इस पर पूरा विचार करें। जैसा क्लॉज रखा गया है, पांच गुना एवजाना देने का, उसे ही ठीक माने।

श्री प्रवनिकुमार मुकर्जी--माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र श्री श्यामलाल जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इस पर श्री जवानसिंह जी ने जो जो बातें कह दी हैं उनको मैं नहीं कहूंगा। खास तौर से विरोध करने की वजह यह है कि मौजूदा बिल में साफ लिखा है कि ऐसी प्रोपर्टी को मूव यदि किया जावे तो;

"Provided that in the case of any such projection of structure lawfully in existence at the commencement of this Act, the Board shall make compensation for any damage caused by the removal or alteration which shall not exceed five times the cost of erection and demolition."

मैं समझता हूं कि यह वाजिब प्रोविजन है और यह इसलिये रखा है कि कोई भी मेम्बर किसी के लॉफुल कन्स्ट्रक्शन को पर्सनल ग्रज (personal grudge) के कारण जैसा कि अक्सर डिस्ट्रिक्टस् में हुआ करता है न हटा दे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न कुछ लोग अपनी पर्सनल ग्रज (personal grudge) के कारण भी लॉफुल कन्स्ट्रक्शन को हटा देने की तजवीज कर सकते हैं। ऐसी सूरत में उस व्यक्ति को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मुआवजे में कमी नहीं की जावे। इन्हीं शब्दों को कह कर मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

मेजर आवजी श्री रघराजसिंह (१२१)--अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं पार्शियल्ली (अंशतः) विरोध करता हूं। इसमें पांच गुना कम्पन्सेशन की जो बात रखी गई है वह उचित प्रतीत नहीं होती। भारत के [illegible] में भी कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है। कम्पन्सेशन (compensation) जो गवनमेन्ट को देना चाहिये वह उस समय की कंस्ट्रक्शन के अनुसार मार्केट वेल्यू के अनुसार उचित कम्पन्सेशन दे दिया जाना चाहिये। यदि वह पांच गुना हो तो पांच गुना दे दिया जावे और उस समय उसकी वेल्यू १० गुनी हो तो दस गुना दे दिया जावे इस लिये अगर इजाजत हो तो मैं अमेन्डमेन्ट पेश कर सकता हूं, जो इस प्रकार है :—

श्री प्रवनिकमार मुकर्जी—On a point of order, Sir, can he give partial amendment to an amendment?

श्री अध्यक्ष—He is giving a suggestion.

Page No.65

मेजर आपजी श्री रघराजसिंह–"Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence at the commencement of this Act, the Board shall make adequate compensation for any damage caused by the removal or alteration". और इस "फाइव टाइम्स" को डिलीट कर दिया जावे । उसकी जगह एडीक्वेट कम्पेन्सेशन (Adequate compensation) मारकेट वेल्यू (market value) के अनुसार जो भी वाजिब हो दे दिया जाना चाहिये ।

श्रीदास गोयल––माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १०२ के सिलसिले में पांच गुना कॉस्ट कम्पेन्सेशन के तौर पर देने का जो प्रोविजन रखा हुआ है वह एक अजीब प्रोविजन है । मुझे तो आज तक कहीं भी किसी भी लेजिस्लेचर की हिस्ट्री में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला । आपके यहां लेन्ड एक्विजिशन एक्ट जो लागू है उसमें इस सम्बन्ध में साफ है कि जो प्रापर्टी की कीमत हो वही देना चाहिये । जब मैंने यह क्लॉज पढ़ा तो मुझे बड़ा अड़बेडापन लगा । हमारे सदस्यों के सटोरियों के से दिमाग है कि आय का पांच गुना क्यों नहीं किया गया । हमारे माननीय मित्र अभी वैभव के लिये प्रयत्नशील हैं । कोई भी कस्ट्रक्शन हटाया जावेगा तो वह पब्लिक के हित के लिये हटाया जावेगा, वह कोई बिजनेस नहीं होगा । इसलिये उसकी सही कीमत मिल जानी चाहिये ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी–अगर यह "पांच गुना" शब्द हटा दिया जाता है तो लोग प्रेजुडिस्ड माइन्ड (prejudiced mind) से काम करेंगे और लोगों को नुकसान होगा ।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह––I do not say that it should be 10 times. I think it should be according to the market value.

श्री श्रीदास गोयल–So far as market value is concerned I pray your honour that I feel it most justified and in case there is no legal difficulty or procedural difficulty the Hon'ble Minister concerned should accept this proposal which is the best.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)––How can it be decided.

श्री श्रीदास गोयल––इसके लिये मैं केवल यह निवेदन कर सकता हूं कि ५ गुना के बजाय यह रख दिया जावे कि जो उचित हो । साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा श्री रघराजसिंहजी ने जो पार्शियल एमेन्डमेन्ट रखा है उसको मन्जूर कर लिया जावे । इसके अलावा लेजिस्लेशन बनाते समय हमको प्रोसिजर को ध्यान में रखना है । फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का जो सुझाव है उसको प्रोत्साहन देना......

श्री अध्यक्ष–Can we not defer consideration of this clause; because if there is an agreed formula, we can accept it in that way afterwards!

श्री जसवन्तसिंह––माननीय अध्यक्ष......

Page No.66

श्री अध्यक्ष—You consider it between yourselves and bring an agreed formula. This provision contravenes the Act. It fixes up the number upto five times.

(विचार विमर्श के पश्चात्)

So we can defer this as we have deferred the other clauses and we can proceed, with the leave of the House, with the ramaining clauses of the Bill to-morrow.

(सदन ने इस क्लॉज के डिफर करने की आज्ञा प्रदान की)

खन्ड १०३–१०७

Clauses 103 to 107.

(विराम)

The question is that Clauses 103, 104, 105, 106 and 107 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clauses 103 to 107 are added to the Bill.

खन्ड १०८

To Clause 108 there is an amendment by Shri Goel. It is a formal amendment.

(विराम)

The question is that the amendment "Insert the word 'in" between the words 'when it, is, and 'this Act' in part (*b*), first line of the proviso", be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The questions that Clause 108, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 108, as amended, is added to the Bill.

खन्ड १०९–११४

Clauses 109 to 114.

(विराम)

The question is that Clauses 109, 110, 111, 112, 113 and 114 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clauses 109 to 114 are added to the Bill.

खन्ड ११५

Clause 115. Shri Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, इस क्लोज़ ११५ पर मेरे दो संशोधन हैं। पहला तो टाइप की एरर को ठीक करने के सम्बन्ध में है जिसको सरकार मंजूर करती है। इसलिये दूसरे एमेन्डमेन्ट को ही मूव करता हूं। क्लॉज ११५ के सब-क्लॉज (ए) में यह प्रोविजन रखा है कि कितना टैक्स लिया जा सकता है।

Page No.67

[श्री श्यामलाल गोयल]

"in areas within its jurisdiction whether settled or not where rent is wholly payable in cash, a cess of one anna per rupee of the rent so payable, and

(*b*) such areas where rent is payable wholly in kind or partly in kind and partly in cash, a cess equal to half of the cess mentioned in clause (*a*) calculated on the cash value of the share of the produce payable as such rent until such time as cash rents are introduced therein."

मेरा इसमें अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज (अ) और (ब) दोनों में आपस में डिस्क्रिमिनेशन रखा गया है। जहां क्लॉज (अ) में टैक्स की मात्रा एक आना फी रुपया रखी गई है वहां (ब) में उसको आधा कर दिया गया है। एक केस में जहां कैश रेन्ट है वहां एक आना फी रुपया लिया जाता है और दूसरे केस में जहां केश रेन्ट नहीं है बल्कि रेन्ट काइन्ड में है वहां आध आना लिया जाता है; यानि पार्टली इन काइन्ड में है और पार्टली इन केश में है इसको हटाया जा कर आधा लिया जाय और दोनों को एक ही लैवल में ले लिया जाय। इसीलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि इसमें से "half of" जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाय।

मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले इसी सदन से पंचायत बिल पास हुआ था। पंचायत बिल में भी ऐसे कुछ प्रोविजन्स थे और जब सिलेक्ट कमेटी में वह बिल मूल रूप से गया तो उस वक्त ऐसा ही डिफरेन्स रखा गया था कि एक केस में जहां सेटलमेन्ट हो वहां एक आना लिया जाय और जहां सेटलमेन्ट न हों वहां आध आना लिया। इस प्रकार जो डिफरेन्स था उसको सिलेक्ट कमेटी ने उसे हटाया और दोनों को बराबर किया और वह बिल उसी रूप में सदन से पास हुआ है। मैं समझता हूं कि अब इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में एक एतराज और हो सकता है जो यह है कि जहां पर रेन्ट काइन्ड में है वहां पर अगर उत्पादन पर एक रुपये के पीछे एक आना लिया जायगा तो वह एक आना से ज्यादा पड़ेगा। मैं कम से कम इससे इत्तफाक नहीं करता और मैं अर्ज करूंगा कि आज रेन्ट पहले की तरह अधिक नहीं हैं। वह २।५, ३।५ और १।४ नहीं। इसको घटा कर १।६ कर दिया गया है और सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा जहां आज कल सेटलमेन्ट ओपरेशन्स हो रहे हैं वे इसी बेसिस पर हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट से रेटस मंगवाये जाना जरूरी है। मैं इस सम्बन्ध में सेटलमेन्ट कमिश्नर से मिला था और मैंने उन्हें स्पष्टतया कहा था कि केश रेन्ट कायम कर अगर १।६ लिया जायगा तो वह प्रोपोर्शनेटली १।४ ही काइन्ड रेन्टस के मुकाबले में पड़ेगा।

श्री प्रवनि कुमार--On a point of order, sir, is it relevant.

श्री अध्यक्ष--Come to the relevant point.

श्री श्यामलाल गोयल— I think I am relevant. इन दोनों सब क्लॉजेज में जो डिस्क्रिमिनेशन्स (भेद भाव) रखे गये हैं उस सम्बन्ध में मैं आपको रीजन्स दे रहा था। मैं आपको बता रहा था कि यह जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वह इस वजह से किया गया कि १।६ वर्क आउट हो और इसी लिये आधा आना रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह दलील कायम नहीं रहती है, बल्कि वह दलील तो क्लॉज (अ) के माफिक ही रहती है। अलावा इसके मैं यह चाहता हूं कि यह वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन (discrimination) की तारीफ में आता है। संविधान किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है। यह क्लीयर डिस्क्रिमिनेशन है जब कि एक आना खालसा का काश्तकार से केश रेन्ट के रूप में लिया जायगा और उसी के पडौस के जागीर के काश्तकारों से आध आना लिया जायगा जो कि केश रेन्ट नहीं देता है। एक खास बात देखने की यह भी है कि जहां पार्शियल केश (अंशतः नकद) है वहां एक आना लिया जायगा और जहां पार्शियल काइण्ड (अंशतःजिनस) है वहां आध आना ही लिया जायगा। अतः यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि यह इस प्रकार का पार्शियल ट्रीटमेंट क्यों ?

मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि यह स्पष्ट ही भेद भाव की चीज है। सब काश्तकारों को बराबर ट्रीट करना चाहिए इसलिये मैं यह अमेन्डमेन्ट पेश करते हुए सदन में निवेदन करूंगा कि वे एक मत से इसको स्वीकार करें।

रावत श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इसका विरोध करते हैं क्या ?

रावत श्री शंभूसिंह—जी हां।

आपने फरमाया कि पार्शियल केश है, वहां तो एक आना वसूल किया जावेगा और जहां पार्शियल काइन्ड है वहां आधा आना वसूल किया जावेगा, जो अनुचित है। मैं समझता हूं कि श्री गोयल जी की यह दलील उन्हीं के खिलाफ पडती है क्योंकि सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने जिस वक्त असेसमेन्ट (assessment) किया था उस वक्त कहीं तीन बांटा था और कहीं चार बांटा था। सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने इनको दृष्टि में रख कर ही असेसमेन्ट किया था। जब सरकार ने यह देखा कि यह लगान जो काइन्ड में वसूल किया जाता है अगर इसी तरह से लिया जायगा और चूंकि मंहगाई अधिक बढ़ गई है जिससे किसानों पर ज्यादा भार पडेगा तो इसलिये बावजूद सेटलमेन्ट के जहां तीसरा और चौथा बांटा होता था वहां १।६ बांटा कर दिया। पार्शियल इन काइन्ड और पार्शियल इन केश जहां होगा वहां पर भी काइन्ड के हिसाब से जो कीमत आयगी उस पर अगर सोलहवां हिस्सा वसूल किया जायगा तो उससे किसानों पर बहुत ज्यादा भार हो जायगा. मैं समझता हूं कि यह आधा आना जो रखा गया है वह बिल्कुल वाजिब है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जहां बिल्कुल काइन्ड पर लगाना चाहती है वहां उसको आधा ही लेना चाहिए।

श्री भीमसिंह—मैं खुलासा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it important ?

श्री भीमसिंह (जारी)—अध्यक्ष महोदय, श्री श्याम लाल जी के अमेन्डमेन्ट का मैं विरोध करना चाहता हूं। उस अमेन्डमेन्ट का विरोध करते हुए मुझे यह अर्ज करना है कि उन्होंने जो फरमाया कि जो आदमी काइन्ड में रेन्ट पे (Pay) करते हैं उसके ऊपर ज्यादती है तो मेरा यह निवेदन करना है कि उसके ऊपर ज्यादती नहीं है बल्कि उसको अगर आप कैश रेन्टेड कर देते हैं तो उस हालत में ज्यादती होगी और मौजूदा हालत में जो सेटल्ड एरिया में है उसमें जो रेन्ट रक्खा है उसके साथ कोई लीनिएंसी (उदारता) नहीं बरती गई है।

इस बिल को ड्राफ्ट करते समय (ए) और (बी) क्लास की जो स्टेट्स हैं उनके यहां जो रेट्स हैं, उनको मद्देनजर रखकर हमारे यहां रेट रक्खी गई थी। सेटल्ड एरिया की जो रेट है वह दस साल पहले कायम की गई थी। उनमें कहीं इस समय रिविजन हो रहे हैं और कम से कम किया जा रहा है। इसके विपरीत जहां जहां काइन्ड में रेन्ट है वह कहीं कहीं ८ गुना तक बढ़ गया है। इस तरह आज कल जो सैस उनसे लिया जा रहा है वह एक आना कर रहे हैं। इस हिसाब से उनको आ गुना रेन्ट लग जावेगा इसलिए मैं समझता हूं कि काइन्ड रेन्ट वालों के लिए जो हाफ रक्खा गया था वह वाजिब था उसको और भी हाफ से घटा कर चौथाई कर दिया जाता, तब तो और भी उनके साथ वाजिब बात होती। पर अगर आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो कैश रेन्ट वालों पर ज्यादा भार हो जावेगा।

श्री अवनीकुमार—माननीय अध्यक्ष, मैं……

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष……

श्री अध्यक्ष—कई खड़े होते हैं और कई बैठ जाते हैं।

(श्री हिम्मतसिंह जी बैठ गये)

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मैं भी इस सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं श्री श्याम लाल जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस बारे में मैं भी एक दलील हाउस के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि यह तो मानी हुई बात है कि जिन एरिया में सेटलमेन्ट हो गया है वहां कैश रेन्ट पे (pay) होता है और इससे वहां के किसानों को फायदा हुआ है और रेन्ट बरडन भी काफी रिडयूस हो गया है, इसलिये उनसे अगर एक आना सैस लिया जाता है तो कोई बात नहीं।

पर काइन्ड रेन्टेड एरिया पर रेन्ट का बरडन ज्यादा है इसलिये अगर उनके ऊपर एक आने की रेट भी यही लागू होती है तो गैरमुनासिब बात है और इसलिये कोई कितना ही डिसक्रिमिनेशन की बात करे, यह डिसक्रिमिनेशन की बात कोई मतलब नहीं रखती। असल बात यह है कि काइन्ड रेन्ट में और कैश रेन्ट में जो फर्क है उसको समझना चाहिए और इसको समझ कर ए ही यह संशोधन रखना चाहिए था।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी

अन्त में, आशा है कि मैंने जो यह दलील दी है माननीय सदस्य उसको मानते हुए अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (डि. नं. १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री श्यामलालजी ने जो अपना संशोधन सदन के समक्ष रक्खा है वह दो बातों पर आधारित था। एक तो बताया कि जब कैश रेन्टेड एरिया पर हम एक आना सेस लगाते हैं और काइन्ड रेंटेन्ड पर आधा लगाते हैं तो यह एक प्रकार का डिसक्रिमिनेशन है।

मैं मानता हूं इसको। जिस दृष्टि से उन्होंने इसे देखा है वे शायद उसी दृष्टि की ओर ले जावेंगे इसको। पर वे यह नहीं जानते शायद कि इस डिसक्रिमिनेशन की पैदाइश कहां से है? एक काश्तकार एक जमीन के हिस्से को काश्त करता है और उससे अनाज पैदा करता है, पर उसकी रेंट जो देता है वह दो प्रकार से देता है। एक देता है इन कैश (in cash) में और दूसरा देता है इन काइन्ड (in kind) में। तो इस सिस्टम को भी देखें तो इसमें भी डिसक्रिमिनेशन पावेंगे। काश्त तो एक ही समान जमीन के टुकड़े की तथा अनाज भी एक ही किस्म का पैदा किया, पर रेन्ट दो तरह से दिया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें भी डिसक्रिमिनेशन है। इसलिए यह भी नहीं होना चाहिये। ऐसा अगर कहेंगे तो पहले आपको दोनों जगह कैश रेन्ट करना होगा। फिर डिसक्रिमिनेशन का भी सवाल नहीं आवेगा। तो जिस प्रकार लगान लेने की दो विधियें हैं उन्हीं के अनुसार इस प्रकार का सेस लगाया गया है। इसमें डिसक्रिमिनेशन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, तब तक जब तक कि सारा ही एरिया सरकार कैश रेन्टेड (cas[illegible]) न कर दे और अगर इस सेस के लेने में कोई डिसक्रिमिनेशन पैदा होता है तो वह इसकी ओरिजिन से पैदा होता है और चूंकि ओरिजिन को हमने एक शक्ल मे मन्जूर कर रखा है तो डिसक्रिमिनेशन की बात नहीं करनी चाहिये।

सैटलमेन्ट जरूर हो रहा है पर वह अभी किसी किसी इलाके में बाकी भी है और चूंकि अभी तक इन हल्कों में वही पुराना काइन्ड रैंट सिस्टम चालू है तो जब तक उस स्थिति में हेर फेर न हो और डिसक्रिमिनेशन की पोलिसी को एडजस्ट नहीं कर लेते तो हमें यह भी मानना पड़ेगा और सेस लेने की विधि में फरक होगा ही।

दूसरी चीज टैक्सेशन की है। आज इस सदन में इस बिल को आये तीन दिन हो गये। मैं समझता हूं कि यही एक ऐसा क्लाज था जिसमें इस सदन के सत्तारूढ दल ने उदारता का परिचय दिया था, नहीं तो इस सत्तारूढ दल ने जो जो प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किये थे वे सब इस बात के द्योतक रहे हैं कि किस प्रकार जनता पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ाया जावे। आज सारे राजस्थान में इस प्रकार की आवाज गूंज रही है कि यह सत्तारूढ दल टैक्स बढ़ाने की एक न एक नई योजना बनाने में मशगूल है। जनता पर टैक्सेशन का भार इतना आ गया है कि जनता यह अनुभव करने लगी है कि इसी प्रकार से अगर इस सरकार की टैक्सेशन बढ़ाने की नीति में निरन्तर गति रही तो किस प्रकार हम अपना गुजारा चला सकेंगे, अपने बाल बच्चों का भरण-पोषण कर सकेंगे और अपने तन को ढक सकेंगे।

[श्री भैरोंसिंह]

किसी तरह से इस बिल की इस क्लाज में थोड़ी सी सरकार ने उदारता बतलाई थी, पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य को यह सहन नहीं हुआ। जहां इसका विरोध विरोधी दल को करना था वहां उसी पार्टी के साथी ने उदारता का विरोध किया।

श्री अध्यक्ष—He has a right to object.

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—Sir, I don't challenge his right. सरकार की इतनी सी उदारता भी सरकारी पक्ष के एक सदस्य श्री श्यामलालजी गोयल को बरदाश्त नहीं हुई और उन्होंने इस पर एक संशोधन रख दिया। उम्मीद तो हम यह करते थे कि जो उदारता सरकार ने दिखलाई वैसी ही उदारता उस सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्य भी दिखाते और अपनी उदारता का परिचय देते, पर जहां एक ओर थोड़ी सी उदारता दिखाने की कृपा की है वहां उस उदारता को छोड़कर टैक्स बढ़ाने की नीयत करली। मेरे माननीय सदस्यगण भी अगर इस प्रकार से टैक्सेशन बढ़ाने की नीयत में सहयोग देते रहेंगे तो सरकार तो पहले से ही इसके लिए आतुर है, सरकार तो पहले से ही यही चाहती है कि किसी न किसी तरह से कर का भार बढ़ाया जावे, करों का बोझा इस गरीब जनता पर लादा जावे, तो वह ऐसा करेगी ही।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून सदन में पास होने वाला है। इसमें भी टैक्स बढ़ाने की ही बातें हैं। इसी तरह जितने भी कानून आज तक सरकार ने बनाए हैं उनमें सिवाय टैक्स बढ़ाने के कानून के और कोई कानून सरकार ने बनाया नहीं। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिये स्टाम्प लॉ एक्ट (Stamp Law Act) को, इरिगेशन बिल को, रैन्ट रेगुलेटिंग एक्ट को, इस तरह सारे कानून, जो आज तक सदन ने पास किये हैं, आप देख लीजिये सिवाय जनता पर कर भार बढ़ाने के और कोई कानून सदन ने नहीं बनाया है। फिर सरकार कहती है कि हमें कोई सहयोग नहीं देता। हम उन्हें कैसे सहयोग दें? आज भी उसी सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य कहते हैं कि टैक्स ज्यादा रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि जनता कर के भार से पहिले ही से बुरी तरह से दबी हुई है। सरकार के मेरे एक मित्र ने कहा है कि इतना करके भी हम जनता को आराम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कितनी ही मुसीबतें उठानी पड़ें तो उठावेंगे, हमें हमारी तनखाएं छोड़नी पड़ें तो छोड़ें, टूटी फूटी खाट पर सोना पड़े तो सोएं, पर जनता को आराम देना है। तो उसी खाट के दृष्टान्त की याद दिलाकर मैं अपने सरकारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमे दो सौ रुपया माहवार की आमदनी छोड़नी पड़े, साढ़े बारह रुपये रोज का भत्ता हमें न लेना पड़े, पर टैक्सेशन का विरोध हम करें। हमारा अस्तित्व जनता पर टैक्स लादने के लिए नहीं, किन्तु उसको टैक्सों से मुक्त कराने के लिए है और अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो जनता आपको सहयोग देगी, हम आपको अपना हार्दिक सहयोग देंगे और आप भी जनता को पूरी पूरी राहत पहुंचा सकेंगे और उसे आराम की मन्जिल तक ले जा सकेंगे।

Page No.72

[श्री भैरोंसिंह]

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा और साथ ही मेरे माननीय सदस्य, श्री श्यामलालजी से अपील करूंगा कि इस डिसक्रिमिनेशन को ,जिसके बारे में मैंने निवेदन किया है ध्यान में रखते हुए वे उदार बनें और अपने संशोधन को वापिस लेने की कृपा करें।

इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, श्री श्यामलालजी गोयलने 'half' शब्दको डिलीट करने के लिये अपना अमेंडमेन्ट रखा है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि यह फन्डामेन्टली इसलिए दुरुस्त है कि आज के दिन यदि सही तरीके से इन सब बातों को कैलकुलेट (calculate) किया जावे तो केश और काइन्ड रेन्ट में समानता सी ही है और मौजूदा सेटिलमेंट जो इस प्रदेश के बहुत से इलाकों में हो गया है उसमें जिस तरह की रेट्स कायम हुई हैं उन रेटों कोऔर १/६वटाई की जो बटाई की तरमीम कही जा सकती है, तो इसमें केश रेंट भी बढा हुआ नजर आता है और खास कर ऐसे खेतों पर जो बारानी हैं। आप देखेंगे तो यह चीज साफ़ दिखाई देती है। फिर यह मत, भेद क्यों ?

फिर एक चीज और भी है। आपने बहुत बडा प्रोटेक्शन लिया जनता पर टैक्सेशन का भार बढ़ाने के लिए और यह भी कहा गया कि इससे काश्तकार दब जावेगा, परेशान होगा और उसको ऐसा बोझा उठाना पड़ता है कि बालबच्चों का और अपना तन ढाकना और पालन-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा; अगर 'हाफ' को डिलीट कर दिया जाता है तो सबसे पहिले मैं मानता हूं कि टैक्सेशन की एक पॉलिसी है, जिसमें अगर बहस में हम उतरें तो घण्टों लग सकते हैं। इस वास्ते इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा पर यह बात जरूर है कि किसी भी अच्छी सरकार को चलाने में टैक्सेशन एक अविभाज्य अंग है, डेमोक्रेटिक नेशन (damocreticuation) के वास्ते और डेमोक्रेटिक नेशन में रहने वाले लोग इसका तिरस्कार नहीं करते, बल्कि स्वागत ही करते हैं। सही माने में अगर वे लोग डेमोक्रेटिक स्पिरिट के हों तो आज जो बहुत से विदेशी राज्य हैं और डेमोक्रेसी का आनन्द उपभोग करते हैं बजाय इन-डाइरेक्ट के डाइरेक्ट टैक्सेशन को कहीं ज्यादा अच्छा समझते हैं।

इसी तरह इसमें एक मात्र स्पिरिट यही है कि ग्रामीण जनता से एक आना रुपया वसूल करके उन्हीं की उन्नति और भलाई के कार्यों में उन्हीं के लिए अस्पताल, औषधालय, स्कूलें, सड़कें, पेड-पौधे, बाग-बगीचे एवं अन्य इसी प्रकार के सार्वजनिक हित के कार्यों में लगा दिया जावे और वे जो अपना रुपया बुरे तरीकों में, कुप्रथाओं के कारण, विवाह, नुक्ता, शराब पीना, आदि में बेजा तरीकों से खर्च कर देते हैं, बरबाद कर देते हैं, उससे बचाया जा सके उनको। इस तरीके से उनको समझाया जावे और फिर उनसे प्राप्त रुपया अगर ठीक तरीके से खर्च करके बताया जावे तो फिर यह दलील कि इस टैक्सेशन से वे कर-भार से दब जावेंगे, परेशान हो जावेंगे और बहुत लाचार से दिखाई देंगे, कोई वजन नहीं रखती।

जहां तक किसानों के अलावा दूसरे ऐसे व्यक्तियों से एक आना रुपया लेने का सवाल है, लगान की दर केश या काइन्ड में लेते हैं वे बहुत साफ साफ बच जाते हैं। एक जगह जहां सरकार १/६बटाई करती है,

[श्री श्रीदास गोयल]

१/६ जागीरदार की बटाई का है। वह १/६ बटाई की कीमत इस वक्त केवल दो पैसा देनी पडती है। अधिक ताजुब तो इस बात को देखकर हुआ कि कैश और काइण्ड में दोनों तरह से वसूली होती है और कैश में इतना बड़ा ट्रान्जेक्शन दे दिया गया है। इसलिए गुजारिश करूंगा कि सर्कार्ट में जो कुछ कहा गया है वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में था। उस समय में और आज के समय में काफी परिवतन हो गया है। बटाई १/३, २/५ थी, उसके बाद १/४ बटाई हुई और १/६ बटाई हुई। सेटलमेंट की लिस्ट के अनुसार इस प्रकार चलता ही रहता है और इसी प्रकार चलेगा। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से न्याय-संगत प्रतीत होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पैसा इसलिए लिया जाता है कि वह जन-हित के कार्य में लगाया जाय। इसलिए हमको इसे प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इतनी बहस का सवाल नहीं था। जहां कैश में रेंट है वहां एक आना रूपया वसूल होता है और जहां काइन्ड में रेन्ट वसूल किया जाता है वहां आध आना रूपया होता है। हम इसे मैथेमेटिकली (mathematically) भी केलकुलेट कर निकालें। उदाहरण के तौर पर एक बीघा बारानी के अन्दर कम से कम डेढ़ मन बाजरा होता है। उसका छठा हिस्सा हुआ १० सेर बाजरा और दस सेर बाजरे की कीमत आज के हिसाब से ३ रूपया होती है। अगर कोई पांच सेर का बाजरा दिलवादे तो बहुत खुशी की बात होगी। इस तरह से तीन रूपया जो हासिल का वसूल किया जाता है उस जगह बारानी में एक रूपये से ज्यादा वसूल नहीं होता। एक जगह का किसान जहां हासिल का १ रू. २ आना देता है और दूसरी जगह का किसान सेटलमेंट न होने के कारण ३ रूपया का बाजरा देता है; इस तरह से एक जगह का किसान सेस की तौर पर एक आना जमा करता है और दूसरी जगह का किसान तीन आना जमा कराता है। क्योंकि वह फालतू खर्च के अन्दर; ब्याह में, मोसर में, नुक्ते में पैसा उडा देता है; अगर वह पैसा बोर्ड में आया करे तो वह उसकी बहबूदी के लिए होगा। इसलिए उसको देने में कोई एतराज नहीं होगा। कुप्रथाओं के कारण बहुत सा पैसा किसान उड़ा देता है। इसलिए हम उस पैसे को लेकर सुकार्य में लगायगे इसलिए ज्यादा ले लेना चाहिये। इसी प्रकार का फर्क हम चाहे जमीन का ले लें तो भी पड़ेगा। चाही बीघा जमीन में कम से कम दस मन अनाज पैदा होता है। सका छठा हिस्सा डेढ़ मन हम लेते हैं तो वह आज के हिसाब से २४ रुपये का होता है। इस तरह से २४ रुपया बीघा हासिल हो जाता है। यह न तो चाही के हिसाब से ठीक है और न बारानी के हिसाब से। यह तो सबका समान हिस्सा है। एक बात यह भी कही गई कि यह कानून किसानों तक ही रहता; है तभी तक ठीक है। जैसे सरकार लाग कैश में लेती है और जागीरदार लोग काइण्ड में लेते हैं; यह बातें उस वक्त तक हैं जबतक कि अनसेटल्ड एरिया है। बाद में सेटलमेन्ट हो जाने पर काइण्ड में वसूल होगा तो काइण्ड में ही होगा और कैश में वसूल होगा तो कैश में ही होगा। इसलिये कोई वजह नहीं कि इससे सेस वसूल नहीं किया जाय। यह वाजिब है, युक्ति सगत है, न किसी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और न किसी से अननेसेसरी (अनावश्यक) लिया जाता है, जितना वाजिब पड़ता है उतना ही लिया जायगा। इसी हिसाब से सिलेक्ट कमेटी ने इसे मंजूर किया है। सदन इस पर मंजूरी दे, उससे पूर्व में श्री श्यामलालजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस लें।

Page No.74

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बाद में सदन से अनुमति चाहता हूं कि मेरे अमेन्डमेन्ट को सदन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सदन की अनुमति है कि श्री श्यामलाल गोयल अपने संशोधन को वापिस लें?

(सदन ने स्वीकृति प्रदान की)

आज्ञा प्रदान हुई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 115 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 115 is added to the Bill.

खण्ड ११६

Clause 116. Shri Abani Kumar.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—संशोधन इस प्रकार है :—

"In clause 116, add the following as sub-clause (3) after sub-section 2—reading as follows :—

"When tenants who are liable to pay their own share of the Cess refuse to pay the amounts to the Land-owners the land-owner shall submit to the Board a list of such tenants and the Boards shall collect the amounts from such persons directly through methods specified in Section 40."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ११६ में जो मेरा संशोधन है वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को देखते हुए रखा है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक्ट है उसके अनुसार जो सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देनी होती है वह लेन्ड ओनर (land owner) को कलेक्ट करके देनी पड़ती है। अक्सर यह देखा गया है कि लेण्ड ओनर तो अपने हिस्से की सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में जाकर जमा करवा देता है मगर उस इलाके के जो काश्तकार हैं उनके हिस्से को जो सेस होती है कई दफा वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में जाकर जमा नहीं करा सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सेस को कलेक्ट करने के लिये लेंड ओनर को कोई ऑथोरिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उसको जो हिस्सा देना है वह दे देता है लेकिन काश्तकार अगर प्रार्थना करने पर भी कोई वजह से नहीं दे पाते हैं तो लेंड ओनर उनकी सेस का हिस्सा जमा करा नहीं पाता इसलिये ऐसी हालत में लेंड ओनर को कलेक्शन का जिम्मेदार बनाना कभी भी वाजिब नहीं कहा जा सकता। हर एक को अपने सेस देने की जिम्मेदारी को अनुभव करना चाहिये। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। संशोधन में यह बात कही गई है कि अगर लेंड ओनर की प्रार्थना के बाद अगर कोई सेस नहीं देता है तो वह अपनी सेस तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यालय में जमा करवा देगा और एक फहरिस्त सबमिट कर देगा जिसमें उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिन्होंने सेस नहीं दी है। ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस कानून की धारा १४० के अन्तर्गत डाइरेक्ट काश्तकारों से वसूल कर लेगा। रकम जो

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

इयू जिसमें होती है उसी से वह ली जानी चाहिये दूसरे को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिये। यह मेरा वाजिब संशोधन है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—One thing is not clear to me. What is section 40

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Section 140. Actually it was 140 in the notice of the Amendment that I had given.

श्री अध्यक्ष—It is only 40.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Then it is a typing mistake.

श्री अध्यक्ष—It is your mistake. It is 40 in your amendment.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—That is Section 140.

श्री अध्यक्ष—Do not attribute your mistake to others.

(श्री रामकरण जोशी बोलने के लिये खड़े होते हैं)

श्री भैरूंसिंह (दि० सं० १६) माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें हमें भी इस बारे में बोलने का समय दें।

श्री रामकरण जोशी—यह सेस (Cess) वसूली की पद्धति है कि जब भी रेंट (rent) वसूल होता है तो उसके साथ सेस वसूल होता है। रेंट तहसील में देते हैं तो सेस भी तहसील में वसूल होता है। अगर जागीरदार रेंट वसूल खुद करते हैं तो सेस वसूल भी उन्हें करना है। जब जागीरदारों से रेंट वसूल नहीं हो पाता है, सेस वसूल नहीं हो पाती है तो रेंट वसूली के लिये जब सरकार की मदद चाही जाये तो सेस की वसूली भी उसी के साथ होनी चाहिये। वह अपना रेंट तो वसूल कर लेते हैं और सेस के बारे में लिख देते हैं कि इन-इन ने सेस नहीं दिया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सेस का रेंट के साथ ताल्लुक है। इसलिये रेंट जब वसूल होता है तो सेस भी वसूल होगा। ऐसी सूरत में......

श्री भैरूंसिंह (दि०सं० १६) रेंट वसूल करने के लिये प्रोविजन (provision) है, लेकिन सेस वसूल करने के लिये कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद—सेस वसूल करने के लिये लॉ में प्रोवीजन है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—रेंट के लिये तो टिनेन्सी एक्ट में प्रोवीजन है, लेकिन इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा जरिया यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अपनी ओथोरीटी से वसूल करने की कोई ओथोरिटी नहीं है। रेंट वसूल करने के अलावा ओथोरिटीज आप बता दीजिये, आल्टरनेटिव प्रोवीजन।

श्री रामकरण जोशी—वह इसके अन्दर है I would submit that certain powers have been given to the District Boards for the realisation of cess. Where cess is not realised and paid the District Boards are entitled to adopt the methods specified in section 140. The District Boards have got the necessary powers.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—But, then, the land-owners have not got the powers. Sub-section (2) is very vague. That is why I have given notice of this amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर—When a susbstantial law has been passed, the land-owners are entitled to realise cess, otherwise the Civil Courts must realise.

श्री अध्यक्ष—He wants some authority by law.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—It should be legally authorised.

श्री अध्यक्ष—There must be a valid provision.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर टिनेन्सी एक्ट की दफा १५६ के अनुसार रेंट अगर जागीरदार साहब को काश्तकार नहीं देते हैं तो १० पर्सेंट पर कलेक्टर रियलाइज (realise) कर देता है, ऐसा प्रोवीजन (provision) है। प्रोवीजन है कि सेस को रेंट के साथ साथ वसूल करने के लिये उनको अधिकार है और रेंट और सेस की एक 'ही' सी शक्ल है। मैंने 'ही' शब्द पर इसलिये जोर दिया है कि इसकी क्लियर डेफिनिशन (स्पष्ट परिभाषा) कहीं नहीं की है।

श्री रामकरण जोशी—किन्हीं परिस्थितियों में अगर रेंट वसूल नहीं होता है तो कलक्टर की मदद चाहते हैं। तो सेस भी ऑटोमेटिकली (automatically) इसके साथ साथ वसूल हो जाती है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैंने जो जवाब मांगा है वह नहीं मिला। मैंने इस बात का स्पष्टीकरण चाहा है।

श्री रामकरण जोशी—लेंड रेवेन्यू जो है उसको वसूल करने के क्या अख्त्यार हैं? जो मेथड (method) उसके हैं, वही सेस के कलेक्शन (collection) के हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—खंड १४० में लेंड ऑनर्स को ऑथोराइज नहीं किया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही को किया हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद—रेंट वसूली के आपको जो पॉवर्स हैं वही सेस वसूल करने में होंगे।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—सेस वसूल करने में.....

श्री अध्यक्ष—But where will the cess go?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—To the District Boards.

Page No.77

श्री अध्यक्ष (श्री अवनिकुमार से)—

You press your amendment?

(विराम)

Then the question is that the amendment by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that Clause 116 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 116 is added to the Bill.

खन्ड ११७

Clause 117.

(विराम)

The question is that Clause 117 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 117 is added to the Bill.

खन्ड ११८

Clause 118, Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—संशोधन इस प्रकार है। माननीय अध्यक्ष, सेक्शन ११८ में मेरा जो संशोधन है वह एक्स्प्लेनेशन (explanation) से ताल्लुक रखता है। एक्प्लेनेशन के अन्दर यह बताया गया है कि कौन कौन सी इन्कम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेक्स नहीं लगा सकती है, किन किन टेक्सों के ऊपर टेक्स ओन सरकमस्टान्सेज एन्ड प्रोपर्टी (tax on circumstances and property) नहीं लगा सकता है; तो इसके अन्दर बताया गया है कि—

"(i) 'Agricultural Income' as defined in the Indian Income-Tax Act 1922;

(ii) income on which any tax has previously been imposed under the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951.

(iii) income on which any tax has previously been imposed by any other Board under section 117"

इसलिए जो इन्कम टेक्स से जो इन्कम उसके अन्दर आती है उसको भी एक्सप्लेनेशन में शामिल करना चाहिए। यह बडा जरूरी है। इस एक्स्प्लेनेशन के अन्दर यह चीज मिसिंग है। इसलिये उसके अनुसार करने के लिए यह संशोधन रखा गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से प्राथना करूंगा कि इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री चन्दनमल बैद—माननीय अध्यक्षजी . . .

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १६)—माननीय अध्यक्ष, माननीय अवनिकुमारजी ने जो अपना संशोधन रखा है उस संशोधन के समर्थन में मुझे कुछ निवेदन करना है। क्लॉज ११८ के जरिये इम्पोजिशन ऑफ टेक्सेशन ऑन सरकमस्टान्सेज एन्ड प्रापर्टी (imposition of taxation on circumstances and property) के बारे में कुछ सुविधाएं दी गई हैं। उसका जो एक्सप्लेनेट्री नोट (explanatory note) है उसमें जिन चीजों पर टेक्स नहीं लगा सकेंगे उनका कुछ एक्सप्लेनेशन (explanation) है। उसमें है कि :

"For the purpose of this section 'taxable income, means estimated income, but shall not include income of the following classes :—

(*i*) Agricultural income as defined in the Indian Income-Tax Act, 1922 ;

(*ii*) income on which any tax has previously been imposed under the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951 ;

(*iii*) income on which any tax has previously been imposed by any other Board under section 117."

आजकल टेक्सेशन के विषय में भरमार है। खैर, उसकी में ज्यादा व्याख्या और विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरह इन तीन चीजों को उन्होंने टेक्स लगाये जाने से मुस्तस्ना किया है और इन तीन चीजों को एक ही नियत से मुस्तस्ना किया गया है, जहां तक मेरा खयाल है कि एक दफा जिस चीज पर टेक्स दिया गया है उस पर इसके बाद दुबारा टेक्स इम्पोज (imp) नहीं किया जाय। इसमें इन तीन चीजों के अलावा भी कोई चीज ऐसी हो सकती है जिस पर एक दफा टेक्स दिया गया हो तो दुबारा टेक्स लगाना उनकी नियत के प्रतिकूल होगा। इसलिए माननीय मुकर्जी ने जो संशोधन रखा है कि जिस चीज पर इन्कमटेक्स एक्ट के जरिये से कोई टेक्स लग रहा हो, उस चीज पर भी कोई टेक्सेशन नहीं लेंगे। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित है। जिस तरह की ये तीन चीजें इम्पार्टेन्ट हैं, टेक्सेशन से मुस्तस्ना करने के लिए, उसी तरह से यह चीज भी इम्पार्टेन्ट है।

माननीय उपमंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी टेक्सेशन में इस दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए दुनियां को टेक्सेशन से राहत पहुंचाने की अपनी नियत पर ज्यादा अमल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्ष, यह भारत सरकार का टेक्स है, और इसमें जो भी टेक्स गिनाये गये हैं वे सभी राजस्थान सरकार के हैं। भारत सरकार के टेक्स के सिलसिले में कोई किसी किस्म की रियायत देने की जरूरत नहीं है। जो आदमी इन्कमटेक्स दे सकता है उसको एक साधारण सा मामूली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टेक्स देने में कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये मैं श्री अवनिकुमारजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि आपने मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया है कि किस आधार पर उस चीज पर टेक्स लगायेंगे। जिस चीज पर इन्कमटेक्स

Page No.79

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

लगता है उन पर कानूनी तौर पर कोई टैक्सेशन नहीं लगा सकता है। यदि आप कानून को वेग (Vague) रखते हैं तो आगे चलकर लिटिगेशन (Litigation) बढ़ेगा और सरकार को कई दिक्कतें आयेंगी। कानूनन आप उन पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं जिन पर कि इन्कम टैक्स लिया जाता है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—इनकमटैक्स इनकम पर लिया जाता है, न कि किसी कामोडिटी (Commodity) पर।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)—आप अब, मैं समझता हूं कि अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकम जो होगी वह प्रोपर्टी पर होगी।

श्री चन्दनमल वैद—जब प्रोपर्टी पर इन्कम होती है तो किसी चीज पर टैक्स नहीं होना चाहिए।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी–संशोधन चाहे न माने पर Imposition of taxes on circumstances and property..................

श्री अध्यक्ष—Those who pay income-tax will be free altogether.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Then it will create complications. I am not prepared to withdraw the amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment to Clause 118 by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 118 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 118 is added to the Bill.

खन्ड ११९

Clause 119. The amendment by Shri Shaym Lal is technical.

श्री चन्दनमल वैद— (Accepted.)

श्री अध्यक्ष–The question is that the amendment by Shri Shyam Lal Goel is that " In clause 119 (1) (b) for the word 'of' occurring in line

Page No.80

[श्री अध्यक्ष]

2 between the words 'property' and 'other' taxable' substitute the word 'or'—be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 119, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

The Clause 119,, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १२०—१३९

Clauses 120 to 139.

(विराम)

The question is that Clause 120 ,121, 122, 123, 124 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, and 139, stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clauses 120 to 139 are added to the Bill

खण्ड १४०

Now we come to clause 140, Shri Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा यह संशोधन टेक्निकल है इसलिए इसे मन्जूर कर लिया जाय तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल वैद्य—हमें यह मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment that "In clause 140 (1), tenth line delete the word 'may' occurring between the words 'regulation and 'prescribe', be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 140, as amended, stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 140, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १४१

Clause 141 Shri Mukerji

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**--माननीय अध्यक्ष, मैंने जो प्रपोजल रखा है वह यह है कि क्लाज १४१ को डिलिट कर दिया जाय। यह इसलिए रखा गया है कि क्लाज १४० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को य पावर्स है कि यदि कोई बोर्ड को सेस नहीं देता है तो वह अपनी स्पेशल पोवर्स (विशेष अधिकार) के मुताबिक वारन्ट निकाल कर वसूल कर सकता है। फिर यह समझ में नहीं आता कि इस क्लाज को क्यों रखा गया है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री **रामकरण जोशी**—मेरा निवेदन है कि ये पावर्स जनतंत्र के लायक हैं और जनता की संस्था को दिये गये हैं। उसकी पावर्स में कमी क्यों करना चाहते हैं आप ?

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—आप एक तरफ तो उनकी पोवर्स को कर्टेल (curtail) करत हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि जनतन्त्रवाद के अधिकार हैं, इसलिए दिये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जनतंत्र की परिभाषा आपके पास क्या है।

श्री **अध्यक्ष**—जनतंत्र की परिभाषा एसेम्बली है।

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is that Clause 141 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 141 is added to the Bill.

खण्ड १४२

Clause 142, Shri Mukarji

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**--माननीय अध्यक्ष, क्लाज १४२ में मेरा जो संशोधन है वह सब-क्लाज (२) से ताल्लुक रखता है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"In Clause 142 sub-clause (2) part (e), insert after the word 'husbandry' the following words 'tractors and accessary agricultural implements.'

क्लाज १४२ की सब-क्लोज (२) के पार्ट (ई) में यह दिखाया गया है कि इन इन चीजों का अटेचमेन्ट नहीं हो सकेगा। उनके अन्दर में यह एड करना चाहता हूं कि ट्रेक्टर और एक्सेसरीज और एग्रीकलचरल इपलीमेन्टस भी अटेच नहीं होने चाहिये।

Page No.82

श्री **अध्यक्ष**—Are you not an owner of tractors ?

श्री **अवनिकुमार**—There are so many who own tractors, it is not my personal case.

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत्त शासन मंत्री)--ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सडकों पर चलेंगे, इसलिये इनको रखा गया है ।

श्री **अध्यक्ष**--It does not scund fair to reason.

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी** --यदि आप चाहें तो इसे मन्जूर कर सकते हैं ।

श्री **अध्यक्ष**--Very reasonable.

श्री **भीमसिंह**--अध्यक्ष महोदय, क्लोज १४२ की सब-क्लोज (२) के पार्ट (ई) में "Implements of husbandry" का जो प्रश्न आया है वही प्रश्न जब सिलेक्ट कमेटी के सामने आया था तब कुछ सदस्यों का ऐसा विचार था कि इसमें हल, फावड़े आदि उन चीजों को भी दे दिया जाय जिनको किसान खेती के काम में लाते हैं । इस प्वाइन्ट को एडवोकेट जनरल को रेफर किया गया था । उन्होंने यह कहा कि इम्प्लीमेन्ट ऑफ हसबेन्ड्री में खेती के काम में आनेवाली सारी चीजें आ जाती हैं, चाहें वह ट्रेक्टर हो, हल हो या फावड़ा हो । ये सारी चीजें इस डेफिनेशन में आजाती है । इसलिये इन चीजों का उसमें जिक्र नहीं किया गया । ट्रेक्टर आदि सभी इसकी डेफिनिशन के अंतर्गत आ जायेंगे ।

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**--क्योंकि अब इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है इसलिये मैं अपना एमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**–Is the leave of the House granted to allow Shri Abani Kumar to withdraw the amendment?

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—I withdraw.

श्री **अध्यक्ष**–The question is that Clause 142 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 142 is added to the Bill.

खण्ड १४३

Clause 143, Shri Goel

श्री **श्यामलाल गोयल**—अध्यक्ष महोदय, क्लोज १४३ में मेरा अमेन्डमेन्ट टक्निकल है । इसे मन्जूर करलें तो अच्छा हो ।

श्री **चन्दनमल वैद**—हमें यह अमेन्डमेन्ट मन्जूर है।

श्री **अध्यक्ष**–Is it the leave of the House that the amendment of Shri Goel that "In clause 143(1) 'in line 5 substitute the word, 'from' for the word 'in' occurring between the words 'person' and 'whose possession' be accepted".

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 143 as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 143, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १४४

Clause 144, Shri Goel

श्री श्यामलाल गोयल—संशोधन इस प्रकार है। "In clause 144 (1) in the fourth line delete the words 'to an officer of his court' occurring after the word 'warrant' and also delete part (a) of sub-clause (1)." माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज "procedure in case of execution against property outside the rural area" के मुतल्लिक है और इसका प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। यह क्लोज इस तरह है :—

"(1) If no sufficient moveable property belonging to a defaulter can be found within the rural area the District Magistrate may, on the application of the Board, issue his warrant to an officer of his court;

(a) for the distress and sale of any moveable property or effects belonging to a defaulter within any other part of the jurisdiction of the Magistrate, or

(b) for the distress and sale of any moveable property belonging to the defaulter within the jurisdiction of any other Magistrate exercising jurisdiction within Rajasthan."

मेरा इसमें एमेन्डमेन्ट यह है कि "to an officer of his court" को डिलीट कर दिया जाय और सब क्लॉज १ (ए) को भी डिलीट कर दिया जाय। हमने एक क्लोज डेफिनिशन्स का १ (अ) पास किया है और उसमें डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया है कि वह डिस्ट्रिक्ट, जो "Rajasthan territorial Division Ordinance, 1949; or any subsequent enactment for the time being in force" में आता है यह डेफिनेश उसमें दी गई है तो ऐसी सूरत में जब कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे डिस्ट्रिक्ट प.. पूरा अधिकार है तो यह क्लॉज रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर ही सकता है। रहा क्लॉज (बी); जब कि पार्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो ऐसी सूरत में जरूर दूस डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास वारन्ट भेजना पड़ेगा और कार्यवाही करनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट वसूल करके रकम को वहां भेज देगा। इसलिये मैंने यह एमेन्डमेन्ट मव किया है और मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे मन्जूर कर लिया जाय।

Page No.84

श्री अध्यक्ष—(राज्य पक्ष से) The amendment is not clear perhaps ?

श्री श्रीदास गोयल—मैं इसका विरोध करता हूं और वह इस तरह से कि

श्री अध्यक्ष—It should be put to vote,. It is zero bour.

एक माननीय सदस्य—He is withdrawing perhaps.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—He himself is not clear perhaps.

(हँसी)

श्री श्यामलाल गोयल—My friends want that I should withdraw, and hence I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Otherwise it would have met its fate.

(विराम)

The question is that leave be granted to withdraw.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री श्यामलाल गोयल—I withdraw it.

श्री अध्यक्ष— The question is that Clause 144 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 145 is added to the Bill.

खण्ड १४५, १४७

Clauses 145 to 147.

(विराम)

The question is that clauses 145, 146 and 147 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 145 to 147 are added to the Bill.

श्री कानसिंह—Sir, the time is up.

श्री अध्यक्ष–So the House wants that we should begin it from tomorrow.

(विराम)

All right. Then we will begin it from tomorrow and will finish reconsideration of those clauses which we have defered and the remaining clauses and also that after 11. A. M, wish that non-official resolutions may be taken.

श्री भैरूसिंह—One hour is not sufficient.

श्री अध्यक्ष–It is extra time. No further time is possible.

(विराम)

We will take up official business which I hope will be over by a 11. o'clock and after 11 we will take non-official business and discuss it. But then official business will have priority. I will request the Hon'ble Members to be quite precise and to keep to the point. Then we can finish it before 11-00 o'clock. The clauses which we have left will not take very long.

एक माननीय सदस्य—But any case tomorrow it will be adjourned

श्री अध्यक्ष—I have no other task.

श्री भैरूसिंह—In case the Bill takes full day, whether non-official business will be taken later on.

श्री अध्यक्ष–In case we take full day to transact this official business, non-official business will have no time, at least in this session.

श्री सोहनलाल भटनागर—There is one Bill also which we have to take into consideration.

श्री अध्यक्ष—That would not take much time.

(विराम)

The other Bills are only for reference to Select Committees and they will not take more than two or three minutes each.

So we adjourn for tomorrow.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३५ मिनट पर, दिनांक ११ सितम्बर, १९५३ को ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१० सितम्बर, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

[वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रख गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है]

85. (24/C. M.) Shri H. K. Vyas, M.L.A. (Div. NO. 160)—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that an accident took place to the car of the Chief Minister in the middle of July this year?

(b) What were the damages caused due to this road accident?

(c) What was the cost of repairs! ?

(d) Who were travelling by the car at that time ?

(e) What was the purpose for which the car was going ?

उत्तर—

(१) हां

(२) आगे का दाहिना मडगार्ड बोनट कवर रेडीयेटर और ग्रिल को क्षति पहुंची

(३) ६००) रु०

(४) सरकारी अतिथि ।

(५) इसमें सरकारी अतिथि ले जाये जा रहे थे ।

86. (25/C.M.) Shri H. K. Vyas. M.L.A. (Div. No. 160—will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that a theft occurred in the house of one Shri Balkishan Vaidya of Sardarpura, Jodhpur, on 5-2-1953 ?

(b) Is it a fact that one Shri Omprakash, the tenant of Shri Vaidya, was suspected of the crime by the police authorities as they admitted before the Collector, Jodhpur ?

(c) Was the suspect arrested ?

(d) Is the Government aware that the search of Omprakash's house was not conducted for one whole week after the theft ?

(e) Is it a fact that Shri Vaidya has given seven reminders to the Government in this connection ?

(f) What steps has the Government taken to meet justice to Shri Vaidya ?

Page No.87

उत्तर:—

(ए) हां ।

(बी) हां, यह सच है कि उपरोक्त चोरी में पुलिस ने श्री बालकिशन वैद के एक किरायेदार श्री ओमप्रकाश पर शक किया ।

(सी) नहीं । श्री ओम प्रकाश के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(डी) पुलिस द्वारा शक किये जाने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ही उनके मकान की तलाशी ली गई परन्तु कोई माल बरामद नहीं हुआ ।

(ई) श्री वैद विभिन्न सरकारी अफसरों को काफी संख्या में अर्जियां भेज रहे हैं ।

(एफ) पुलिस भरसक प्रयत्न करने पर भी उपरोक्त केस में सफल न हो सकी, अतः केस की तफतीश अदमपता की अन्तिम रिपोर्ट के साथ बन्द की गई ।

89. (19/R.M.) Shri H.K. Vyas, M.L.A. (Div. No. 160)—Will the Minnister for Revenue be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that one Mr. Matadin, a Patwari in Behror Tehsil, District Alwar, was retired when he attained the age of 55 ?

(b) Is it a fact that the said Patwari is an experienced one and is still in good health and can work efficiently ?

(c) Is it a fact that the Tehsildar, Behror, has recommended for continuation of his services ?

(d) Is it a fact that many Patwaries who have attained even the age of 60 are still in employment ?

(e) Is there any special reason for discriminating against this particular Patwari ?

(f) Is it a fact that the above Patwari has not yet been paid his pension available about his health.

उत्तर—

(a) Yes.

(b) As the Patwari had put in service for a number of years it is expected that he should have experience of his work. There is no information

(c) No.

(d)&(e) Special sanction of the Government is necessary to retain a Government servant in service beyond the age of superannuation. If specific instances are quoted it would be ascertained whether necessary sanction of the Government was obtained.

(f) The Patwari left his circle without handing over charge. He is being summoned in the Tehsil for filling up his pension form. Action regarding payment of pension will be taken after he fills up the pension form.

90. (18/S.M.) Shri H. K. Vyas, M.L.A. (Div. No. 160)—Will the Minster for Food be pleased to answer:—

(a) How much grain has the Government of Rajasthan exported or permitted to be exported since 1st January, 1953 ?

(b) At what price was this grain purchased.

(c) At what price was it sold.

(d) How much saving has accrued to the State Government as a result thereof from 1st January to 31st July, 1953.

उत्तर—

(a) Approximate total quantity of foodgrains exported since 1st January 1953, is given as under :—

Wheat	283,000 Mds.
Barley	132,000 ,,
Gojra	9,000 ,,
Gram	26,000 ,,
TOTAL	4,50,000 Mds.

(b) Weighted average cost price per maund in respect of the aforesaid foodgrains is as under :—

Name of Grain	*Purchase Pool rate.*	*Weighted average incidentals per maund.*	*Total weighted average cost price.*
Wheat ..	Rs. 15/13/7	Rs. 2/ 5/5	Rs. 18/ 3/-
Barley ..	Rs. 9/2/11	Rs. 1/12/-	Rs. 10/14/11
Gojra ..	Rs. 11/ 5/-	Rs. 1/12/-	Rs. 13/ 1/-
Gram ..	Rs. 10/ -/-	Rs. 1/12/-	Rs. 11/12/-

(c) The aforesaid quantity of foodgrains were sold at the following sale rates per maund :—

Wheat	Rs. 18/3/-
Barley	Varying from Rs. 11/-/- to Rs. 12/8/-
Gojra	Rs. 15/8/6 (less 5% Commission)
Gram	Varying from Rs. 16/5/3 to Rs. 16/12/-

Page No.89

(*d*) Approximate saving accrued to the State as a result of the above sales amounts to Rs. 2,48,000/-/- details given below :—

Wheat	Rs. Nil.
Barley	Rs. 1,07,000/-/-
Gojra	Rs. 15,000/-/-
Gram	Rs. 1,26,000/-/-
TOTAL ..	Rs. 2,48,000/-/-

११. (२३ एस. एम.) श्री लालूराम, एम. एल ए.., (डिविजन नम्बर ८४)—क्या हरिजन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

वनस्थली विद्यापीठ में इस वर्ष किस किस वर्ग से कितनी कितनी लड़कियां किस किस दर्जे में हरिजनों की हैं ?

उत्तर—

वनस्थली विद्यापीठ में पढने वाली हरिजन लड़कियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम वर्ग	छात्राओं की संख्या	कक्षा	टोटल संख्या
यादव	१३	४ ५	१० ३ १३
जाटव	२	५ ४	१ १ २
रेगर	१	४ ६ ७	१ १ १ ३
चमार	२	४ ३	१ १ २
भंगी	३	४ ५	२ १ ३
भील	१	८	१

कुल छात्राओं की संख्या २४

13. (22R.M.) H. K. Vyas, M.L.A., (Div. No. 160)—

Will the Minister for Revenue be pleased to answer ::—

(a) Is the Government aware that the allotments for temporary (annual) cultivation, *i.e.*, Arzi Kasht in Ganganagar District have this year been made as late July-August 1953 ?

(b) Is the Government aware that such allotments were made last year as late as November, 1952 ?

(c) Is the Government aware that such late allotments mean loss of one crop ?

(d) What steps is the Government taking to complete such annual allotments before the end of February each year ?

उत्तर—

(a) Yes.

(b) Last year the work was started in the month of June and was completed in September.

(c) Except for sugarcane and cotton all other kharif and Rabi crops can be sown.

(d) The rules of allotment have now been sanctioned by the Government and the district authorities are being directed to see that in future the allotment work is completed by the end of May each year.

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८७ (२) का उत्तर देखिये)

नाम मंडी नाम एजेण्ट लेवी	कुल कीमत खर्च हुई				कुल धान जो खरीदा गया (मणों में)			
	गेहूं	गुज्जी	जौ	चना	गेहूं	गुज्जी	जौ	चना
१. सोजत सीटी सुखदेव काशीराम	हिसाब नामुकम्मिल है।							
२. राना-बास चतुरभुज जसराज	४२७६६-१४-३	२५५६-१५-३	३२१८०-१४-०	१-९-०	४०९०-२२-०	२३३-१६-०	३६४७-२८-०	०-६-१२
३. मारवाड़ जंक्शन नेमीचन्द गुन्देया	४१०६४-२-६	१०३३७-१-६	४५२५-७-६	५४१-६-६	२९३३-३०-०	६५०-५-०	५०२-३३-८	५७-३०-०
४. बिलाड़ा जेठमल सोजत	१६५८८-४-३	८२१-६-०		३६६२-६-३	११८५-३०-१२	८०-२५-०		४२२-२०-१२
५. चंडावल प्रेमसुख सूरजमल	८०४४-१४-०	४५६२-१३-०	१२६०३-६-६	१६३७-६-६	३५५३-५-०	४१६-३२-८	१४००-३८-२	२०६-२८-०
६. सोजत रोड बस्तीमल सूरजमल	७८०२५-७-६	८६८-१३-६	४६३८४-१०-०	५८३-१-०	५६७३-१३-२	८०-३३-०	५५३०-२१-०	६२-१२-८
७. प्राउवा जसराज जीतमल	३१४६६-०-६	१५३६-१५-६	३६३७३-१३-३ ८४००-०-० जमा कराये	निल	२२४८-१२-४	१४३-१७-०	४०४१-३३-०	निल
८. बांता भीमकिया कलाल गंगाराम	१४२८४-१४-६	४५६-१२-३	२४७५३-५-६	१४-१-०	१०२७-१०-१२	४१-२३-०	२७५६-३६-८	१२०-०
९. राजकिया-बास भूरमल मांगीलाल	२०२६१-५-६	२७०८-२-३	३२१-१३-० ५००-०-० ३७२-०-३	निल	१४४६-१५-८	२४०-२१-४	१५-३०-४	निल